प्राक्कथन

भारत में विकास की प्रक्रिया को समझने में एक व्यवधान दीर्घकालीन सर्वेक्षण का अभाव है। एक समय विशेष पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परिवर्तन की दिशा, कारण और प्रभाव समझना कठिन है। इस सोच को गहन करने के लिए आवश्यक है कि समाज की विभिन्न ईकाईयों में होने वाले परिवर्तन का निरन्तर अथवा निश्चित अवधि के पश्चात् सतत् मूल्यांकन होता रहे। यदि यह सम्भव न हो तो कुछ एक ईकाईयों को केन्द्र वनाकर समय-समय पर अध्ययन होता रहे। पचास और साठ के दशक में विभिन्न राज्यों में कार्यशील कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रों के द्वारा कुछ एक गाँवों का सर्वेक्षण तथा एक अवधि के पश्चातपूर्ण सर्वेक्षण किया गया था। पिछले कुछ एक वर्षों में शोध का यह प्रणाली समाप्त-सी हो गई है।

इस सन्दर्भ में कुमारप्पा इन्स्टीटूयूट के डॉ. अवधप्रसाद द्वारा किया गया यह अन्वेषण सामयिक और महत्त्वपूर्ण है। डॉ. प्रसाद द्वारा सर्वेक्षित दो गाँवों में से एक हस्तेड़ा का सर्वेक्षण करीव तीस वरस पहले एग्रो इकोनोमिक्स रिसर्च सेण्टर, वल्लभ विद्यानगर द्वारा किया गया था। प्रस्तुत अध्ययन उक्त गाँव का सम्पूर्ण पुनः सर्वेक्षण तो नहीं है, पर पिछले सर्वेक्षण का आधार मिल जाने से एक तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करने में सहायक है।

इस अध्ययन में न केवल परिवर्तन के विभिन्न आयामों को उजागर किया गया

है वल्कि इस परिवर्तन की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन के आधारभूत विन्दुओं-परिवार और जाति पर लेखक ने विशेष ध्यान दिया है, ग्रामीण समाज की आर्थिक विकास की स्थिति का विश्लेषण किया गया है, विकास के कार्यों में ग्रामीण परिवारों की भागीदारी पर शोध की गई है, शिक्षा के प्रचार और प्रसार पर ध्यान दिया गया है और विकास की दौड़ में पिछड़ रहे परिवारों का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है।

इस प्रकार की उपयोगी और विश्वसनीय शोध के लिए डॉ. अवध प्रसाद और उनके साथी वधाई के पात्र हैं। आशा है इस अध्ययन से प्रेरणा लेकर अन्य सम्भागों के गाँवों के सर्वेक्षण और पुर्नसर्वेक्षण की परम्परा फिर से कायम होगी और परिवर्तन की गति, दिशा और प्रभाव को सही तौर से समझने में मदद मिलेगी।

विजयशंकर व्यास

निदेशक, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर।

सूची

भाग - 3
ग्राम पंचायत : दिशा, प्रक्रिया एवं भागीदारी

आभार

इस परियोजना के सर्वेक्षण, सारणीयन, सामग्री संकलन आदि कार्यों में श्रीमती करुणा एवं श्री देश वन्धु त्यागी का शोध सहायक के रूप में सहयोग मिला।

सारणी को पुर्ननिरीक्षण एवं अन्तिम रूप देने में जिला सांख्यिकी अधिकारी श्री नवल किशोर शर्मा का सहयोग मिला। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। संस्थान के श्री रेवा शंकर शर्मा का अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर सहयोग मिलता रहा।

हस्तेड़ा गाँव के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्री पंचम भाई का इस कार्य में प्रारम्भ से ही सहयोग रहा। सर्वेक्षण कार्य तथा ग्राम की जानकारी में इनका विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इन्होंने पूरी रिपोर्ट देखकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। गाँव की ग्राम पंचायत एवं अन्य संस्थाओं, शिक्षण शाला तथा प्रमुख नागरिकों के सहयोग के कारण ही विषय के वारे में गहराई से छानवीन की जा सकी है।

अध्ययन कार्य में इन लोगों के सहयोग के लिए इनके आभारी हैं।

—**अवध प्रसाद**

भूमिका

हमारे वशिष्ठ सहयोगी शोध संस्थान : एग्रोइकानोमिक रिसर्च सेण्टर वल्लभ विधानगर (गुजरात) ने 1961-62 में राजस्थान के जयपुर जिले के गाँव हस्तेड़ा का विस्तृत तथा गहन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सर्वे और अध्ययन किया था, जिसमें तव तक आज़ादी के वाद हुए विविध परिवर्तन तथा विकास की दिशा को देखने का प्रयत्न किया गया था। तव से अव तक लगभग तीस वर्ष के लम्वी अवधि में ग्राम - विकास की क्या उपलब्धि रही, क्या कमियाँ रही और विकास की क्या दिशा रही इसका सामाजिक - आर्थिक अध्ययन करने का विचार सहज हमारे मन में उठा। हस्तेड़ा वड़ा गाँव है और इसे इसके सद्‌भाग्य से एक जागरूक समाज-सेवक तथा रचनात्मक कार्यकर्त्ता का सहयोग तथा नेतृत्व भी मिला है। यह भी विचार वना कि इसी जिले के पास तथा हस्तेड़ा के पास के छोटे गाँव को इस अध्ययन-योजना में शामिल करना चाहिये जिसे इस प्रकार का सहयोग न मिला हो। इसके लिए हस्तेड़ा से चार किलोमीटर दूर धम्मा का वास नामक गाँव चुना जिसमें हस्तेड़ा के 565 परिवारों के मुकावले के 64 परिवार हैं। इन दो गाँवों के आधार पर - दो गाँवों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सर्वेक्षण की योजना वनायी गयी और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.) नई दिल्ली को भिजवा दी गयी। परिषद् से स्वीकृति आने पर जुलाई-1989 में इस कार्य को हाथ में लिया गया।

इस अध्ययन से विकास - कार्यक्रम में जन-भागीदारी, शिक्षा एवं ग्राम-विकास की

प्रगति, विकास-कार्यों से लाभान्वित होने की स्थिति तथा इन कार्यक्रमों की जनता के निम्नतम वर्ग तक पहुँचाने की स्थिति स्पष्ट होती है। इस अध्ययन में पाया गया कि समाज का कमजोर तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोग और इनमें भी समाज के अन्तिम वर्ग खासकर महिलाएँ आज भी ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों तथा विकास कार्यक्रमों में भागीदार नहीं हो पाती है। इनमें ग्राम-पंचायत के प्रति जागरूकता भी अल्प है, इनकी राय का महत्त्व भी नहीं के वरावर है।

साक्षरता में गाँवों की स्थिति में सुधार हुआ है—साक्षरता 23 प्रतिशत से वढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुँची है, पर मात्र साक्षरता से जनता की शिक्षा, जानकारी तथा कार्यशीलता में वृद्धि नहीं हो पाती है। शिक्षण की व्यवस्थामें भी वृद्धि हुई है—गाँव तक प्राथमिक शाला पहुँची है—गाँव या पड़ौस के दूर—पास के गाँव में माध्यमिक शिक्षा भी पहुँचने लगी है, पर शिक्षित लोगों में पंचायत, ग्रामीण विकास कार्य, सामाजिक सुधार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संगठनों तथा संस्थाओं में रुचि वढ़ी नहीं है। पढ़े-लिखे लोगों की गाँव पंचायत या अन्य संस्थाओं तथा विकास-प्रक्रिया में भागीदारी बहुत कम है। गाँव पंचायत-ग्राम-शिक्षा संस्था ग्राम सेवा संस्थाओं आदि पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का ही वर्चस्व है। ग्राम के शिक्षित वर्ग तथा शिक्षक समुदाय का इन सारे सामाजिक कार्यों में सहयोग नहीं लिया जाता है न वह सहयोग दे पाता है। एक वात यह भी देखने में आयी कि ग्राम विकास की सारी योजना अभी तक ग्राम पंचायत-मुख्यालय और बड़े गाँव तक ही पहुँच पायी है, छोटे गाँव, ढाँणी तक वे पहुँचती ही नहीं है। इस दृष्टि से गाँव के शिक्षण लोगों में, प्रौढ़ विद्यार्थियों में सामाजिक जागृति लाना वहुत आवश्यक प्रतीत होता है। छोटे गाँव पंचायती राज तथा विकास कार्यक्रम से कैसे जुड़े यह भी सोचा जाना आवश्यक है।

हमारा सोचना है कि इस अध्ययन के परिणामों की जानकारी राजस्थान के विकास विभाग तथा पंचायत राज विभाग के अधिकारी वर्ग, पंचायत राज तथा विकास - कार्यक्रम में रुचि लेने वाले कार्यशील संगठनों के अधिकारियों तथा उक्त दोनों गाँवों के शिक्षित वर्ग तक विचार-गोष्ठियों द्वारा पहुँचाई जाय। इस कार्यक्रम का व्यवस्थित तथा सफल आयोजन ही इस योजना की समुचित परिणति होगी।

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान
वापूनगर,जयपुर-302015

जवाहिर लाल जैन
मंत्री-निदेशक

भाग - 1

ग्राम समाज और वर्तमान अध्ययन

1

ग्राम व्यवस्था की पृष्ठभूमि

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परम्परा

मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ-साथ समाज के व्यवस्थागत ढाँचे में भी परिवर्तन होता रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान प्राचीन समाज व्यवस्था में "ग्राम" एक मजवूत इकाई वनी और ग्राम को इकाई मानकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाओं का मजवूत स्वरूप विकसित हुआ। भारत में स्थायी गाँवों का विकास नदियों, उपजाऊ वनों तथा उपजाऊ क्षेत्र में हुआ। भारतीय ग्राम संस्कृति की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थायें एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहे हैं। जैसा कि सर्वमान्य विचार है, भारत में अनेक प्रकार की सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़े समूह आते रहे हैं। इनमें अधिकांश समूह राज्य विस्तार के कारण विजेता के रूप में आये और यहाँ की संस्कृति के साथ समरस हो गये।

आने वाले समूहों ने भी यहाँ की ग्राम संस्कृति एवं ग्राम व्यवस्था को मान्य किया तथा उसे मजवूत वनाया। यह सत्य है कि दूसरे स्थानों से आयी संस्कृति एवं समाज व्यवस्था ने यहाँ की संस्कृति एवं व्यवस्था को प्रभावित किया - एक सीमा तक उनमें परिवर्तन किया। यहाँ की व्यवस्था के साथ समरस होने से यह प्रक्रिया एक सीमा तक मुगलकाल तक चलती रही। मुगल सभ्यता एव संस्कृति वाहर से आयी लेकिन काफी हद तक यहाँ की व्यवस्था को प्रभावित अवश्य किया लेकिन वाद में दोनों ने एक दूसरे को काफी हद तक स्वीकार भी कर लिया। खासकर ग्राम व्यवस्था में विशेप परिवर्तन

नहीं हुआ। हाँ, शहरों में मुगल संस्कृति की अलग छाप अवश्य बनी। ग्राम व्यवस्था अपने परम्परागत रूप में कायम रही।

ऐतिहासिक सन्दर्भ में देखने पर यह तथ्य सामने आता है कि ग्राम व्यवस्था के परम्परागत स्वरूप में परिर्वतन का क्रम ब्रिटिश काल में प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजी राज में परम्परागत ग्राम व्यवस्था को योजना बद्ध ढँग से तोड़ने का प्रयास किया गया। गाँव में जिस प्रकार की मजबूत आर्थिक व्यवस्था थी उसे समाप्त किये गये तथा कृषि एवं उद्योग धन्धे समाप्त किये गये तथा कृषि एवं उद्योग से अलग किया गया तब से कृषक एवं उद्यमी दोनों के लिए कठिनाई बढ़ी है। आज गाँव का किसान एवं गाँव का परम्परागत उद्यमी दोनों संकट में है।

हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिये कि आजादी के बाद गाँव की व्यवस्था को तोड़ने की गति पहले से अधिक तेज हो गयी है। पिछले वर्षों में ग्राम विकास के प्रयास में गाँव हर स्तर पर कमजोर हुआ है। हम यह भी कह सकते हैं कि गाँव को मजबूत करने के भ्रम में परम्परागत पंचायत की मजबूत परम्परा थी और गाँव की पंचायत पूरे ग्राम समाज को प्रभावित करती थी, गाँव को मजबूत करती थी तथा वह सर्वमान्य थी। पंचायती राज संस्था के माध्यम से नयी ग्राम व्यवस्था की परिकल्पना की गयी लेकिन वर्षों के अनुभव के बाद यह कटु सत्य परिणाम सबके सामने है कि इस संस्था ने गाँव को तोड़ने में अधिक योगदान किया है। पिछले चालीस वर्षों में पंचायती राज लागू करने के प्रयास में गाँव बिखर रहा है।

संक्षेप में परम्परागत ग्राम व्यवस्था के स्वरूप एवं उनके संस्थागत ढाँचे का स्मरण करना उचित होगा। आज भी यदि गाँव में जाकर ग्राम समाज एवं उसकी व्यवस्था का निरीक्षण विश्लेषण करें तो उसकी व्यवस्था एवं रूप का अंदाज लग सकता है। इस व्यवस्था को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं (क) सामाजिक सांस्कृतिक जिसमें राजनैतिक एवं न्याय व्यवस्था भी शामिल है। (ख) आर्थिक व्यवस्था जिसमें कृषि व्यवस्था की मजबूत परम्परा रही है और जो अब नाम मात्र की याद के रूप में रह गयी है। सामाजिक एवं आर्थिक दोनों व्यवस्था में आपसी सहकार एवं विश्वास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सहकार एवं विश्वास इन दो आधारों पर ग्राम समाज टिकी हुयी थी। कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के सहयोग से "परम्परागत एवं कानूनी सहकारिता" का गहन अध्ययन किया है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सहकारिता का व्यापक विश्लेषण है। उक्त अध्ययन में दोनों क्षेत्रों में सहकार के स्वरूप, विघटन की प्रक्रिया एवं वर्तमान स्वरूप पर विचार किया गया है।

सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने में अनेक सामाजिक, राजनैतिक एवं न्यायिक संस्थाओं का योगदान था। गाँव की एक इकाई एवं समूह के रूप में पहचान है। इस इकाई को एक सूत्र में वाँधने में गाँव की परम्परा, ग्राम के रीति-रिवाज आदि की प्रमुख भूमिका होती है। गाँव का कोई व्यक्ति इसे नहीं तोड़ता गाँव से वाहर व्यक्ति की पहचान है, मान सम्मान, धारणा, साख आदि गाँव विशेष के अनुसार मापी जाती है। इसी के साथ विवाह, सामाजिक-सांस्कृतिक त्यौहार, लोक व्यवहार आदि गाँव के आधार पर निर्धारित होते हैं। एक समय था जवकि गाँव के लोग अपने गाँव के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। इसके अतिरिक्त गाँव की भूमि, गाँव की खेती, सिंचाई आदि की व्यवस्था भी गाँव के स्तर पर होती थी और इसमें गाँव को इकाई माना जाता था। इन कार्यों में पूरा गाँव शरीक होता था और इनका लाभ तथा कार्य का प्रभाव पूरे गाँव पर पड़ता था। इसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में भी गाँव एक इकाई था। जातीय मुद्दों को छोड़कर अन्य मुद्दों का निपटारा ग्राम स्तर पर गाँव के मुखिया या पंच करते थे और इनका निर्णय सवको मान्य था। इन कार्यों में मजवूत सामाजिक दवाव था जिसकी अवहेलना प्रायः असंभव था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जातीय, संस्थायें, परम्परायें भी काफी मजवूत है। जातीय संगठन तो आज भी कायम है। जातीय संगठन में विवाह एवं अन्य जातीय विवादों को निपटाया जाता है। इसमें जातीय परम्पराओं का निर्वाह करने तथा उन्हें मजवूत करने पर भी जोर दिया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्राम एवं जातीय संगठन में कहीं भी दुराव या विरोधाभास नहीं होता था उनमें टकराव की स्थिति नहीं आती है। भारतीय समाज का यह एक उज्जवल पक्ष है जिसमें ग्राम की सामाजिक संस्था एवं जातीय संस्था में उच्च स्तर पर समरसता एवं समझदारी पायी जाती है। जातीय झगड़े हो सकते हैं लेकिन सामाजिक संस्थाओं में टकराव देखने में नहीं आता। जातीय संस्थायें तथा ग्राम संस्था ये दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं।

उक्त सामाजिक संस्थाओं में टूटन एवं विखराव सर्व-विदित है। ग्राम संस्थायें तो इतनी विखर गयी हैं कि आज वे वेमानी-सी हो गयी है। जातीय संगठन एवं संस्थायें अपना अर्थ खो चुकी है। उनकी उपयोगिता समाप्त हो रही है। लेकिन दूसरे रूप में जातीय संगठन उभर रहे हैं जो कि पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। वर्तमान जातीय संगठन ग्राम इकाई को जोड़ने के स्थान पर तोड़ने में सहायक हो रहे हैं।

आर्थिक दृष्टि से परम्परागत संस्थायें कई रूपों में संगठित होती रही हैं। पूरा गाँव एक आर्थिक इकाई कभी नहीं रहा लेकिन जो भी आर्थिक कार्य चलते थे उनमें आपसी सहयोग था। सभी कार्य एक-दूसरे से मजवूत व्यवस्था के रूप में वंधे थे। स्वामित्व की दृष्टि से देखें तो परिवार प्राथमिक इकाई थी, आज भी है। भूमि, कृषि, उद्यम,

व्यवसाय सभी की प्राथमिक इकाई था। परिवार उत्पादन के साथ उपभोग की भी इकाई है। लेकिन उत्पादन कार्य में अनेक स्तरों पर आपसी सहकार तथा सेवा का विस्तार हुआ। अपने देश में वर्ण एवं आश्रय इस व्यवस्था का मूल रहा है। कालांतर में इसमें विकृति आती गयी और जाति के नाम से अलग सामाजिक संस्था वनी। जाति व्यवस्था में जाति के निर्धारण का आधार आर्थिक कार्य वना और विभिन्न जातियों के साथ खास प्रकार के उद्यम, कार्य या सेवा से जुड़ गया। जैसे खाती (वढ़ई), लुहार, कुम्हार, माली, चमार, भंगी, नाई, धोवी, गड़रिया आदि। सामान्यतः कृषि कार्य से जुड़े लोग उच्च सामाजिक मान-प्रतिष्ठा की जातियों में गिने गये तथा उच्च कार्य करने वाले को निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। स्पष्ट है कि खेती के अतिरिक्त अन्य उद्यम एवं सेवा कार्य कृषि पर निर्भर रहता है। कृषि उत्तम होने पर सभी को लाभ होता है। आर्थिक संस्थाओं में परिवार एवं जाति के साथ गाँव इकाई का प्रमुख साधन आदि की पहचान तथा सीमा गाँव इकाई पर आधारित है। स्पष्टतः कृषि के साथ पशुधन समाहित है और पशु तो कृषि का ही रहा है। दूसरे शब्दों में पशु ग्राम जीवन का अभिन्न अंग है। वह कृषि, उद्यम तथा सेवा तीनों प्रकार के कार्यों में सहायक है। कुछ जाति समुदाय ने पशु को जीवन का आधार वनाया जिन्हें उन्नत पशुपालक कहा जा सकता है।

भारतीय ग्राम व्यवस्था में आर्थिक कार्य आपसी सहकार से संचालित होते हैं। यह सहकार आपसी विश्वास एवं परम्परा पर आधारित है। आर्थिक सहकार की मौलिक इकाई परिवार को मान सकते हैं। लेकिन इससे आगे परिवार समूह एवं गाँव भी आर्थिक सहकार की इकाई रही है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था, फसल चराई में सहकारी व्यवस्था सर्वविदित है। गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था में सहकार का खास महत्त्व है। राजस्थान के गाँवों में तो पीने के पानी की व्यवस्था में सहकार का खास महत्त्व है। राजस्थान के गाँवों में तो पीने के पानी की सामूहिक व्यवस्था प्रायः सभी गाँवों में देखी जा सकती है।

परम्परागत ग्राम व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर स्वशासित व्यवस्था की तह में जाने पर ऐसे तत्त्व खोजे जा सकते हैं जिसके कारण यह व्यवस्था सैकड़ों वर्षों तक चलती रही। ऐसे तत्त्वों की तलाश भी की जा सकी है जिसके कारण यह व्यवस्था सवको स्वीकार्य रही। सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक एवं न्यायगत व्यवस्था तथा आर्थिक संरचना सभी स्तर पर सहज एवं सर्वमान्य रूप में स्वीकार्य होने के कारणों को संक्षेप में इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

(क) **व्यवस्था का स्वाभाविक विकास** - इस व्यवस्था के विश्लेपण में हम पाते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या यों कहें समाज व्यवस्था

के रूप में संस्थाओं का विकास स्वाभाविक रूप में हुआ। दूसरे शब्दों में आवश्यकता एवं समस्याओं के समाधान के प्रयास के रूप में व्यवस्था का विकास हुआ। इस विकास में गाँव समाज के बुजुर्ग एवं सामाजिक नेतृत्व की प्रमुख भूमिका रही। गाँव के प्रमुख लोगोंने आवश्यकता को देखकर इसे विकसित की तथा इसे परम्परा का रूप दिया। यह व्यवस्था राज्य या अन्य वाहरी संस्था की ओर से लागू नहीं की गयी।

(ख) स्वेच्छा से पालन - इनकी क्रियान्विति में प्रमुख वात यह देखने में आयी कि उनका पालन लोग स्वेच्छा से करते हैं।

(ग) सामाजिक एवं नैतिक दवाव - गाँव समाज में सामाजिक दवाव का प्रमुख स्थान होता है। किसी परम्परा या व्यवस्था का पालन नहीं करने पर गाँव समाज का नैतिक दवाव तथा व्यक्तिगत स्तर पर ग्राम प्रमुख का नैतिक दवाव पड़ता है जिसके कारण परम्परा प्रायः सर्वमान्य हो जाती है।

(घ) ग्राम कुटुंव की भावना - गाँव के लोग गाँव को एक इकाई एवं कुटुंव मान लेते हैं, इस स्थिति में निर्णय एवं परम्परा को मानना आसान हो जाता है। इस भावना का ह्रास ग्राम व्यवस्था में विखराव का प्रमुख कारण है।

2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

भारतीय समाज व्यवस्था में स्वशासन की परम्परा को देखते हुए स्वाधीन भारत में ग्राम एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन एवं विकास के तंत्र को विकेन्द्रित करने का प्रयास प्रारम्भ किया गया। संविधान के निर्माताओं ने भी एक सीमा तक इस विचार को मान्य किया और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इसका समावेश किया गया। संविधान के आर्टिकल 40 के भाग 4 में कहा गया कि राज्य पंचायतों का संगठन करेगा और उसे इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा जिससे गाँव स्वशासन के रूप में कार्य कर सकें। स्पष्ट है ग्राम पंचायतों के गठन, अधिकार कार्य आदि के वारे में राज्य को स्वतंत्रता दी गयी है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों के अधिकार, संगठनात्मक स्वरूप आदि में अंतर है। राष्ट्रीय स्तर पर इस वारे में अध्ययन दलों का गठन किया जाता रहा है जिसके आधार पर राज्यों में पंचायतों का गठन किया गया। माना यह गया कि विकास के कार्य में जनभागीदारी के लिए हर स्तर पर सामान्यजन की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। राज्य एवं केन्द्रीय शासन के लिए प्रतिनिधि मात्र का चयन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तो ग्राम या ग्राम समूह स्तर पर, गाँव के लोगों की भागीदारी आवश्यक है। यह भागीदारी नागरिक प्रशासन, न्यास एवं आर्थिक विकास सभी स्तरों पर आवश्यक है। इस विचार को गति प्रदान करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम कार्यकर्त्ता लगाने की योजना वनी। इस कार्यकर्त्ता शक्ति के माध्यम से ग्राम संगठन, प्रसार तथा विकास कार्य को गति देने का प्रयास प्रारम्भ किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव से यह महसूस किया गया कि गाँव के कमजोर

वर्ग, दस्तकार समुदाय, छोटे किसान, भूमिहीन आदि की भागीदारी सामुदायिक विकास तथा विस्तार कार्यक्रम में नही मिल पाती है। अतः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर कमजोर वर्ग की समग्र भागीदारी के लिए अधिक कारगर प्रयास किया जाना आवश्यक समझा गया। इसी दृष्टि से जनवरी, 1957 में श्री वलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में अध्ययन दल का गठन किया गया।

वलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज स्थापन के वारे में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मान्य किया गया। समिति का मानना था कि विना अधिकार एवं जिम्मेदारी के विकास संभव नहीं है। ग्राम समुदाय का सम्यक विकास तभी संभव होगा जवकि सभी समुदाय के लोग अपनी समस्याओं को समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें तथा स्वयं द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजना की क्रियान्विति कराके विकास को गति प्रदान करें। यह भी आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों- कर्मचारियों पर भी निगरानी रखी जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों का गठन एवं चुनाव की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त अधिकार, आर्थिक साध, संगठनात्मक साधन दिये जायें। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये प्रखण्ड/पंचायत समिति स्तर पर इकाई को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की केन्द्रीय इकाई मानी गयी। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में जिला एवं पंचायत समिति को मजवूत इकाई मानते हुए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थायें गठित करने, कानून वनाने का निर्देश दिया गया जिसके अनुसार राज्यों ने कानून वनाये। मूल सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज की व्यवस्था के गठन की छूट दी गयी। पंचायती राज को राज्य के अधिकार क्षेत्र में माना गया इस कारण राज्यों में इसके स्वरूप, अधिकार, संगठन, साधन आदि की दृष्टि से एकरूपता नहीं है। विभिन्न राज्यों में इसके गठन के लिए कानून वने जिसके पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार, कार्यक्षेत्र आर्थिक साधन आदि का निर्धारण किया गया। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र की परम्परा, परिस्थिति, जन प्रतिनिधियों की राय को ध्यान में रखकर कानून सम्मत अधिकारों का निर्धारण किया। संगठनात्मक दृष्टि से प्रायः सभी राज्यों में पंचायती राज के तीन स्तर माने गये हैं-

(1) जिला स्तर की इकाई

(2) मध्यवर्ती संगठन और

(3) ग्राम या ग्राम समूह स्तर की इकाई। इन इकाईयों के नाम, कार्यक्षेत्र, अधिकार आर्थिक साधन आदि की दृष्टि से काफी अन्तर है।

वलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को वाद में वर्ष 1959 में 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में शुभारंभ देश में विधिवत पंचायती राज की स्थापना की गयी। इसके वाद सामुदायिक विकास एवं प्रसार कार्यक्रम को भी पंचायती राज में शामिल कर लिया गया। राज्यों ने इसके लिए कानून वनाये जिसके अन्तर्गत राज का कार्य प्रारम्भ हुआ। कालक्रम की दृष्टि से देखे तो वर्ष 1959-64 पंचायती राज का प्रारम्भ, प्रयोग एवं विस्तार का काल था। नियमानुसार जन प्रतिनिधियों का चुनाव होने के वाद सभी स्तर की इकाइयाँ गठित की जा चुकी थी। इसके वाद वर्ष 1965 से 69 तक इसका उत्कर्ष काल कह सकते हैं। इस अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को मजवूत करने, जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने, पंचायती राज की भावना जागृत करने तथा अनुकूल वातावरण का प्रयास किया गया। इस कार्य में श्री जयप्रकाश नारायण का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अ. भा. पंचायत परिषद् के माध्यम से गैर सरकारी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को एक सूत्र में वांधने का प्रयास किया। उन्होंने पंचायती की विचारधारा को सैद्धान्तिक एवं लोक स्वराज्य का रूप दिया। इस दौरान पंचायतों को जन प्रतिनिधियों का चुनाव का क्रम भी ठीक रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि शासन दल की दिशा पंचायती राज के अनुकूल नहीं रही। अतः 1969 से ही पंचायती का उपयोग दलीय हित तथा सत्ता कायम रखने के लिये किया जाने लगा। पंचायत राज को त्यागा नहीं गया परन्तु उपेक्षा प्रारम्भ हो गयी। यह उपेक्षा ही इसके गिरावट के लिये पर्याप्त कारण है। वर्षों तक चुनाव न होना, जन प्रतिनिधियों का दलीय ध्रुवीकरण तथा पंचायती राज संस्थाओं की उपेक्षा के कारण पंचायती राज के महत्त्व, कार्य, अधिकार, प्रभाव तथा उसके प्रति विश्वास में कमी आती गयी। इसमें कमी का क्रम आज भी जारी है।

पंचायती राज, जिसे विकेन्द्रित लोकतांत्रिक पद्धति से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास का माध्यम माना गया, उसे अनेक सीमायें एवं विरोधाभास में काम करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। इन सीमाओं एवं विरोधाभासों के कारण इसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। तथा इसके प्रति विश्वास भी घटता जा रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से कुछ अववादों (महाराष्ट्र एवं गुजरात) को छोड़कर प्रायः किसी भी राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को योजना वनाने, उसकी क्रियान्विति का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ उनके पास आर्थिक साधनों का भी अभाव है। वास्तविकता तो यह है कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की ओर से समय-समय पर कार्य सौंपे जाते रहे हैं और उसे वापस भी लिये जाते रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक साधन जुटाने, योजना एवं उसकी क्रियान्विति में सक्षम नहीं वनाया जा सका।

पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय करने में सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य तथा पंचायत के कार्य के बीच संरचनात्मक दृष्टि से एक रूपता का अभाव पाया जाता है। सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी मूलतः विभाग से जुड़े रहे तथा वे काम तथा अन्य सभी दृष्टियों से अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी रहे। इस स्थिति में अनेक कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं की उपेक्षा हो जाती है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अनेक कार्यों में सामान्यजन की भागीदारी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस स्थिति में पंचायती राज के पास गिने चुने कार्य ही रह जाते हैं। इसे समग्र दृष्टि से पंचायती राज नहीं कहा जा सकता। आज भी विकास, प्रशासन की वागडोर नौकरशाही के हाथ में है। नौकरशाही की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं पर भी नौकरशाही का पूरा दवाव है और यह दवाव वढ़ता जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं को मजवूत करने में राजनैतिक इच्छा शक्ति में कमी होती पायी जाती है। स्थानीय तथा ग्राम स्तर पर जिस रूप में जन प्रतिनिधि की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए वह नहीं हो पायी। कई राज्यों में तो वर्षों तक चुनाव नहीं हो सका। कई वार तो प्रशासक नियुक्ति की अवधि काफी लम्वी हो जाती है। सत्ता के विकेन्द्रित हस्तांतरण में ग्राम स्तर के जन प्रतिनिधियों को हर स्तर पर सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की रखी जाती है। लेकिन देखने में यह आता है कि पंचायती राज संस्थाओं पर ऊपरी स्तर के जन प्रतिनिधियों प्रधान, विधायक, सांसद सदस्य, जिला - परिषद् के अध्यक्ष आदि का महत्त्व एवं प्रभाव अधिक होता है। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव भी वढ़ता गया। कहा जा सकता है कि अगर ऊपर के जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव वढ़ा जिसके कारण मौलिक स्तर पर जन प्रतिनिधित्व की उपयोगिता कम होती जा रही है। इस स्थिति में यह कहना उचित होगा कि ग्राम स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था की दिशा में आगे नहीं वढ़ा जा सका है।

3

ग्राम समाज : परिवर्तन की दिशा

प्रगति के प्रयास में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन को एक सीमा तक प्रगति माना जाता है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं है। प्रायः प्रगति के किसी भी विद्या को आगे बढ़ाने पर मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। प्रगति होने पर पहले से चली आ रही व्यवस्था, मान्यताएँ, तकनीक आदि में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति के साथ-साथ परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन के संदर्भ में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले से चली आ रही व्यवस्था, उत्पादन पद्धति, मान्यताएँ, जीवन पद्धति में बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए साइकिल, मोटर साइकिल एवं अन्य साधनों के विकास से परम्परागत वाहनों का उपयोग उत्पादन, विकास कम हुआ है। आने जाने के साधनों में इस परिवर्तन ने जीवन पद्धति को प्रभावित किया है। इसी प्रकार टैक्टर के विकास ने कृषि पद्धति, कृषि तकनीक को प्रभावित किया है। इंजिन - पंप के विकास ने, सिंचाई के परम्परागत तकनीक को गंभीरता से प्रभावित किया है।

प्रगति एवं परिवर्तन की दिशा क्या है, विचारणीय पक्ष हो सकता है। यदि हम सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं एवं उनमें निहित रुढ़ियों, मान्यताओं का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि इनमें प्रगति की दिशा कमजोर एवं धीमी है। उदाहरण के लिए जाति, विवाह, धार्मिक मान्यताओं को ले सकते हैं।

भारतीय समाज में विवाह एक ऐसी पवित्र सामाजिक संस्था है जिस पर समाज की व्यवस्था टिकी है। विवाह परिवार का आधार है। यह एक पवित्र संस्था है जो कि परिवार एवं समाज को सही दिशा प्रदान करती है। इनमें आई त्रुटियों, रुढ़ियों को दूर करने के प्रयास के वावजूद इस दिशा में खास सफलता नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्र में सहज में ही वाल-विवाह देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार विवाह का आर्थिक बोझ एक विकट समस्या वन गयी है। दहेज एवं अन्य प्रकार के खर्च का सम्वन्ध शिक्षा या तथाकथित प्रगतिशीलता से नहीं रह गया है। इस स्थिति की मजवूरी को समझने के वावजूद उसमें मुक्त होना कठिन हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर महिलाओं प्रताड़िता होने की घटनायें देखी जा सकती है। इसी प्रकार विवाह एवं जाति उप जाति की समस्या का विकट है। जवकि विवाह संस्कार का इन समस्याओं से कोई सम्वन्ध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार जाति समाज की गंभीर वुराई है जो कि सामाजिक दूरी वढ़ाता है। पिछले पाँच दशकों में जातीय संकीर्णता दूर करने में खास सफलता नहीं मिली है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से शहरीकरण, तकनीकी विकास एवं अन्य कारणों से शहरी प्रभावी संस्थानों पर जातीय संकीर्णता कम दिखायी देती है। लेकिन लोकव्यवहार में जातीय सीमा कम नहीं हुई है। व्यक्ति सामाजिक व्यवहार में आज भी जातीय सीमा से जुड़ा हुआ है। जातीय भावनाओं का उभार वढ़ा भी है। जातीय, उप जातीय संगठन सहज में देखें जा सकते हैं। लोक व्यवहार, विवाह, तीज-त्यौंहार, परम्परायें, रुढ़िया, पूजा-पाठ आदि में जातीय संकीर्णता कायम है।

विकास एवं परिवर्तन के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि आर्थिक एवं तकनिकी विकास के वावजूद सामाजिक संस्थाओं की त्रुटियों, रुढ़ियों एवं गलत परम्पराओं में सुधार की गति धीमी है। गाँवों में विकास कार्यक्रमों ने इन्हें प्रभावित नहीं किया, इनको सही दिशा नहीं प्रदान की। यह वात ऐसी जातीय समूहों पर विशेष रूप से लागू होती है जो सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित एवं पिछड़ी हैं। जयपुर जिले में चाकसू, चौमू आदि तहसील क्षेत्र में वैरवा, वागरिया, कंजर आदि अनेक जातियाँ हैं जिन्हें विकास के अवसर एवं सुविधाएं मिली लेकिन उनके सामाजिक स्वरूप में खास परिवर्तन नहीं आ पाया है। चाकसू तहसील के भुरटिया की ढांणी गाँव में विकास के अनेक कार्यक्रम चले। इस गाँव में रहने के मकान वने, सिंचाई के कुँए खुदे, भूमि विकास का कार्य चला, तालाव की खुदाई हुई, ग्राम सभा भवन का निर्माण आदि कार्य किये गये। इन कार्यों से इस गाँव के लोगों को आवास सुविधा मिली, कृषि उत्पादन वढ़ा तथा अन्य प्रकार के भौतिक विकास हुए। तथाकथित इस विकास के वावजूद शिक्षा, संस्कार, सामाजिक रुढ़ियाँ, गलत-मान्यतायें, परम्पराएं आदतों में परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो रहे हैं।

उदाहरणार्थ गाँव में शिक्षा के प्रति अरुचि, वाल शिक्षा एवं विद्यालय भेजने की जागरुकता की कमी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक सफाई, वाल-विवाह, संस्कार आदि की सही दिशा का अभाव है।

यहाँ एक अन्य पक्ष पर विचार करना उचित होगा। प्रगति के नाम पर उपभोग या अन्य उपकरणों का उपयोग करते देखा जा सकता है। इन उपकरणों में संचार एवं निजी उपयोग की चीजें जैसे घड़ी, ट्रांजिस्टर का उपयोग सहज में देख सकते हैं। आगे वढ़ें तो टी.वी. भी देख सकते हैं। निजी उपयोग में स्टील के वर्तन, जूते, अच्छे कपड़े का उपयोग आगे का कदम है। प्रेरित करने पर शिक्षा में रुचि पायी जाती है। विद्यालय की सुविधा होने पर गिने चुने परिवार के छोटे वच्चे अनियमित रूप से विद्यालय जाते हैं। लेकिन परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर कम पड़ता देखा जाता है। यहाँ तक कहना उचित होगा कि शिक्षा एवं आर्थिक प्रगति के वावजूद जाति विवाह, तथा सामाजिक परम्पराओं, खासकर रुढ़िगत मान्यताओं में खास परिवर्तन नहीं दिखते। यह भी कहा जा सकता है कि परिवर्तन मात्र नकल या गलत पटरी पर चलने वाला है जो कि व्यक्ति, परिवार और समाज को दिशाहीन कर सकता है। गाँव के परिपेक्ष में गाँव दिशा हीनता की ओर वढ़ सकता है, वढ़ रहा है। आज गाँव की अपनी कोई दिशा नहीं है।

4

अध्ययन की आवश्यकता, उद्देश्य एवं पद्धति

आजादी के वाद पुरानी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो सामंती एवं जागीरी व्यवस्था के स्थान पर लोकतांत्रिक शासन कायम होने के वाद ग्राम समाज में विकास को नयी दिशा मिली। सामंती एवं जागीरदारी व्यवस्था में सामाजिक सरंचना, आर्थिक व्यवस्था तथा विकास की अवधारणा विलकुल भिन्न थी। सामाजिक भेदभाव, वर्गभेद का सामंती स्वरूप था जवकि आर्थिक क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था, भूमिका समाज के खास समुदाय में केन्द्रित होना, राजनैतिक व्यवस्था के लोकतंत्रीय मानस का अभाव, किसी भी कार्य में खासकर विकास में जनभागीदारी की कमी सहज में देखा जा सकता था। यहाँ यह स्वीकार करना उचित होगा कि परम्परागत व्यवस्था में सहकार एवं कार्य में भागीदारी की मजवूत व्यवस्था थी। परिवार समूह एवं ग्राम स्तर पर कृषि एवं अन्य कार्यों में आपसी सहकार की व्यवस्था थी। यह भी कहा जा सकता है कि ग्राम समाज में सहकार, सामूहिकता, निर्णय और कार्य में जनभागीदारी की पुरानी परम्परा रही है। सामंती एवं जागीरी शासन व्यवस्था ने इसे प्रभावित नहीं किया दोनों साथ-साथ चलते थे। ग्राम, परिवार, परिवार समूह एवं जाति स्तर पर शासन, अनुशासन, विकास एवं व्यवस्था का जो स्वरूप था उसमें सामंत (राजा) जागीदारी का हस्तक्षेप प्रायः नहीं था। लेकिन सामान्य प्रशासन, व्यवस्था, सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचे में सामंत एवं जागीरदारी की भूमिका शोषक की थी। यह शोषण एवं अन्याय की याद आज भी कायम है। आजादी के वाद इस परम्परागत व्यवस्था का किला ढ़ह गया। उस

समय तो लोगों को यह विश्वास भी नहीं होता था कि राजा, जमींदार, जागीरदार की व्यवस्था वास्तव में समाप्त होगी, इतनी जल्दी समाप्त होगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम व्यवस्था एवं विकास की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन की भूमिका वनी। लोकतंत्रीय शासन पद्धति में विकास की अवधारणा में परितर्वन आया तथा विकास का लक्ष्य निर्धारण हुआ। कल्याण एवं विकास के नाम पर अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। ग्राम विकास के इन कार्यक्रमों में जन भागीदारी की दृष्टि से संस्थागत ढाँचा खड़ा किया जाने लगा। पंचायती राज के नाम पर खड़ा किया गया इस ढाँचे से व्यापक अपेक्षाएं रखी गयी। समुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गाँव में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास प्रारंभ किया गया। यह अपेक्षा रखी गयी कि इसमें हर स्तर पर जनभागीदारी रहेगी और विकास का लाभ सबको मिले। समाज के कमजोर वर्ग को विकास का अधिक अवसर मिले तथा नेंतृत्व, विकास कार्यक्रम में भी उनकी भागीदारी रहे इस दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं में अ.ज़ा., अ.ज़.ज़ा., महिलाओं आदि को समुचित स्थान देने का प्रयास किया गया। यह अपेक्षा रखी गयी कि विकास प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़े।

प्रस्तुत अध्ययन में आजादी के वाद ग्राम विकास की प्रक्रिया का विश्लेपण करने का प्रयास किया है। इसमें उन मुद्दों की तलाश करने का प्रयास किया गया है जो कि ग्राम विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे विकास प्रक्रिया के कमजोर तथा प्रभावी दोनों तत्त्व उभर कर सामने आ सकेगें।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों को शामिल करने का प्रयास किया गया है:

1. गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति का विश्लेपण—सर्वेक्षित परिवारों का सामाजिक स्थिति के संदर्भ में आर्थिक विकास की दिशा।

2. विकास में ग्रामीण की भागीदारी—गाँव के विकास कार्यों में भागीदारी की प्रकृति, स्वरूप एवं उसके प्रकार।

3. शैक्षणिक गतिशीलता—शिक्षा विकास का प्रमुख मामदण्ड है। इसकी माप जागरूकता, कार्य के प्रति जुड़ाव, विकास कार्यक्रमों की पकड़ आदि को देखकर की जा सकती है। सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, सामाजिक विकास एवं कल्याण के कार्य भी शिक्षा के साथ जुड़े हैं। शिक्षा के माध्यम से इन आयामों की दिशा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

4. आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय का विकास—इस समुदाय के विकास की दिशा को विकास का मापदंण्ड माना जा सकता है।

उक्त विषयों की गहराई में जाने के लिए निम्नलिखित मुद्दों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है:

1. गाँव के विभिन्न सामाजिक समुदायों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण।

2. गाँव में निर्णय प्रक्रिया का विकास किस सीमा तक हो सका है इसकी संक्षिप्त व्याख्या।

3. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (पंचायती राज) संस्थाओं के अस्तित्व में आने के वाद इन संस्थाओं द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्य कहाँ तक पूरा किया जा सका।

4. निर्णय प्रक्रिया को जातीय भेदभाव किस सीमा तक प्रभावित करता है, खासकर ग्राम पंचायत की संस्थाओं में जातीय तत्त्व कहाँ तक प्रभावी है।

5. कहा जाता है कि साक्षरता वढ़ रही है। क्या समाज के कमजोर वर्ग को भी इसका लाभ मिल रहा है? पिछले वर्षों में शिक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन का कौन-सा समुदाय लाभ ले रहा है? क्या शिक्षा पूरे समुदाय को दिशा प्रदान कर रहा है? ग्राम समाज एवं मौजूदा शिक्षा पद्धति के वीच किस सीमा तक तालमेल है?

6. गाँव के गरीव एवं पिछड़े समुदाय गरीवी मुक्ति से सम्वन्धित कार्यक्रमों का लाभ किस सीमा तक ले सका है? इन कार्यक्रमों का क्या परिणाम हुआ एवं प्रभाव पड़ा?

7. गाँव के मिला समुदाय में किसी सीमा तक परिवर्तन आया है? और इस परिवर्तन ने ग्राम समाज को किस सीमा तक प्रभावित किया है। सामाजिक परिवर्तन, खासकर ग्राम पंचायत, आर्थिक विकास, सहकारिता आदि संस्थाओं में महिलाओं की क्या भूमिका है? महिलाओं के प्रति भेद भाव में किस सीमा तक कमी आयी है?

8. विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया में रोजगार के लिए स्थानांतरण (गाँव के वाहर जाना) को वढ़ाया है। इसी के साथ-साथ शिक्षा ने भी गाँव से वाहर जाने की प्रवृत्ति को वढ़ाया है? इन मुद्दों के गहराई में जाने का प्रयास किया गया है।

पद्धति

अध्ययन की विषय-वस्तु एवं क्षेत्र की व्यापकता में गाँव को देखते हुए पूरे गाँव को सर्वेक्षण की इकाई माना गया है। अध्ययन में गाँव के सभी परिवारों को शामिल किया गया है। इस दृष्टि से प्रारंभिक जानकारी सभी परिवारों से एकत्र की गयी है। विषय की गहराई में जाने की दृष्टि से कुछ परिवारों से विशेष जानकारी भी एकत्र की गयी है। सामाजिक विषयों, परिवर्तन की प्रक्रिया, जनभागीदारी, विकास का लाभ, विकास के बारे में राय आदि पक्षों की जानकारी के लिए लोगों के साथ चर्चा करना, डायरी रखना, सामान्य एवं विशेष साक्षात्कार की पद्धति अपनायी गयी है।

गाँव का चयन

प्रस्तुत अध्ययन को एग्रो - इकॉनोमिक रिसर्च सेंटर, वल्लभ विद्या नगर, गुजरात (1964) द्वारा किये गये अध्ययन के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। फिर भी इसे पुनः सर्वेक्षण (Resurvey) कहना उचित नहीं होगा। अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करते समय कुछ मुद्दों की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से पूर्व अध्ययन के तथ्यों का तुलनात्मक रूप से, उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए गाँव चयन में एक गाँव हस्तेड़ा (जयपुर जिला) पूर्व अध्ययन का लिया गया है। वर्ष 1964 में इस गाँव का अध्ययन एग्रो इकॉनामिक रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया था। इस गाँव के चयन की पीछे एक मंशा यह भी रही है कि एक ऐसा गाँव हो जहाँ विकास के अधिक संसाधन उपलब्ध हुए हैं। आवादी की दृष्टि से भी वड़ा गाँव है। उक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हस्तेड़ा गाँव का चयन किया गया।

इसी के साथ तुलनात्मक दृष्टि से छोटे गाँव को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। दूसरा गाँव हस्तेड़ा के पास का ही चुना गया है। चयन के समय इस वात का ध्यान रखा गया है कि ऐसे गाँव में आवागमन, संचार, कृषि विकास, सिंचाई के साधन तथा अन्य प्रकार का विकास तुलनात्मक दृष्टि से कम हुआ हो। इस सन्दर्भ में हस्तेड़ा से 4 कि.मी. दूरी पर स्थित धम्मा का वास गाँव को अध्ययन में शामिल किया गया है। इस गाँव का पहले अध्ययन नहीं किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस गाँव का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश हस्तेड़ा के समान ही है।

इस प्रकार अध्ययन में जयपुर जिले के गोविन्दगढ़ पंचायत समिति का हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास इन दो गाँवों को शामिल किया गया है।

तथ्य संग्रह

तथ्य संग्रह की दृष्टि से निम्नलिखित अनुसूची- प्रश्नावती का उपयोग किया गया–

1. परिवार गणना अनुसूची - इस अनुसूची को गाँव के सभी परिवारों से भरा गया है। इससे परिवार की जनसंख्या, जमीन, शिक्षा, पशुधन, रोजगार आदि की जानकारी प्राप्त की गयी है।

2. परिवार अनुसूची - गाँव के कुछ परिवारों को नमूने के अध्ययन के लिए चुना गया। इस परिवारों से विषय से संवंधित व्यापक जानकारी तथा राय प्राप्त की गयी। नमूने के अध्ययन के लिए परिवारों के चयन में जाति एवं जोत श्रेणी को आधार माना गया है।

3. ग्राम अनुसूची - गाँव एवं संस्थागत जानकारी के लिए ग्राम अनुसूची का उपयोग किया गया है। इस प्रश्नावली में गाँव की सामान्य जानकारी के साथ-साथ ग्राम पंचायत, विकास कार्यक्रम, शिक्षण संस्था, सुविधायें आदि से सम्वन्धित जानकारी एकत्र की गयी।

अध्ययन की व्यापकता को देखते हुए गाँव के लोगों से खुली चर्चा की गयी तथा नोट तैयार किया गया। इस पद्धति से व्यापक जानकारी प्राप्त हुई तथा विषय से सम्वन्धित विविध मुद्दों पर राय मालूम हुई।

सैंपल साइज

तथ्य संग्रह की दृष्टि से दो स्तर पर सैंपल का निर्धारण किया गया है (1) संपूर्ण गाँव। इस दृष्टि से गाँव के सभी परिवारों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के समय चयनित दोनों गाँवों में परिवार संख्या इस प्रकार पायी गयी:

सारणी संख्या 1:1

परिवार गणना

	गाँव	*कुल परिवार संख्या*
1.	हस्तेड़ा	565
2.	धम्मा का वास	64
	योग	629

इस प्रकार दोनों गाँवों में कुल 629 परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। इन परिवारों से निर्धारित अनुसूची के अनुसार परिवार से जानकारी प्राप्त की गयी। इस प्रकार दोनों गाँवों के सभी परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है।

गाँव के कुछ परिवारों को रैंडम पद्धति के अनुसार नमूने के अध्ययन के लिए चयनित किया गया। इन चयनित परिवारों से परिवार-अनुसूची के अनुसार जानकारी प्राप्त की गयी। नमूने के अध्ययन में निम्नलिखित अनुसार परिवारों की चयन किया गया:

सारणी संख्या 1:2

नमूने का परिवार सर्वेक्षण

	गाँव का नाम	*कुल परिवार*	*चयनित परिवार*
1.	हस्तेड़ा	565	156
2.	धम्मा का वास	64	48
	योग	629	204

सर्वेक्षित सैंपल के विभिन्न समुदायों का सम्यक प्रतिनिधित्व हो इस दृष्टि से हस्तेड़ा के विभिन्न मुहल्लों एवं ढांणियों की सूची एवं परिवार संख्या तैयार कर नमूने के अध्ययन के लिए परिवारों का चयन किया गया। मुहल्ला व ढांणियों के अनुसार परिवार एवं चयनितों की स्थिति इस प्रकार है:

सारणी संख्या 1:3

नमूने के अध्ययन का सामाजिक संदर्भ - हस्तेड़ा

	मुहल्ला एवं ढांणी	*कुल परिवार*	*चयनित परिवार*
1.	जोशी मुहल्ला	55	15
2.	मुस्लिम मुहल्ला	29	12
3.	चेजारा मुहल्ला	24	8
4.	तेली - सुनार मुहल्ला	58	14
5.	पुराना वस स्टेण्ड	76	20

Contd...

Contd...

6.	बलाई मुहल्ला	23	8
7.	रेगर मुहल्ला	85	22
8.	मीणा मुहल्ला	32	8
9.	नारनोलियों की ढांणी	11	3
10.	लालपुरा ढांणी	43	12
11.	वाड़यावाली ढांणी	31	8
12.	पडोल्यावाली ढांणी	12	3
13.	ढेरयावाली ढांणी	12	3
14.	नीलयैलीवाली ढांणी	46	11
15.	धीमावाली ढांणी	28	8
	योग	565	156

इस प्रकार सर्वेक्षण के समय सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसका ध्यान रखा गया है। धम्मा का वास गाँव में रैंडम पद्धति को आधार माना गया क्योंकि यह गाँव एक स्थान पर वसा है। जातीय विविधता कम है तथा गाँव भी छोटा है। इस गाँव के 64 परिवारों में से 48 परिवारों को नमूने के अध्ययन में शामिल किया गया है।

भाग - 2

ग्राम सर्वेक्षण : नमूने का अध्ययन

5

ग्राम परिचय : हस्तेड़ा

हस्तेड़ा ऐसा गाँव है जहाँ विकास के अनेक कार्यक्रम चले तथा मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। पूर्व अध्ययन के समय (वर्ष 1961-62) से तुलना करें तो गाँव में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पिछले 30 वर्षों में गाँव के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा जीवन एवं जीविका के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। प्रस्तुत अध्याय में गाँव का सामान्य परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देते हुए गाँव, परिवार, जाति, जनसंख्या, सुविधाएँ आदि की जानकारी प्रस्तुत की गयी है। पिछले अध्ययन की स्थिति को भी स्पष्ट करने, स्मरण करने का प्रयास है।

ग्राम हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास राजस्थान के भौगोलिक दृष्टि से ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। जयपुर एवं सीकर जिले की सीमा पर स्थिति इन दोनों गाँवों की संस्कृति शेखावटी से प्रभावित है जहाँ शेखावत राजपूत प्रशासन की दृष्टि से प्रभावी रहे हैं तथा कई गाँव उनके नाम से वसे हैं। हस्तेड़ा भी राजपूत जमींदार का गढ़ था जिसका अवशेष एवं स्मरण अभी भी कायम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हस्तेड़ा गाँव 300 वर्ष से भी अधिक पुराना है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह गाँव करीव 1200 वर्ष पुराना है, गाँव के संस्थापक श्री हाथी सिंह गौड़ माने जाते हैं। कालांतर में श्री हाथी सिंह का ढूंढ़ाड राजा से मतभेद हो गया और उन्हें गाँव छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि सन् 1700 के आस-पास उन्होंने गाँव छोड़ दिया उसके वाद ढूंढ़ाड राजा ने इस गाँव को अपनी रानी के नाम कर दिया। गाँव का प्रशासन रानी के निर्देशन में होने लगा।

इसे 'रानी का राज' का गाँव भी कहा गया। इस प्रकार हस्तेड़ा जयपुर राज्य का एक गाँव रहा।

हस्तेड़ा पुराना गाँव होने के कारण गाँव को अनेक उतार-चढ़ाव देखने पड़े। पिछले 300 वर्षों के पूर्व की ज्यादा जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि हस्तेड़ा इस क्षेत्र का केन्द्रीय गाँव तथा व्यापारिक केन्द्र था। यह व्यापारियों के आवागमन का मार्ग एवं ठहराव का स्थान था। परम्परागत वाजार एवं मंडी भी थी। इसके वावजूद गाँव को कई वार उजड़ने, परिवार घटने-वढ़ने का कष्ट देखना पड़ा। संस्थापक परिवार श्री हाथी सिंह गौड़ का राजा से मतभेद होने पर एक वार गाँव में उठा-पटक हुई, लड़ाई हुई। उस समय काफी लोग गाँव छोड़ कर गये। यह सन् 1700 के आस-पास का समय था। उसके वाद गाँव एक वार पुनः समृद्ध हुआ। करीब दो सौ वर्षो तक गाँव सामान्य स्थिति में रहा। उन्नीसवीं शदी के प्रारंभ (वर्ष 1899-1900 के आस-पास) में गाँव पर पुनः संकट आया। इन वर्षों में गाँव में तथा पास-पड़ोस के क्षेत्रों में प्लेग तथा अन्य महामारी फैली। इन दिनों गाँव की आवादी करीव 7000 थी। क्षेत्र का वड़ा तथा केन्द्रीय गाँव माना जाता था। महामारी के कारण काफी लोग मरे तथा गाँव छोड़कर चले गये। गाँव में संकट का दौर समाप्त नहीं हुआ। हस्तेड़ा गाँव मेंड़ा नदी के किनारे है। गाँव का नदी के वाढ़ एवं भूमि कटाव शुरु हुआ। वाढ़, भूमि कटाव रेतीले टीलों के विस्तार के कारण गाँव के करीव एक तिहाई मकान टीलों के चपेट में आ गये। आज भी अनेक मकानों का आधा हिस्सा रेत में डुवा हुआ है। इस प्रकार वीसवीं शदी के प्रथम दो तीन दशकों (1900-1925) तक अनेक प्रकार के प्राकृतिक संकट आये। इन संकटों के कारण गाँव की आवादी में काफी कमी आयी। आवादी 7000 से घटकर करीव 2500 रह गयी। हस्तेड़ा पुराना गाँव होते हुए भी इस शदी के प्रथम तीन दशकों तक प्राकृतिक प्रकोप के कारण उजड़ता गया। वाढ़ एवं रेतीले टीवों में दवे तथा भूमि रेत से पट जाने के कारण उनकी उत्पादकता घटी। इस स्थिति को देखते हुए काफी संख्या में लोग गाँव छोड़ गये तथा कुछ परिवार अपने खेतों पर जा वसे। खेतों पर वसे परिवार गाँव से संवद्ध ढाँणियों के रूप में जाना जाने लगा। पिछले 4 दशकों में जो ढाँणियाँ वनी उनमें मुख्य ये हैं :

1. नारनोलियों की ढाँणी
2. लालपुरा ढाँणी
3. वाडयावाली ढाँणी
4. पडोल्या की ढाँणी

5. ढेरयावाली ढाँणी

6. नीलयैलीवाली ढाँणी

7. धीमावाली ढाँणी

इन ढाँणियों में मुख्यतः कृपक परिवार रहते हैं। जिनकी जमीन जहाँ थी वहीं जाकर वस गये और वाद में उसी नाम से अनेक परिवारों की ढाँणी वन गयी। मूल गाँव में कृषि पर कम निर्भर परिवार रह गये। जातीय दृष्टि से देखें तो वनिया, व्राह्मण, मुसलमान, दस्तकार जातियाँ मूल गाँव में रह गयी।

हस्तेड़ा पहुँचने के लिए जयपुर-सीकर मार्ग को गोविन्द गढ़ छोड़ना पड़ता है। गोविन्दगढ से कालाडेरा होते हुए वस द्वारा हस्तेड़ा पहुँचा जा सकता है। दूरी की दृष्टि से जयपुर से हस्तेड़ा 53 कि.मी. दूर है। प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिला, आमेर तहसील तथा गोविन्दगढ़ पंचायत समिति से जुड़ा है। तहसील कार्यालय आमेर की दूरी 63 कि.मी. है। जयुपर से हस्तेड़ा तक राजस्थान परिवहन निगम की नियमित वस सेवा है। प्रतिदिन 6 वसें हस्तेड़ा तक आती-जाती हैं। हस्तेड़ा, कालाडेरा, चौमू, रेनवाल आदि स्थानीय कस्वों से जुड़ा हुआ है। रेल सुविधा की दृष्टि से अनुकूलता नहीं है। इस गाँव में दो रेलवे-स्टेशनों से सम्पर्क सध सकता है। वधाल स्टेशन की दूरी 9 कि.मी. है। यह स्टेशन रींगस-रेवाड़ी मार्ग पर स्थित है। दूसरा रेलवे स्टेशन चौमू की गाँव की दूरी 19 कि.मी. है। यह जयपुर-सीकर मार्ग का स्टेशन है। इस प्रकार रेलवे स्टेशन का खास लाभ नहीं मिल पाता है। आवागमन में मुख्य मार्ग सड़क है। सड़क मार्ग पर वसें जीप आसानी से उपलव्ध है। यह तो आवागमन की स्थित है। पूर्व अध्ययन के समय स्थिति इससे सर्वथा भिन्न थी। वर्ष 1961-62 में गाँव सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा था। रास्ता कच्चा एवं रेतीला था। गाँव का जुड़ाव रेनवाल से अधिक था। वधाल एवं चौमू के वीच अनियमित वसे जाती थीं। इस समय मात्र एक प्राइवेट वस चलती थी, वह भी अनियमित। इस स्थिति में लोग पैदल, ऊंटगाड़ी, ऊंट, आदि से आते थे और वहाँ से सीकर-जयपुर मार्ग के वीच चलने वाली वस से वाहर आते-जाते थे। इस स्थिति में गाँव से वाहर जाने की प्रवृति कम थी। सामान्यतः लोग गाँव में ही रहते थे।

ग्राम संरचना (वसावट)

हस्तेड़ा का मूल वसावट एक स्थान पर है। मुख्य गाँव मेदा नदी के किनारे वसा है। इसके अतिरिक्त जोगी की ढाँणी तथा लालपुर नाम की ढाँणी गाँव से जुड़ी है। मेदा नदी के उस पार भी कुछ परिवार वसे हैं। इस प्रकार कई परिवार अपने खेतों पर वस

गये है।

पुराना गाँव होते हुए भी वसावट में एक रूपता देखी जा सकती है। गाँव का मुख्य मार्ग पूरव से पश्चिम की ओर जाता है। इस मार्ग के वीच में पुराना पेड़ है जिसका उपयोग ग्राम वैठक के रूप में होता है। आज भी इस स्थान पर लोग वैठे मिलेगें। इस स्थान पर लोक व्यवहार की वार्तो के अतिरिक्त भिन्न समुदायों के लोग आपसी वार्ते करते मिलेगें। ग्राम चौक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इस दृष्टि से इस स्थान पर हमेशा हलचल वनी रहती है। सभा, सम्मेलन, प्रचार, सूचनाओं का यह प्रमुख स्थान है। पूरव से पश्चिम की यह सड़क मुख्य वाजार भी है। गाँव की प्रमुख दुकानें भी इसी मार्ग पर है। इसके अतिरिक्त 6-7 अन्य गलियाँ हैं जो कि गाँव के विभिन्न समुदायों के घरों तक पहुँचाने के मार्ग हैं। इनमें कुछ गलियाँ चौड़ी तथा कुछ सकरी है। सामान्यतः सभी गलियाँ मुख्य मार्ग से जुड़ती हैं। मुख्य सड़क से पश्चिम की ओर की गली में मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक रहते हैं। पूरव की गलियों में कुम्हार, रैगर जैसी दस्तकार जातियाँ है। उच्च जातियों के परिवार मुख्यतः वाजार की सड़क तथा उससे जुड़ी गलियों में वसे है। मकान के सन्दर्भ में देखे तो कहा जा सकता है कि उच्च हिन्दू जाति के परिवारों के मकान तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे हैं, पक्के हैं। अनुसूचित जाति के मकान प्रायः कच्चे हैं। विभाजन के समय (1947-48) गाँव के काफी मुसलमान गाँव छोड़कर वाहर चले गये थे। हाल के वर्षों में खाड़ी देशों में जाकर काम करने के कारण मुस्लिम समुदाय के परिवार अच्छे मकान वना रहे हैं।

भू संरचना (भूमि का उपयोग)

हस्तेड़ा तथा आस-पास के गाँव समतल क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ एवं जंगल का अभाव है। खेतों में वृक्ष अवश्य हैं। यह रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रारम्भ स्थल है, इस कारण जगह-जगह रेत के टीवे देखे जा सकते हैं। जमीन पूर्णतः रेतीली है। गाँव के पूरव एवं पश्चिम की दिशा में रेत के टीवे देखे जा सकते हैं। हस्तेड़ा गाँव के कुछ हिस्से की जमीन में खारपन भी है। इस खारपन का एक कारण मेदा नदी का वहाव हो सकता है जो कि सांभर झील के वहाव से जुड़ा हुआ है। सांभर झील नमक उत्पादन का प्रमुख जलाशय है। जैसा कि अन्यत्र कहा गया है मेदा नदी के भूमि कटाव, भूमि में रेत को फैलाने की प्रवृत्ति, टीवों के विस्तार के कारण गाँव की भू संरचना में परिवर्तन हुआ है। वड़े क्षेत्र की कृषि भूमि के रेतीली टीवे का विस्तार हुआ, कटाव हुआ तथा भूमि की उत्पादकता कम हुई। इस स्थिति को देखते हुए वर्ष - *1960-65* के दौरान राज्य सरकार के वन एवं कृषि विभाग की ओर से भूमि कटाव रोकने के कार्यक्रम हाथ में लिये गये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत

खाली पड़ी जमीन पर पेड़ लगाने-वन विस्तार का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कटाव रोकने वाली झाड़ियाँ लगाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का ही परिणाम है कि गाँव के चारों ओर, खासकर पश्चिमी क्षेत्र में पेड़ एवं झाड़ियाँ देखे जा सकते हैं। इस प्रयास से टीवों का वढ़ता रुका तथा भूमि कटाव भी कम हुआ। कृषि भूमि पर रेत का विस्तार भी प्रतिबंधित हुआ। पिछले तीन दशकों में इस स्थिति में परिवर्तन आया। अव नदी में वाढ़ प्राय: नहीं आती। वर्षों से वाढ़ नहीं आयी। इस कारण कटाव का प्रश्न नहीं आया।

टीवों का विस्तार भी रुका है। लेकिन रेत में डूवे मकान आज भी देखे जा सकते हैं। पूर्व अध्ययन के समय काफी संख्या के कुँए थे, उस समय कुल 72 कुँए पाये गये थे। कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थी क्योंक वाढ, भूमि कटाव आदि कारणों से कुँए खराव हो गये थे। स्पष्ट है उन दिनों कुँओं की पर्याप्त संख्या के वावजूद कृषि हो रही भूमि में से मात्र 5 प्रतिशत भूमि पर दो फसल होती थी।

ग्राम स्तर पर प्राप्त भूमि सम्वन्धी जानकारी के अनुसार हस्तेड़ा में कुल 1964-37 हैक्टी. भू क्षेत्र है। इस भूमि का उपयोग इस रूप में होता पाया गया।

सारणी संख्या 2 :1

हस्तेड़ा ग्राम में भूमि का उपयोग (हेक्टर में)

	विवरण क्षेत्र		*(1961-62 सर्वेक्षण)*	*वर्तमान स्थिति*
1.	वन	–	–	413
2.	वारानी	–	519	69
3.	गैर कृषि भूमि	–	41	–
4.	कृषि योग्य वेकार	–	346	278
5.	स्थायी चारागाह आदि	–	112	–
6.	विविध उपयोग की भूमि, पेड़, झाड़ आदि	–	4	–
7.	पेलों भूमि	–	328	166
8.	वोया गया कुल क्षेत्र	–	614	1623
9.	सिंचित दो फसली क्षेत्र	–	41	1099
10.	असिंचित कृषि भूमि	–	573	524

सारणी पिछले अध्ययन एवं वर्तमान स्थिति का परिचय देता है। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य है। पूर्व सर्वेक्षण के वाद विकास कार्यक्रम एवं भू-सेंटलमेंट के कारण भूमि की मात्रा में अन्तर आया। पहले कुल क्षेत्रफल 1964.37 हैक्टर था जवकि वर्तमान में गाँव का कुल भू क्षेत्र 2610 हैक्टर है। इस दौरान वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, सरकार ने वन क्षेत्र घोषित किया। इसी प्रकार कृषि हो रही जमीन 614 हैक्टर से वढ़कर 1623 हैक्टर हो गया। सिंचित क्षेत्र 41 से वढ़कर 1099 हैक्टर हो गया। तथ्यों से स्पष्ट है कि जो भूमि वेकार थी, खेती नहीं होती थी उन्हें सुधार कर कृषि योग्य वनाकर खेती प्रारम्भ की गयी।

सुविधायें

सर्वेक्षित गाँव हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास दोनों की स्थिति में सुविधाओं की दृष्टि से अन्तर देखा जा सकता है। धम्मा का वास ऐसा गाँव है जहाँ सुविधा के नाम पर प्रायः कुछ भी नहीं है। सभी सुविधाओं के लिए हस्तेड़ा या अन्य गाँवों पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु हस्तेड़ा में ग्राम स्तर पर मिलने वाली प्रमुख सुविधायें मौजूद हैं। पिछले अध्ययन के सन्दर्भ में देखे तो सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। पिछले अध्ययन के समय आवागमन के साधन नहीं थे। शिक्षा की दृष्टि से लड़कों का 8वीं कक्षा तक, लड़कियों का 5वीं कक्षा तक अलग विद्यालय थे। पंचायत राज कायम होने पर हस्तेड़ा में ग्राम पंचायत का गठन किया गया और आज भी है। सन् 1959 में ग्राम पुस्तकालय का गठन किया गया था। गाँव में युवा मण्डल, सांस्कृतिक केन्द्र आदि की परम्परा भी रही है। पिछले 30 वर्षों में सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्तमान में गाँव में मुख्यतः ये सुविधायें मौजूद है:

1. पक्की सड़क
2. नियमित वस सेवा
3. डाक एवं तार घर
4. विजली
5. पेयजल हैण्ड पंप
6. ग्राम पंचायत भवन

7. सहकारी समिति
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
9. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा की सुविधा
10. पुस्तकालय
11. युवा मण्डल
12. वैंक (ग्रा. आं.)
13. आयुर्वेद औषधालय
14. जलदाय विभाग
15. पशु औषधालय

हस्तेड़ा के वाजार का पर्याप्त विकास हुआ है। इस समय विभिन्न प्रकार की दुकानों की संख्या इस प्रकार है:

(1)	परचूनी की दुकानें	–	25
(2)	कपड़े की दुकानें	–	9
(3)	चाय की दुकानें	–	10
(4)	साईकिल मरम्मत	–	3
(5)	अन्य	–	6
(6)	दवा की दुकानें	–	2

ग्राम धम्मा का वास सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी स्थिति में है। गाँव में सुविधाओं का अभाव है तथा इस सुविधाओं के लिए दूर के गाँवों पर निर्भर करता है। सारणी 2 : 2 में सुविधाओं की स्थिति दी जा रही है।

जानकारी से स्पष्ट है कि गाँव धम्मा का वास के लोगों को मूलभूम सुविधाओं के लिए पास-पड़ौस के गाँवों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सुविधाओं के लिए न्यूनतम 3-4 कि.मी. चलना पड़ता है।

सारणी संख्या 2 : 2

थम्मा का वास में सुविधाएँ

	विवरण	*गाँव में है*	*गाँव की दूरी*
1.	प्राथमिक विद्यालय गाँव में है		
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय		आलीसर 3 कि. मी.
3.	माध्यमिक विद्यालय		हस्तेड़ा 4 कि. मी.
4.	स्वास्थ्य केन्द्र		हस्तेड़ा 4 कि. मी.
5.	पशु औषधालय		हस्तेड़ा 4 कि. मी.
6.	डाकघर		आलीसर 3 कि. मी.
7.	तारघर		हस्तेड़ा 4 कि. मी.
8.	सड़क		आलीसर 3 कि. मी.
9.	बैंक		हस्तेड़ा 4 कि. मी.
10.	सहकारी बैंक		चौमू 20 कि. मी.
11.	दूकानें		हस्तेड़ा 4 कि. मी.
12.	सहकारी समिति		हस्तेड़ा 4 कि. मी.
13.	ग्राम पंचायत		आलीसर 3 कि. मी.
14.	विजली खेत में कुँओं पर है। घरों में नहीं है।		

6

सामाजिक संरचना : जाति, जनसंख्या और जमीन

ग्राम समाज की व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक है कि उसके सामाजिक सम्बन्धों एवं उस से विकसित सामाजिक संस्थाओं को समझा जाय। भारतीय समाज व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है। सामाजिक व्यवस्था मुख्यतः दो सामाजिक संस्थाओं पर टिकी हुई है (1) जाति (2) परिवार। ये दोनों सामाजिक व्यवस्थायें आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं सामाजिक ढाँचें को प्रभावित करती हैं। इनमें मुख्यतः विवाह, धार्मिक मान्यताएं प्रमुख हैं। प्रस्तुत अध्याय में जातिगत संरचना पर विचार करेंगे तथा इस विवेचन में संख्यात्मक पक्ष को शामिल कर विषय को आगे वढ़ायेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जाति मूलतः किसी खास व्यवसाय से जुड़ी रहा है। हाल के वर्षों में जाति एवं व्यवस्था की दूरी वढ़ती जा रही है। अनेक परिवार जातीय धन्धा छोड़ कर अन्य कार्यों में लग रहे हैं। फिर भी जाति को देखकर आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

क - हस्तेड़ा

हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास दोनों गाँव विविध जातियों के है। हस्तेड़ा में तो प्रायः सभी प्रकार की हिन्दू जातियाँ है, जवकि धम्मा का वास में जातियों की संख्या कम है। जाति को आधार मानकर परिवार संख्या, जोत श्रेणी, रोजगार की स्थिति आदि मुद्दों पर विचार

* इस अध्याय में पूरे गाँव से सम्बन्धित - ग्राम सर्वेक्षण के आधार - आंकड़े दिये गये हैं।

करना उपयोगी होगा। जाति का सम्वन्ध शिक्षा से भी है। उच्च जातियों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है जवकि अनेक जातियों के परिवार इस दृष्टि से काफी पिछड़े हैं। अतः गाँव की आर्थिक शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर को समझने के लिए जातीय स्थिति को समझना आवश्यक है। यह समझ तथ्यात्मक तथा विवेचनात्मक दोनों स्तर पर हो सकती है।

विविध जातियों वाले इस गाँव में पिछले 30 वर्षों में परिवार संख्या में वृद्धि का जो चित्र सामने आया है इससे संख्या वृद्धि का अंदाज लगता है। गाँव में स्थित जातियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। सभी जातियों को 5 जाति समूह में विभाजित किया गया है। अ. ज. एवं अ. ज. जाति में उन्हीं जातियों को शामिल किया है जो कि राज्य द्वारा उस सूची में रखा गया है। उच्च एवं मध्यम जातियों का वर्गीकरण जाति की सामाजिक स्तर को देखते हुए किया गया है। सारणी में पिछले अध्ययन (1961-62) तथा वर्तमान अध्ययन (1990-91) की स्थिति की तुलनात्मक स्थिति दी गयी है। इस समय गाँव की कुल जनसंख्या 4367 है जवकि पूर्व अध्ययन के समय यह संख्या मात्र 2048 थी। इस प्रकार यह वृद्धि करीव 47 प्रतिशत है। परिवार संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि पायी गयी है। पिछले अध्ययन के समय परिवारों की कुल संख्या 356 थी जो कि इस समय वढ़कर 565 हो गयी है। सारणी में यह दिखाने का भी प्रयास किया गया है कि इस अवधि में कुल परिवार संख्या में खास जातीय समूह के परिवारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई तथा यह वृद्धि कितना प्रतिशत हुई ?

इस अवधि में वृद्धि का अनुपात (कुल संख्या के सन्दर्भ में) सवसे अधिक अनुसूचित जातियों का पाया गया। पिछले अध्ययन के समय इनके परिवारों की संख्या 13.5 प्रतिशित थी जो इस समय वढ़कर 24 प्रतिशत हो गयी। अन्य सभी जाति समूहों का अनुपात प्रायः घटा है। उच्च जाति की संख्या पूर्व अध्ययन के समय 31.2 प्रतिशत थी जो कि घटकर 26 प्रतिशत रह गयी है। इसी प्रकार मध्यम जातियों का अनुपात 36.2 से 33 प्रतिशत रह गया।

हस्तेड़ा जैसे वड़े गाँव की जातियों को मुख्यतः इन वर्गों में विभाजित किया गया है:

1. उच्च हिन्दू जातियाँ
2. मध्यम जातियाँ
3. अनुसूचित जातियाँ

4. अनुसूचित जनजातियाँ
5. मुसलमान।

सारणी संख्या 2 : 3

हस्तेड़ा ग्राम में जातीय स्थिति के मुख्य वर्ग

जातीय वर्ग			परिवार सं.	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
1. उच्च जाति—						
	1	–	147	26	1200	28.0
	2	–	111	31.2	549	16.0
2. मध्यम जाति—						
	1	–	188	33	1588	36.0
	2	–	129	36.2	838	40.9
3. अनुसूचित जाति—						
	1	–	134	24	910	21.0
	2	–	22	6.2	139	6.8
4. अनुसूचित जनजाति—						
	1	–	39	7	276	6.0
	2	–	22	6.2	139	6.8
5. मुसलमान—						
	1	–	57	10	393	9.0
	2	–	46	12.9	254	12.4
योग	1	–	565	100	4367	100.0
	2	–	356	100	2048	100.0

1. वर्तमान अध्ययन - 1990-91
2. पूर्व का अध्ययन - 1961-62

अनुसूचित जन जातियों के अनुपात में खास परिवर्तन नहीं होता पाया गया। संख्यात्मक दृष्टि से सभी जाति समुदायों की परिवार संख्या वढ़ी है। मुसलमान परिवारों की संख्या 46 से वढ़कर 57 हुई जवकि अ. ज. जाति परिवार 22 से वढ़कर 39 हो गयी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 48 से वढ़कर 134 हो गयी जो कि अन्य जातियों में सर्वाधिक है। मध्यम जातियों के परिवार 129 से वढ़कर 188

हुई जवकि उच्च जाति के परिवार 111 से वढ़कर 147 हो गये। जनसंख्या के सन्दर्भ में देखते हैं तो पाते है कि जनसंख्या तो दूगने से अधिक हुई, लेकिन परिवार की संख्या दुगना नहीं हुई है। कुल जनसंख्या 2048 से वढ़कर 4367 हो गयी। विभिन्न जातीय समूहों में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान सारणी में देखा जा सकता है। कुल जनसंख्या में उच्च जाति का अनुपात पिछले अध्ययन के समय 16 प्रतिशत था जवकि इस समय 28 प्रतिशत है। मध्यम जातियों का अनुपात घटा है। पूर्व अध्ययन के समय 40.9 प्रतिशित था जो घटकर 36 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय की संख्या भी 12.4 से घटकर 9 प्रतिशत हो गया। अ.ज. जाति का अनुपात प्रायः स्थिर रहा 6.8 एवं 6 प्रतिशत। अनुसूचित जाति का अनुपात 13.1 से वढ़कर 21 प्रतिशित हो गया।

इस वृद्धि एवं कमी के कुछ कारण देखे जा सकते हैं। जहाँ तक मुसलिम समुदाय का प्रश्न है विभाजन के समय काफी मुसलमान गाँव छोड़कर गये थे। उसके वाद जो गाँव में रह गये उनमें दस्तकार तथा कमजोर आर्थिक स्थिति के अधिक है। इनमें से काफी लोग काम की तलाश में वाहर गये । मध्यम जाति के लोग भी दस्तकारी एवं नौकरी पेशे में वाले लोग है। इन जातियों के परिवार* के लोग भी गाँव छोड़कर वाहर गये। इन जातियों में कुम्हार, नाई, तेली, छीपा, सुनार, लुहार, जोगी, खाती आदि हैं जो कि किसी न किसी दस्तकारी में लगे हैं। उनके काम का विस्तार कस्वों एवं शहर में अधिक हुआ है।

संख्यात्मक दृष्टि से प्रायः सभी जाति समूहों में जनसंख्या दुगनी हो गयी है। सवर्ण जातियों की जनसंख्या 549 से वढ़कर दूगनी से अधिक 1200 हो गयी। मध्यम जाति के लोगों की संख्या दूगने से कम 838 से वढ़कर 1588 वृद्धि हुई। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उनकी संख्या 268 से वढ़कर 910 हो गयी है जो कि करीव चार गुणा है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में भी दूगनी वृद्धि पायी गयी। दूसरी ओर मुसलमान परिवारों की संख्या में कम वृद्धि पायी गयी। इनकी संख्या 254 से वढ़कर 393 हुई जो कि दुगने से कम है।

विभिन्न जातियों में जीविका के साधनों में भिन्नता सहज में देखा जा सकता है। कृपि आज भी जिविका का प्रमुख साधन है। सारणी में इस वात का भी संकेत मिलता है कि पिछले 30 वर्षों में कृपि करने वालों का अनुपात वढ़ा है। पहले की तुलना में अव अधिक लोग कृपि कांर्य में लगे है। इसका एक कारण यह देखने में आया कि

---

* परिवार से तात्पर्य ऐसी पारिवारिक इकाई से है जिसका भोजन एक साथ बनता है।

सारणी संख्या 2 : 4

हस्तेड़ा ग्राम में विभिन्न जाति समूहों में रोजगार धन्धे

—परिवार (प्रतिशत)

1. वर्तमान
2. पूर्व के अध्ययन के समय

क्र. सं.	जातीय समूह	कृषि	मजदूर	नौकरी	व्यापार एवं दस्तकारी	अन्य	योग
1.	अन्य जाति–						
1.	—	76	1924		27	1	(100)
		(51.70)	(13)	(17)	(18)	(.30)	147
2.	—	15	1	6.4	14	17	111
		(13.50)	(1)	(15)	(58)	(13)	(100)
2.	मध्यम जाति–						
1.	—	98	68	17	4	–	187
		(52.40)	(36.36)	(9.24)	(2)	–	(100)
2.	—	52	27	11	35	4	129
		(40)	(21)	(9)	(27)	(3)	(100)
3.	अ. जाति–						
1.	—	23	97	14	1	–	135
		(27)	(72)	(10)	(1)	–	(100)

(Cont.........)

(Cont.........)

क्र. सं.	जातीय समूह	कृषि	मजदूर	नौकरी	व्यापार एवं दस्तकारी	अन्य	योग
	2. —	2	15	–	31	–	48
		(4)	(31)	–	(65)	–	(100)
4.	अ.ज. जाति—						
	1. —	17	19	2	1	–	39
		(44)	(49)	(5)	(2)	–	(100)
	2. —	17	2	–	3	–	22
		(77)	(9)	–	(14)	–	(100)
5.	मुसलमान—						
	1. —	10	28	6	13	–	57
		(17)	(50)	(10)	(23)	–	(100)
	2. —	10	9	2	20	5	46
		(22)	(19)	(4)	(44)	(11)	(100)
योग	1. —	224	231	63	46	1	565
		(40)	(41)	(11)	(8)	–	(100)
	2. —	96	54	30	153	23	356
		(27)	(15)	(8)	(43)	(7)	(100)

पिछले दशकों में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। सिंचाई के साधनों के विकास के कारण दो फसली खेती प्रारंभ हुई है। लोगों ने अनेक प्रकार की फसलों की खेती का प्रारम्भ किया। जातीय सन्दर्भ में देखें तो उच्च जाति के 51.70 प्र.श. परिवार की जीविका की मुख्य स्रोत खेती है। पूर्व अध्ययन के समय इस समुदाय के मात्र 13.50 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर थे तथा 58 प्रतिशित व्यापार में लगे थे। स्पष्ट है उच्च जाति के काफी परिवार कृषि के साथ जुड़े हैं। यह स्थिति इस कारण भी वनी क्योंकि इस समुदाय के पास खेती की जमीन है और पिछले वर्षों में उसका विकास हुआ है।

मध्यम जातीय समुदाय के परिवार भी खेती पर निर्भर हैं पूर्व के अध्ययन के समय इस जाति समूह के 40 प्रतिशत परिवार कृषि में लगे थे जबकि इस समय 52.40 प्रतिशत की जिविका का मुख्य आधार खेती है। इस समय इस समुदाय के 36.36 प्रतिशत मजदूरी से जीविका चलाते हैं, जबकि पहले 21 प्रतिशित की जिविका का आधार मजदूरी था। इस समुदाय के नौकरी करने वाले परिवार 27 प्रतिशत (9) पाया गया। व्यापार में इनकी भागीदारी घटी है। पहले इस कार्य में लगे लोगों का प्रतिशित 27 था जो कि अव घटकर मात्र 2 रह गया। कहा जा सकता है कि मध्यम जातीय परिवारों की जीविका का मुख्य आधार कृषि, मजदूरी एवं नौकरी है।

अनुसूचित जाति की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न पायी गयी। अनुसूचित जाति के परिवारों के रोजगार में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया। पूर्व अध्ययन के समय व्यापार (65 प्रतिशत) एवं मजदूरी इनकी जीविका का मुख्य आधार था। दूसरा स्थान मजदूरी (31 प्रतिशत) का था। उन दिनों उस समुदाय का एक भी व्यक्ति नौकरी में नहीं था, मात्र 4 प्रतिशत कृषि पर निर्भर थे। वर्तमान अध्ययन के समय 17 प्रतिशित कृषि पर तथा 72 प्रतिशित मजदूरी पर निर्भर पाये गये। मजदूरी पर निर्भर 31 से वढ़कर 72 प्रतिशत तथा कृषि पर 4 से 17 प्रतिशत हो गयी। इस समय 10 प्रतिशित नौकरी पर आश्रित हैं जवकि पहले यह प्रतिशित शून्य था। लेकिन व्यापार का प्रतिशत 65 से घटकर एक रह गया। स्पष्ट है अ.ज़ा. दस्तकार आदि से जुड़े थे जिनका उत्पादन एवं बिक्री का वड़ा काम था। पिछले अध्ययन में भी अनेक प्रकार के ग्रामीण उद्योगों का उल्लेख है। पूर्व अध्ययन के समय चमड़े का काम, चूड़ी वनाना, रंगाई, छपाई, आदि से करीव 63 परिवार जुड़े थे। इन कार्यों में कमी का कारण व्यापार उद्योग में कमी आयी है। जिनके पास जमीन है या एलाटमेंट में मिली उन्होंने खेती प्रारंभ की इस कारण कृषि पर निर्भरता 4 से वढ़कर 17 प्रतिशित हो गयी।

अनुसूचित जन जाति मूलत: मेहनतकश के रूप में जाने जाते रहे हैं। इस समुदाय में मीणा जाति के लोग हैं जो परम्परा से खेती, मजदूरी, चौकीदारी आदि कार्य करते रहे

सारणी संख्या 2 : 5

जोत श्रेणी के अनुसार परिवार एवं जाति : 1990-91

(ग्राम हस्तेड़ा)

—परिवार संख्या (प्रतिशत)

जाति समूह		भूमिहीन	5 बीघा	10 बीघा	20 बीघा	20 बीघा से अधिक	योग
1. उच्च जातियाँ	—	49	12	24	31	31	147
		(33)	(8)	(17)	(21)	(21)	–
2. मध्यम जातियाँ	—	63	33	36	25	31	188
		(33)	(18)	(19)	(14)	(16)	–
3. अ. जातियाँ	—	104	9	17	3	1	134
		(78)	(7)	(12)	(2)	(1)	–
4. अ.जन जातियाँ	—	8	11	7	5	8	39
		(20)	(29)	(18)	(13)	(20)	–
5. मुसलमान	—	43	9	3	2	–	57
		(75)	(16)	(5)	(4)	–	–
योग	—	267	74	87	66	71	565
		(47)	(13)	(17)	(12)	(11)	–

हैं। इस समय इस समुदाय के 44 प्रतिशित परिवार कृषि पर निर्भर है जवकि पूर्व अध्ययन के समय 77 प्रतिशित इस कार्य पर निर्भर थे। मजूदरी में इनका प्रतिशित वढ़ा है। पहले मात्र 9 प्रतिशित परिवार मजदूरी करते थे जवकि इस समय इस कार्य का प्रतिशत 44 हो गया है। व्यापार में यह प्रतिशित 14 से घटकर 2 प्रतिशित हो गया है। नौकरी में पहले कोई भी नहीं था जवकि इस समय 5 प्रतिशित परिवार नौकरी पर निर्भर है। कहना चाहेगें कि नौकरी एवं मजदूरी इनका मुख्य धन्धा है।

मुसलिम समुदाय सभी कार्यों में लगा है। इस समय सर्वाधिक परिवार (50 प्रतिशत) मजदूरी पर निर्भर हैं, जवकि तीस वर्ष पूर्व मजदूरी का प्रतिशत 19 था। इस समय खेती पर निर्भरता का प्रतिशत 17 है जवकि पहले 22 प्रतिशित था। इस में खास परिवर्तन नहीं आया। संख्या तो समान है। नौकरी का प्रतिशित पहले 4 था जवकि इस समय 10 पाया गया। व्यापार करने वाले परिवार पहले 44 प्रतिशित थे जवकि इस समय इस कार्य से जुड़े परिवारों का प्रतिशित घटकर 23 रह गया।

पूरे गाँव के सन्दर्भ में देखें तो इस समय 40 प्रतिशित परिवार कृषि पर निर्भर है। जवकि पहले कृषि पर निर्भरता का प्रतिशित 27 था। मजदूरी पर निर्भरता 15 से वढ़कर 41 हो गयी जवकि नौकरी पर निर्भरता का प्रतिशित 8 से 11 हुआ है। व्यापार पर निर्भरता 43 से घटकर 8 रह गयी- वह भी उच्च वर्ग के हाथ में चला गया। कुल 46 व्यापारी परिवारों में 27 उच्च वर्ग तथा 13 मुसलिम समुदाय के हैं।

जातीय सन्दर्भ में परिवारों की कृषि भूमि की स्थिति विवेचन करना उपयोगी होगा। नीचे की सारणी से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के परिवार में भूमिहीनता अधिक है। उच्च जातियों के परिवारों में 147 परिवारों में से 49 परिवार भूमिहीन है। इस जाति में 31 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 20 वीघा से अधिक जमीन है। इसी प्रकार मध्यम जातियों में भी 31 परिवारों के पास 20 वीघा से अधिक जमीन है। मध्यम जाति के 63 परिवार भूमिहीन है जवकि 5 वीघा वाले 33 परिवार, 10 वीघा वाले 36 परिवार तथा 20 वीघा वाले परिवारों की भी संख्या में 25 है। अनुसूचित जातियों में भूमिहीन अधिक है। इस समुदाय के 134 में से 104 परिवार भूमिहीन है। अधिक जमीन का मात्र एक परिवार। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति (मीणा) में भूमिहीन, तुलनात्मक दृष्टि से कम है। मीणा जाति के 39 परिवारों में 8 भूमिहीन, 11 परिवार 5 वीघे वाले तथा 7 एवं 5 क्रमशः 10 एवं 20 वीघे वाले हैं। इस समुदाय के 8 परिवारों के पास 20 वीघा से अधिक जमीन है। मुसलमानों में भी भूमिहीन काफी हैं। कुल 57 में से 43 परिवार भूमि हीन हैं समग्र दृष्टि से देखें तो हस्तेड़ा में 267 परिवार (47 प्रतिशत) भूमिहीन, 74 (13 प्र.श.) परिवार 5 वीघे के तथा 87 परिवार (17 प्रतिशत)

वीघा जोत श्रेणी में हैं। कुल 66 परिवारों (12 प्रतिशत) के पास 20 वीघा जमीन है। वीस वीघा से अधिक जमीन रखने वाले 71 है जिनका प्रतिशित मात्र है। प्रतिशित के सन्दर्भ में देखें तो उच्च जाति के 21 तथा मध्यम जाति के 16 प्रतिशित के पास 20 वीघा जमीन है। अनुसूचित जाति के मात्र के पास इतनी जमीन है। अनुसूचित जाति के 78 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है। मुसलमान भी 75 प्रतिशित भूमिहीन है। स्पष्ट है जमीन उच्च एवं मध्यम जातियों के पास केन्द्रित है। भंगी, धोवी, सुनार, लुहार, के पास प्रायः जमीन नहीं है।

सारणी संख्या 2 : 6

प्रति परिवार कृषि भूमि : जातिवार (हस्तेड़ा)

क्र. सं	जाति का नाम	कुल (औसत)	प्रति परिवार भूमि (बीघा)	
			सिंचित	असिंचित
1.	व्राह्मण	9	5	4
2.	वनिया	2	1.5	50
3.	जैन	-	-	-
4.	जाट	20	17	3
5.	अहीर	25	19	6
6.	कुम्हार	5	4	1
7.	खाती	1	0.5	0.5
8.	तेली	6	3	3
9.	नाई	5	2.5	2.5
10.	छीपा	1.5	1.5	-
11.	सुनार	-	-	-
12.	लुहार	-	-	-
13.	जोगी	3	2	1
14.	चमार	1.5	1	0.5
15.	नायक	3.5	3	0.5
16.	धोवी	2	-	2
17.	भंगी	-	-	-
18.	मीणा	12	9	3
19.	मुसलमान	2	1	1

गाँव के आर्थिक जीवन के साथ जमीन के लगाव को देखने के लिए भूमि विकास, उत्पादकता के पक्ष पर विचार करना आवश्यक है। हस्तेड़ा की जमीन रेतीली है। यदि इसमें सिंचाई की सुविधा हो जाए तो उत्पादकता वढ़ जाती है। परिवारों के पास जितनी जमीन है उनमें सिंचाई की कितनी सुविधा है इसकी जानकारी से जमीन की उत्पादकता को जाना-मापा जा सकता है। विषय की गहराई में जाने की दृष्टि से गाँव के सभी जातियों परिवारों के पास प्रति परिवार सिंचित एवं असिंचित स्थिति सारणी में देखी जा सकती है। सारणी के अनुसार भंगी, लुहार, सुनार के पास विलकुल जमीन नहीं है। उच्च जातीय समुदायों में जैन के पास कृषि भूमि नहीं है ये लोग व्यापार में लगे हैं। प्रति परिवार सवसे अधिक जमीन अहीर (25 वीघा) परिवारों के पास है। तीसरा स्थान अनुसूचित जनजाति मीणा का है जिनके पास प्रति परिवार खेती की जमीन 12 वीघा है। व्राह्मण परिवारों प्रति परिवार 9 वीघा जमीन पायी गयी। तेली के पास प्रति परिवार 6 वीघा जमीन है। अन्य जातियों के पास प्रति परिवार के पास नाम मात्र की है। प्रति परिवार जमीन को सिंचित-असिंचित के सन्दर्भ में देखने पर पाते हैं कि कुल जमीन में सिंचित जमीन का अंश पर्याप्त है। पिछले दो दशकों में गाँव में सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। यही कारण है कि प्रायः सभी जातियों की पर्याप्त मात्रा में सिंचित भूमि है। अहीर जाति के 25 में से 19, जाट की 20 में से 17 वीघा जमीन सिंचित है। कहा जा सकता है कि सिंचित के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है।

(ख) धम्मा का वास

हस्तेड़ा से 4 कि. मी. दूर स्थिति धम्मा का वास गाँव में चार जातियों के लोग रहते हैं ये चार जातियाँ हैं, 1. राजपूत 2 - अहीर, 3 - वुनकर, 4- रैगर। राजपूत उच्च जाति के माने जाते है जव कि अहीर मध्यम जाति की सामाजिक मान्यता प्राप्त है। वुनकर एंव रैगर अनुसूचिज जाति की श्रेणी में आते हैं। ये दस्तकार जातियाँ हैं। इस प्रकार यह सीमित जातियों का छोटा गाँव है। जाति एवं जनसंख्या की जानकारी सारणी में दी गयी है - देखें सारणी संख्या 2 : 7।

सारणी से स्पष्ट है कि कुल 64 परिवारों में से आधे से कुछ अधिक (34) परिवार राजपूत जाति के है। दूसरा स्थान रैगर जाति का है। इसकी संख्या 14 है। करीव इतने ही परिवार (13) वुनकर जाति के है। निम्न मध्यम जाति के अहीर परिवारों की संख्या 3 है गाँव की आवादी के संदर्श में देखें तो कुल 522 की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 283 तथा महिलाओं की 239 पायी गयी। गाँव में वसने वाले सभी जातियों में पुरुषों की संख्या अधिक एवं महिलाओं की संख्या कम पायी गयी। राजपूत जाति की कुल

250 जनसंख्या में 137 पुरुष एवं 113 महिलायें हैं जब कि अहीर जाति के पुरुष 15 एवं महिलायें 10 पायी गयी– पुरुष 44 एवं महिला 43 है। रैगर एवं महिलायें 73 है। समग्र रूप में देखें तो 283 एवं 239 महिलायें हैं।

सारणी संख्या 2 : 7

परिवार एवं जनसंख्या - 1990-91

	जाति	परिवार	जनसंख्या		योग
			पुरुष	महिला	
1.	राजपूत	34	137	113	250
2.	अहीर	3	15	10	25
3.	बुनकर	13	44	43	87
4.	रैगर	14	87	73	160
	योग	64	283	239	522

सारणी संख्या 2 : 8

मुख्य व्यवसाय के अनुसार जाति विभाजन

	जाति	धम्मा का वास				परिवार संख्या	
		कृषि	मजदूरी	नौकरी	व्यापार	अन्य	योग
1.	राजपूत	26	–	8	–	–	34
2.	अहीर	3	–	–	–	–	3
3.	बुनकर	5	8	–	–	–	13
4.	रैगर	5	8	1	–	–	14
	योग	39	16	9	–	–	64

गाँव की जन शक्ति का उपयोग या यों कहें कि उनकी जीविका के मुख्य स्रोत क्या है? यह देखने पर पाते है कि इस गाँव में लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं। शहर, कस्वा वाज़ार से दूर होने तथा आवागमन के साधनों-सुविधाओं की कमी के कारण अन्य धन्धों का विकास नहीं हो सका है। सभी परिवार खेती पर या मजदूरी पर निर्भर करते हैं। परिवार को इकाई मान कर जीविका के मुख्य स्रोत का आकलन करने पर जो स्थिति सामने आती है उसका विवरण सारणी में देखा जा सकता है। परिवार की जीविका का मुख्य स्रोत करने वाले व्यक्ति मिले। प्रायः सभी परिवारों में एक से

अधिक आय के स्रोत हैं। जहाँ आय के मुख्य स्रोत से सम्बन्धित कार्य के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

सारणी से स्पष्ट है कि 64 में से आधे से अधिक परिवार मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। दूसरा स्थान मजदूरी का है। गाँव के कुल 16 परिवार (25 प्रतिशत) मुख्य रूप से मजदूरी पर निर्भर हैं। गाँव के 9 परिवार ऐसे हैं जिनकी जीविका का मुख्य आधार नौकरी है। व्यापार -उद्योग आदि में लगे परिवार नहीं है। जातीय सन्दर्भ में देखें तो 34 राजपूत परिवारों में से 26 की जीविका का मुख्य आधार कृषि एवं 8 नौकरी है। अहीर जाति के परिवार पूर्णरूप से कृषि पर निर्भर हैं। बुनकर खेती एवं मजदूरी करते पाये गये। एक रैगर परिवार नौकरी से मुख्य आय प्राप्त करता है। स्पष्ट है गाँव के सभी परिवार कृषि से जुड़े हुए हैं और यही उनकी जीविका का मुख्य आधार है। खेती के साथ मजदूरी स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है।

खेती जीविका का मुख्य आधार है इस बात की पुष्टि होने के बाद जानना उपयोगी होगा कि यहाँ जोत श्रेणी की क्या स्थिति है। जमीन का केन्द्रीकरण, उसके विभाजन की स्थिति नीचे सारणी में देख सकते हैं।

सारणी से स्पष्ट है कि 64 में से कुल 11 परिवार भूमि हीन हैं जो कि बुनकर एवं रैगर जाति से जुड़े हुए हैं। इनकी जीविका का आधार मजदूरी है। गाँव के अन्य परिवारों के पास 5 या 5 बीघा से अधिक जमीन है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 20 बीघा से अधिक जमीन वाले परिवारों (24) में से 2 राजपूत तथा 4 परिवार रैगर जाति के हैं। इस स्थिति में यह भी कहना उचित होगा कि इस गाँव के रैगर जाति के पास खेती की पर्याप्त जमीन है और वे अच्छे किसान है। इस प्रकार गाँव के राजपूत, रैगर एवं अहीर जाति के परिवार खेती से निकट रूप से जुड़े हैं।

भूमि का उपयोग एवं उत्पादकता का सम्बन्ध पानी की उपलब्धता से है। सिंचाई की सुविधा से सहज ही उत्पादकता बढ़ जाती है। धम्मा का बास में सिंचाई की स्थिति नीचे की सारणी में इस प्रकार दी गयी है :

सारणी में एक खास बात यह सामने आयी है कि रैगर जाति की कृषि भूमि को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। इस जाति की 95 प्रतिशित जमीन सिंचित है। राजपूत जाति की 71 प्रतिशत जमीन सिंचित है जब कि अहीर जाति की 67 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा मौजूद है। सबसे कम सिंचाई बुनकर जाति की जमीन की है, जब कि शेष 28 प्रतिशित जमीन का सिंचाई सुविधा दी जानी है। कहा जा सका है कि इस

सारणी संख्या 2 : 9
जाति एवं जाति श्रेणी
(धम्मा का वास)

(परिवार संख्या)

जाति		जाति श्रेणी					
		भूमिहीन	5 बीघा	10 बीघा	20 बीघा	20 बीघा से अधिक	योग
1. राजपूत	—	–	2	5	7	20	34
2. अहीर	—	–	–	1	2	–	3
3. बुनकर	—	4	–	1	1	–	13
4. रैगर	—	7	1	2	4	14	
योग	—	11	10	7	12	24	64

गाँव में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है जिसका लाभ सभी जाति के परिवारों को प्राप्त है।

सारणी संख्या 2 : 10

सिंचाई की स्थिति

बीघा में (प्रतिशत)

	जाति	कुल जमीन	सिंचित	असिंचित
1.	राजपूत	1328	944 (71)	384 (29)
2.	अहीर	45	30 (67)	15 (33)
3.	बुनकर	85	30 (35)	55 (65)
4.	रैगर	222	212 (95)	10 (5)
	योग	1680	1216 (72)	464 (28)

भू-स्वामित्व की सही स्थिति जानने के लिए प्रति परिवार कृषि भूमि की जानकारी आवश्यक है। धम्मा का वास में सभी जातियों के पास कृषि भूमि है। लेकिन अधिक जमीन या यों कहें कृषि भूमि का केन्द्रीकरण किस जाति के परिवारों के पास है यह देखा जा सकता है। इसकी एक झलक जोत श्रेणी से सम्बन्धित सारणी में मिलती है। नीचे की सारणी में प्रति परिवार जातिवार कृषि दर्शायी गयी है :

सारणी संख्या 2 : 11

प्रति परिवार कृषि भूमि बीघा में

	जाति		प्रति परिवार कुल जमीन	सिंचित	असिंचित
1.	राजपूत	-	39	28	11
2.	अहीर	-	15	10	5
3.	बुनकर	-	6	2	4
4.	रैगर	-	16	15	0.70
	योग		26	29	7

सारणी से स्पष्ट है कि राजपूत परिवार अधिक जमीन रखते है। इस जाति के पास प्रति परिवार औसत 39 वीघा जमीन है। जिसमें 28 सिंचित एवं 11 असिंचित है। अहीर जाति के पास प्रति परिवार 15 वीघा है जिनमें से 10 वीघा सिंचित एवं 5 वीघा असिंचित है। वुनकरों के पास कुछ कम जमीन है- 6 वीघा प्रति परिवार में से मात्र 2 वीघा सिंचित है, शेष 4 वीघा असिचित है। रैगर जाति की स्थिति अच्छी पायी गयी। इनके पास 16-वीघा प्रति परिवार कृपि भूमि में से 15 वीघा सिंचित तथा मात्र 70 वीघा असिचिंत है। गाँव में औसत परिवार 26 वीघा भमि है जिसमें से 19 सिंचित तथा 7 वीघा असिंचित है।

□□

7

नमूने के परिवारों का अध्ययन : हस्तेड़ा

1- परिवार एवं जनसंख्या : एक परिचय

प्रस्तुत अध्ययन में ग्राम स्तर पर जानकारी के साथ-साथ गाँव के कुछ परिवारों का नमूने का अध्ययन (Case Study) किया गया है। पिछले अध्यायों में ग्राम स्तर पर प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया जा चुका है। विषय की गहराई में जाने की दृष्टि से हस्तेड़ा ग्राम के 156 तथा धम्मा का वास के 48 परिवारों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की गयी है। इस प्रकार दोनों परिवारों के गाँवों से कुल 204 परिवारों का नमूने का अध्ययन किया गया है। आगे के कुछ अध्यायों में नमूने के अध्ययन में प्राप्त तथ्यों में जनसंख्या, परिवार विभाजन, रोजगार के प्रकार तथा शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है ताकि दोनों गाँवों में परिवर्तन की दिशा स्पष्ट हो सके। परिवार सामाजिक संरचना की प्राथमिक इकाई है। परिवार की व्यवस्था में परिवर्तन सहज में देखा जा सकता है। परिवार की व्यवस्था में परिवर्तन को समाज में परिवर्तन का प्रतिविंव माना जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय में परिवार एवं जनसंख्या का विश्लेषण किया गया है, ताकि आगे चलकर परिवर्तन की दिशा में को समझा जा सके।

सर्वेक्षित परिवारों की परिवार संख्या एवं जनसंख्या विवरण संलग्न सारणी में देखा जा सकता है। सारणी में जातिगत विवरण दिया गया है। कुल 165 सर्वेक्षित

* इस अध्याय तथा आगे के अध्यायों में नमूने के सर्वेक्षण में शामिल परिवारों के आंकड़ें दिये गये हैं।

परिवारों की जनसंख्या 1448 पायी गयी जिसमें पुरुषों की संख्या 753 (52 प्रतिशत) है जबकि महिलाओं की संख्या कुछ कम 695 (48 प्रतिशत) पायी गयी। इस प्रकार पुरुषों की तुलना में 58 महिलायें कम हैं। इस सारणी में परिवार संख्या तथा इसकी जनसंख्या का विवरण जातिवार है। यदि जातिवार पुरुष एवं महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करें तो जाति के सन्दर्भ में पुरुष महिला अनुपात को देख सकते है। वैसे जातीय श्रेणी के अनुसार इस वारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचना ठीक नहीं क्योंकि उच्च

सारणी संख्या 2 : 12

ग्राम हस्तेड़ा - सर्वेक्षित परिवार 1990-91

क्र. सं.	*जाति*	*परिवार सं.*	*पुरुष*	*महिला*	*योग*	*प्रति परिवार सं.*
1.	ब्राह्मण	17	84	67	151	8
2.	महाजन	8	36	37	7	39
3.	जाट	21	109	103	212	10
4.	यादव	20	126	95	221	11
5.	मीणा	10	64	70	134	13
6.	रैगर	24	82	98	180	7
7.	कुमावत	8	42	39	81	10
8.	वुनकर	8	33	23	56	7
9.	जोगी	5	23	20	43	8
10.	नायक	7	20	24	44	11
11.	दर्जी	2	11	12	23	11
12.	खाती	2	8	5	13	6
13.	तेली	2	10	11	21	10
14.	हरिजन	1	5	7	12	12
15.	नाई	1	7	8	15	15
16.	धोवी	2	6	10	16	8
17.	छीपा	1	6	4	10	10
18.	मुसलमान	17	18	26	143	8
	योग	156	753	695	1448	9

प्रति परिवार जनसंख्या - 9

जाति, मध्यम जाति, पिछड़ी जाति, अ.ज्ञा., अ.ज.ज्ञा. में से किसी खास जाति समुदाय में पुरुष : महिला अनुपात में अलग स्थिति नहीं है। प्रायः सभी समुदायों में अनुपात का अन्तर एक सा दिखाई देता है। ब्राह्मण परिवारों में पुरुष 84 तथा महिला 67 पाये गये जब कि महाजन परिवारों में प्रायः बराबर की स्थिति (36 : 37) पायी गयी। इसी प्रकार जाट परिवारों में भी प्रायः समानता (पुरुष) 109 महिला 103 पायी गयी। सर्वेक्षित परिवारों में अनुसूचिज जनजाति में मीणा जाति के परिवार है जिनमें पुरुष 64 तथा महिलायें 70 हैं। अतः इनमें महिलाओं की संख्या अधिक पायी गयी। महिलाओं की संख्या अधिक वाली जातियाँ कम है। सर्वेक्षित जातियों में मीणा, रैगर, तेली, भंगी, नाई, धोबी, परिवारों में कमोवेशी महिलाओं की संख्या अधिक है। सारणी को जातीय श्रेणी के सन्दर्भ में देखें तो यह कहने की स्थिति में है कि अनुसूचित जातीय समूह के परिवारों में पुरुष : महिला के अनुपात में अंतर कम है। इनमें दोनों की संख्यात्मक स्थिति बराबर है। तुलनात्मक दृष्टि से उच्च जातीय समुदाय में पुरुष अधिक तथा महिलायें कम पायी गयी। मुसलिम समुदाय में भी पुरुष अधिक (81) तथा महिलायें कम (62) पायी गयीं।

परिवार संरचना के मुद्दे को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से प्रति परिवार जनसंख्या की स्थिति को देखा जा सकता है। इस मुद्दे से संयुक्त एवं एकाकी परिवार के विश्लेषण को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार सदस्य संख्या औसत 9 पायी गयी। इसे जातीय सन्दर्भ में भी देखा जा सकता है। प्रति परिवार सदस्य संख्या को जातीय समूह के संदर्श में देखने पर यह देखने में आता है कि उच्च जातीय समूह में प्रति परिवार सदस्य संख्या 10 पायी गयी। अनुसूचित जन जाति मीणा परिवार में यह संख्या 13 पायी गयी। सबसे अधिक सदस्य संख्या नाई परिवार (15) पायी गयी। अन्य जातियों में यह संख्या 11 से 13 के बीच में पायी गयी।

संयुक्त एवं एकाकी परिवार की स्थिति

संयुक्त परिवार सामाजिक व्यवस्था की मजबूत संस्था है। भारतीय समाज एंव संस्कृति की परम्परा में संयुक्त परिवार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से एक से अधिक पीढ़ियों के लोगों का जीवन संयुक्त उत्तरदायित्व के रूप में संचालित होता है। इस संस्था से कमजोर, अशक्त, असहाय, वृद्ध व्यक्ति को सहारा मिलता है। समाजशास्त्रीय भाषा में ऐसी इकाई को परिवार माना गया है जिनका भोजन एक साथ बनता है। भोजन एक साथ बनने का तात्पर्य है कि आर्थिक दृष्टि से भी संयुक्त जिम्मेदारी है। संयुक्त परिवार में इस शर्त को मानते हुए अधिक जिम्मेदारियों का भान होता पाया जाता है। संयुक्त परिवार में एक से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ

रहते पाये गये। सर्वेक्षित परिवारों में संयुक्त एवं एकाकी परिवार की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। बदलती परिस्थिति, शहरीकरण, औद्योगीकरण, रोजगार की स्थिति आदि कारणों से संयुक्त परिवार की संख्या घटती जा रही है तथा उसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। इस प्रश्न पर विचार करते समय जो बातें सामने आयी उससे इसके स्वरूप में परिवर्तन का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए साक्षात्कार के समय यह तथ्य सामने आया कि पहले आज से करीब 50-60 वर्ष पूर्व संयुक्त परिवार में तीन पीढ़ियों में दादा, पिता एवं लड़के थे। इन तीन पीढ़ी का भी विस्तार था। दादा के भाई, पिता के भाई, तीसरी पीढ़ी के भाई आदि सभी साथ रहते थे। साथ रहने का तात्पर्य साथ भोजन बनाना, आर्थिक साधनों पर संयुक्त स्वामित्व, घर का मुखिया होना, काम की संयुक्त जिम्मेदारी आदि से है। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि इस व्यवस्था में कम काम करने वाले एवं अधिक काम करने वालों की प्रायः समान स्थिति थी। सुविधायें प्रायः समान थी तथा मिलने वाली सेवायें भी समान थी। उदाहरण बीमारी के समय सेवा, लड़कियों की शादी, लेन-देन आदि में समानता थी, संयुक्त जिम्मेदारी थी। हस्तेड़ा एवं धम्मा का बास के बुजुर्गों के साथ चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी की संयुक्त परिवार के इस स्वरूप का एक बड़ा कारण कृषि पर निर्भरता थी। लोग प्रायः गाँव में ही रहते थे तथा जीविका के स्रोत सीमित थे। जो कार्य थे उनमें संयुक्त जिम्मेदारी अधिक थी। कार्य भी हल्के भारी सभी प्रकार के थे। पशु चराने से लेकर खेती के कठिन कार्य थे। इस स्थिति में सभी अपनी क्षमतानुसार कार्य करते थे। तीन पीढ़ियों के संयुक्त परिवार में मुखिया की जिम्मेदारी एंव समझदारी प्रमुख थी। सहनशील मुखिया का संयुक्त परिवार चलता था अन्यथा उन दिनों भी संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलते थे। फिर भी दो पीढ़ियों का संयुक्त परिवार प्रायः प्रचलन में था।

वर्तमान अध्ययन में संयुक्त परिवार का जो स्वरूप सामने आया उसमें आमतौर पर एक पीढ़ी साथ रहती तथा वृद्धि को सहारा मिलता है। संयुक्त परिवार में पिता एवं उसके लड़के साथ रहते, खाते-पीते पाये गये, पिता के भाई आमतौर पर अलग रहते है। संयुक्त परिवार में किसी के 2-3 लड़के हैं और वे सभी कमाने वाले तथा विवाहित हैं और साथ रहते है तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार माना गया है। जब तक पिता है तब तक सब साथ रहने की व्यवस्था पायी गयी। इसमें एक सीमा तक और भी मानी जानी चाहिए, यदि किसी के कई लड़के हैं और वे नौकरी धन्धा के लिए बाहर हैं और सपरिवार अक्सर बाहर रहते है या पत्नी गाँव में रहती है तो इसे संयुक्त परिवार माना गया है। इस स्थिति में परिवार की संपत्ति का बटवार नहीं होता, बाहर रहने वाला व्यक्ति गाँव आने पर साथ रहता, खाना खाता तथा परिवार की संपत्ति का बटवारा नहीं

होता, वाहर रहने वाला व्यक्ति गाँव आने पर साथ रहता, खाना खाता तथा परिवार की जिम्मेदारी भी संयुक्त रहती है। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार माना गयाहै। एग्रो इकॉनोमिक रिसर्च सेंटर वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) द्वारा किये गये पूर्व अध्ययन के समय और वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की स्थिति में, संख्या में अन्तर पाया गया। इस अन्तर की तलाश यह तथ्य सामने आया कि उस समय संयुक्त परिवार में एक से अधिक पीढ़ियाँ साथ थी तथा भाई, चाचा, ताऊ को भी परिवार में शामिल किया गया था। इस भेद के कारण पूर्व अध्ययन एवं वर्तमान अध्ययन में संयुक्त परिवार की संख्या एवं प्रतिशित में अंतर पाया गया।

सारणी संख्या 2 :13

जाति आधार पर संयुक्त व विभक्त परिवारों की स्थिति (1990-91)

क्र.सं.	जाति	सर्वेक्षित परिवार	संयुक्त परिवार	प्रतिशत	विभक्त परिवार	प्रतिशत
1.	ब्राह्मण	17	16	94.12	1	5.88
2.	महाजन	8	8	100.00	–	–
3.	जाट	21	12	57.14	9	42.86
4.	यादव	10	19	95.00	1	5.00
5.	मीणा	20	8	80.00	2	20.00
6.	रैगर	24	5	20.83	19	79.17
7.	कुमावत	8	4	50.00	4	50.00
8.	बुनकर	8	7	87.50	1	12.50
9.	जोगी	5	2	40.00	3	60.00
10.	नायक	7	2	28.57	5	71.43
11.	दर्जी	2	2	100.00	–	–
12.	खाती	2	1	50.00	1	50.00
13.	तेली	2	2	100.00	–	–
14.	हरिजन	1	1	100.00	–	–
15.	नाई	1	1	100.00	–	–
16.	धोबी	2	2	100.00	–	–
17.	छीपा	1	1	100.00	–	–
18.	मुसलमान	17	16	94.12	1	5.88
	योग	156	109	69.87	47	30.13

हस्तेड़ा ग्राम के सर्वेक्षित 156 परिवारों में से 47 परिवार का स्वरूप एकाकी है तथा 109 परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते है। 30.31 प्रतिशत परिवार एकाकी परिवार के रूप में रहते हैं। यहाँ एकाकी परिवार से तात्पर्य पति, पत्नि तथा कम उम्र के वच्चों का साथ रहने से उन वच्चों को शामिल किया गया जिनकी शादी नहीं हुई है तथा जो स्वतंत्र रूप से किसी आर्थिक धन्धे में नहीं लगे हैं। एकाकी परिवार के इस स्वरूप को मान्य करने पर हस्तेड़ा में ऐसे एकाकी परिवारों का प्रतिशत 30.13 पाया गया। सारणी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हस्तेड़ा में आज भी संयुक्त परिवार की परम्परा कायम है तथा पिता, भाई एवं उसके लड़के साथ रहते हैं और परिवार संचालन की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। इसे ग्रामीण सामाजिक संरचना की उपयोगी परम्परा कही जा सकती है।

संयुक्त परिवार की स्थिति की जातीय संदर्भों में भी देखा जा सकता है। कई जातियों में शत प्रतिशित संयुक्त परिवार की व्यवस्था पायी गयी। छीपा, धोवी, नाई, हरिजन, तेली, डांगी (खाती) के सभी परिवार संयुक्त परिवार की श्रेणी में पाये गये। उच्च जातियों में महाजन जातियों के सभी परिवार संयुक्त रूप से रहते पाये गये। इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति में संयुक्त परिवार अधिक संख्या में पाये गये। व्राह्मण परिवार में 94.14 प्रतिशत जाट परिवार संयुक्त थे जवकि शेप 42.86 प्रतिशत परिवार एकाकी थी। यादवों में 95 प्रतिशत संयुक्त परिवार पाये गये। मीणा जाति के 80 प्रतिशत परिवार है जवकि रैगर समुदाय के मात्र 20.83 प्रतिशित संयुक्त परिवार पाये गये। कुमावत जाति के 50 प्रतिशत एकाकी तथा उतने ही संयुक्त परिवार है। इस समुदाय को यदि पूर्व के अध्ययन की तुलना में देखें तो पाते है कि इस समय संयुक्त परिवार कम है। पूर्व के अध्ययन के समय 55.3 प्रतिशित संयुक्त परिवार थे जवकि 44.7 प्रतिशत परिवारों की व्यवस्था एकाकी थी। सवसे अधिक संयुक्त परिवार मध्यम जातियों (71.4) प्रतिशत तथा पिछड़ी जातियों में (64.4) प्रतिशत थी।* स्पष्ट है कि ये जातियाँ कृपक है और कृपि कार्य में संयुक्त परिवार अधिक अनुकूल है। संख्यात्मक दृष्टि से भी 197 संयुक्त परिवार में 65 कृपक थे तथा 33 दस्तकारी में लगे थे। यह कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार में परिवार की आर्थिक निर्भरता, रोजगार काफी हद तक प्रभावित करता है।

---

* प्रो० एम. डी. देसाई, इकॉनोमिक लाइफ इन ए राजस्थान विलेज - हस्तेड़ा ; एग्रो इकॉनोमिक रिसर्च सेंटर, वल्लभ विद्यानगर, (गुजरत) 1964, पृष्ठ - 26-27

2- कृषि भूमि एवं उसका उपयोग

गाँव में कृषि के साधनों के विकास का उत्पादन वृद्धि में महत्त्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के साधनों का विकास, उन्नत बीज, रासायनिक खाद एवं उन्नत उपकरणों के उपयोग ने उत्पादन में वृद्धि को बढ़ाया है। हस्तेड़ा जैसे गाँव में किसानों ने अपनी खेती की जमीन को उन्नत बनाया है। इसे समतल कर तथा मेढ़ बन्दी कर पानी को रोका है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह देखने में आयी कि सिंचाई के साधनों का तेजी से विकास हुआ है। इस क्षेत्र में नहर या तालाब की अनुकूलता नहीं है। नदी में भी सिंचाई के साधनों का विकास संभव नहीं है। अतः हस्तेड़ा गाँव में बड़ी संख्या में सिंचाई के कुँओं का निर्माण हुआ है। कुँओं पर इंजिन एवं बिजली के पंप से सिंचाई की साधन व्यवस्था विकसित हुई है। किसान अपनी क्षमता एवं अनुकूलता को देखते हुए सिंचाई के साधनों का विकास करता पाया गया। पूर्व के अध्ययन के समय गिने चुने किसानों के पास सिंचाई के साधन थे जबकि वर्तमान में प्रायः सभी कृषकों ने कमोबेशी सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है। पूर्व के अध्ययन के समय मात्र 20.21 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई की यह सुविधा बड़े किसानों को प्राप्त थी। छोटे किसान, जो कि निम्न जाति एवं अनुसूचित जाति के हैं, उनकी मात्र 2 प्रतिशित कृषि भूमि सिंचित थी। बड़े किसान जो कि कृपक जातियों (जाट, अहीर आदि) के थे, उनकी 26 से 28 प्रतिशित भूमि पर सिंचाई होती थी।

पिछले 38 वर्षों में सिंचाई के साधनों का विकास होने के कारण सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। सर्वेक्षित परिवारों की कुल भूमि की 69.54 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई के साधन पाये गये। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र 20.21 प्रतिशत से बढ़कर 69.54 प्रतिशत हो गयी। इसे संतोषजनक स्थिति कहा जा सकता है। गाँव के लोगों के साथ चर्चा के दौरान भी सिंचाई के साधनों की वृद्धि से संतोष व्यक्त किया गया और माना गया कि सिंचाई सुविधाओं के विकास के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। सिंचाई एवं कृषि क्षेत्र की स्थिति विभिन्न जातीय समूहों के सन्दर्भ में देखे तो स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।

संलग्न सारणी से स्पष्ट होता है कि सभी जाति के किसानों की भूमि में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है, किस किसान की कितनी जमीन सिंचित हो पायी है यह उसकी रुचि, क्षमता, अनुकूलता आदि बातों पर निर्भर करता है। सारणी के अनुसार खाती जाति के 2 सर्वेक्षित परिवारों की पूरी एवं मीणा जाति के परिवारों में क्रमशः 84.94, 67.72 और 60 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित पायी गयी। रैगर जाति की 39.33 प्रतिशत जमीन सिंचित है जबकि कुम्हार की 67.52 प्रतिशत जमीन सिंचित पायी गयी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बुनकर जाति की पूरी जमीन असिंचित पायी गयी। इस जाति के लोग कृषि कार्य में कम रुचि लेते पाये गये। ये गाँव के बाहर मजदूरी तथा अन्य कार्यों

सारणी संख्या 2 : 14

जाति आधार : सिंचित-असिंचित भूमि का क्षेत्र

(बीघा में)

क्र.सं.	जाति	कुल भूमि (प्रति परिवार)	सिंचित	असिंचित
1.	ब्राह्मण	. 261.10	183.00	78.10
	प्रतिशत	(15)	70.11	29.89
2.	महाजन	150.00	25.00	125.00
	प्रतिशत	(19)	16.67	83.33
3.	जाट	1141.10	970.00	171.10
	प्रतिशत	(55)	84.94	15.06
4.	यादव	1137.00	770.00	367.00
	प्रतिशत	(57)	67.72	32.28
5.	मीणा	300.00	180.00	120.10
	प्रतिशत	(30)	60.00	40.33
6.	रैगर	89.00	35.00	54.00
	प्रतिशत	(3)	39.33	60.67
7.	कुम्हार	157.00	106.00	51.00
	प्रतिशत	(19)	67.52	32.48
8.	बुनकर	40.00	–	40.00
	प्रतिशत	(5)	–	100.00
9.	जोगी	76.00	61.00	15.00
	प्रतिशत	15)	80.26	19.74
10.	नायक	88.00	45.00	43.00
	प्रतिशत	(12)	51.14	48.86
11.	बढ़ई	17.00	17.00	–
	प्रतिशत	(8)	100.00	–
12.	तेली	20.00	25.00	5.00
	प्रतिशत	(15)	83.33	16.67
13.	नाई	37.00	18.00	19.00
	प्रतिशत	(37)	48.65	51.35
14.	मुसलमान	129.00	106.00	23.00
	प्रतिशत	(8)	82.17	17.83
	योग	3653.10	2541.00	1112.00
	प्रतिशत	(100)	69.54	30.46

से भी जुड़े पाये गये। जोगी एवं नायक जाति के क्रमशः 80.26 एवं 51.14 प्रतिशत भूमि सिंचाई सुविधा है। मुस्लिम समुदाय की 82.17 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई होती पायी गयी।

जातीय सन्दर्भ में देखते है तो हस्तेड़ा गाँव के छीपा, धोबी, दर्जी एवं हरिजन (भंगी) जाति के पास कृषि भूमि नहीं है। हरिजन समाज को सबसे उपेक्षित एवं अछूत माना जाता है। इस जाति से जुड़े परिवारों के पास जमीन नहीं है। इनकी जीविका का आधार सफाई के काम का परिश्रमिक या दूसरे की भिक्षा से चलती है। छीपा, दर्जी एवं धोबी जाति के पास भी कृषि भूमि नहीं पायी गयी। ये जातियाँ अपने-अपने प्रोफेसन से जीविका चलाती हैं। इन्हें सामाजिक दृष्टि से भी खास काम से जुड़ा माना गया है।

सर्वेक्षित परिवारों में जोत श्रेणी के सन्दर्भ में देखने पर पाते हैं कि कृषक जातियों के पास प्रति परिवार भूमि अधिक पायी गयी। प्रति परिवार सबसे अधिक जमीन यादव के पास (57) बीघा पायी गयी। जाट परिवारों के पास प्रति परिवार 55 बीघा जमीन तथा मीणा जाति के पास 30 बीघा जमीन पायी गयी। अनुसूचित जाति रैगर के पास प्रति परिवार 3 बीघा, बुनकर के पास 5 बीघा तथा नायक के पास 8 बीघा जमीन पायी गयी। तेली, नाई एवं मुसलमानों के पास प्रति परिवार क्रमशः 15, 37 एवं 8 बीघा जमीन पायी गयी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छीपा, हरिजन (भंगी) एवं दर्जी के पास कृषि भूमि नहीं है।

उत्पादन

कृषि विकास का परिणाम उत्पादन पर पड़ना स्वाभाविक है। सर्वेक्षित परिवारों में, जिनके पास कृषि भूमि है उनके प्रमुख उत्पादनों का आकलन किया गया है। सर्वेक्षित वर्ष में विभिन्न फसलों के वार्षिक उत्पादन को सारणी में देखा जा सकता है। गाँव के लोगों के अनुसार यह अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसमें बाजरा, मूंग, मोठ, गवार, जौ की खेती होती रही है। पिछले 30 वर्षों में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के कारण् उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ फसलों की प्रकार में भी परिवर्तन आया है। पूर्व अध्ययन के समय मुख्य पाँच प्रकार की फसलों का उल्लेख है-

जौ, बाजरा, गेहूँ, जुआर, एवं मोठ। वर्तमान समय में चना, मूँग, मूँगफली आदि भी प्रारम्भ हुई है। फिर भी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, बाजरा है। पूर्व अध्ययन के साथ उत्पादन की तुलना करने पर यह बात सामने आयी कि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। पूर्व अध्ययन के समय हस्तेड़ा गाँव में मुख्य विभिन्न फसलों के उत्पादन का अनुमान इस प्रकार लगाया गया था।

सारणी संख्या 2:15

प्रमुख फसलों का उत्पादन (पूर्व अध्ययन)

क्र. सं.	*फसलें*		*उत्पादन (क्विंटल)*
1.	जौ	–	790
2.	वाजरा	–	504
3.	गेहूँ	–	243
4.	गुआर	–	225
5.	मोठ	–	199

(देखें, पूर्व का अध्ययन)

संलग्न सारणी में वर्तमान सर्वेक्षित के समय सर्वेक्षण परिवारों में उत्पादन की स्थिति का विवरण दिया गया है। सारणी के अनुसार आज भी हस्तेड़ा में मुख्य उत्पादन गेहूँ, वाजरा, जौ का है। उत्पादन के ऑकड़े को देखने पर यह कहा जा सकता है कि पिछले तीन दशकों में उत्पादन की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। ऊपर की सारणी में पिछले सर्वेक्षण के समय पूरे गाँव में उत्पादन की स्थिति दर्शायी गयी है। वर्तमान सर्वेक्षण में केवल 156 परिवारों के ऑकड़े दिये गये हैं। उसे देखते हुए तुलनात्मक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। फसलों के प्रकार के अनुसार स्थिति विवेचन से पाते है कि जौ का उत्पादन पूर्व अध्ययन के समय पूरे गाँव में 790 क्विंटल था जवकि वर्तमान 156 परिवारों में इसका उत्पादन 315 क्विंटल है। वाजरा का उत्पादन पहले पूरे गाँव में 504 क्विंटल था जवकि इस समय 156 परिवारों में 1310 क्विंटल वाजरा पैदा किया। करीव ढ़ाई गुणा अधिक। गेहूँ उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन पाया गया। पूर्व अध्ययन के समय पूरे गाँव में मात्र 243 क्विंटल उत्पादन का अनुमान था जवकि इस समय सर्वेक्षित 156 परिवारों ने कुल 2197 क्विंटल गेहूँ पैदा किया। यह वृद्धि करीव 9 गुणा है, दूसरी ओर मोठ का उत्पादन 199 से घटकर 93 क्विंटल पर आ गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि (क) कृषि क्षेत्र में वृद्धि, नयी जमीन पर खेती प्रारम्भ करने (ख) सिंचाई की सुविधाओं का विकास (ग) उन्नत वीज-खाद का उपयोग तथा नये उपकरण के उपयोग के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। अव लोगों ने गेहूँ की खेती वड़े पैमाने पर प्रारम्भ की है। जिनके पास सिंचाई के साधन है वे सभी गेहूँ की खेती करने में रुचि रखते हैं। तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि गेहूँ वाजरे की खेती का विकास हुआ है। नकद फसल के रूप में सरसों की खेती भी प्रारम्भ की गयी है। पिछले 10.15 वर्षों में सरसों की खेती वढ़ी है इस समय सर्वेक्षित परिवारों ने 128 क्विंटल सरसों

सारणी संख्या 2:16

हस्तेड़ा में कुल उत्पादन (जाति आधार पर वर्गीकृत -1990 - 91)

—क्विंटल

क्र. सं.	जाति		गेहूँ	बाजरा	जौ	चना	सरसों	मूँग	मोठ	ग्वार	मेथी	मूँगफली	दूध	घी
1.	ब्राह्मण	—	176	74	23	30	3	10	7	2	10	-	124	-
2.	महाजन	—	2	15	-	10	-	6	6	-	-	-	51	-
3.	जाट	—	815	423	36	74	57	20	9	45	14	-	561	34
4.	यादव	—	646	396	113	120	50	41	32	4	10	9	533	-
5.	मीणा	—	234	119	35	16	5	19	18	-	-	5	174	10
6.	रैगर	—	37	25	28	7	-	-	-	-	-	-	61	-
7.	कुमावत	—	42	53	93	17	2	2	2	-	6	-	99	-
8.	बुनकर	—	-	7	-	-	-	-	8	-	-	5	14	-
9.	जोगी	—	33	36	12	22	5	4	3	5	2	5	53	-
10.	नायक	—	51	66	33	5	-	-	-	-	2	-	56	-
11.	दर्जी	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
12.	खाती	—	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
13.	हरिजन	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	तेली	—	20	15	-	5	2	4	-	4	-	-	8	-
15.	नाई	—	10	5	2	6	-	-	-	-	-	-	15	-
16.	मोची	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
17.	छीपा	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
18.	मुसलमान	—	115	53	10	4	4	-	8	31	34	17	72	-
	योग	—	2197	1310	315	316	1128	106	93	91	68	41	1870	44

उत्पादन किया। सरसों मुख्य नकदी फसल होती जा रही है।

वर्तमान सर्वेक्षण को थोड़ा आगे वढ़ाने पर प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति उत्पादन को जाना जा सकता है। किसाना स्वयं की जमीन पर जो उत्पादन करता है वह प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति कितना है यह सारणी में देख सकते हैं। उत्पादन की दृष्टि से कृपक जातियों में प्रति परिवार अनाज का उत्पादन क्रमशः 6,5 एवं 2.9 क्विंटल रहा। यह कहा जा सकता है कि इन जातियों के पास विक्री लायक अनाज का उत्पादन होता है। अन्य जातियों में प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में उत्पादन काफी कम है। वुनकर परिवार में प्रति परिवार .8 क्विंटल तथा प्रति व्यक्ति 12 किलो उत्पादन पाया गया। यह उल्लेखनीय है कि हरिजन, घोवी, छीपा एवं दर्जी के पास जमीन नहीं होने के कारण कुछ भी उत्पादन नहीं किया गया है।

दूध उत्पादन

हस्तेड़ा में अधिकांश परिवार के पास दुधारू पशु हैं। सर्वेक्षण के दौरान वर्ष में दूध उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगाया गया। यह पाया गया कि कृपक परिवारों के पास अधिक संख्या में दुधारू पशु हैं तथा इन परिवारों में दूध का उत्पादन भी अधिक है। कृपक जातियों में जाट, यादव मीणा जाति के प्रति परिवार वर्ष का उत्पादन क्रमशः 27,26 एवं 17.5 क्विंटल होता है। यदि प्रति व्यक्ति के सन्दर्भ में देखें तो वार्पिक प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन जाट परिवारों में 2.6, यादव 2.4 तथा मीणा परिवार में 1.3 क्विंटल पाया गया। अनुसूचित जातियों में प्रति परिवार वार्षिक दूध उत्पादन छीपा 3, धोवी 4 नायक 8 क्विंटल है इनमें प्रति व्यक्ति छीपा 3, घोवी 5 तथा नायक 1.25 क्विंटल वार्पिक दूध उत्पादन है। हरिजन परिवार के पास स्वयं का दूध उत्पादन नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छीपा, घोवी, दर्जी के पास कृपि भूमि या खेती नहीं होने के वावजूद इनके पास दूधारू पशु हैं और वे दूध उत्पादन करते है। इनमें दूध की मात्रा को देखे तो यह कहने की स्थिति में हैं कि ये लोग दूध का उपयोग स्वयं करते है। सर्वेक्षित के दौरान यह वात सामने आयी कि हस्तेड़ा में दूध विक्री की नियमित व्यवस्था नहीं है। ऐसे कृपक परिवारों जो दूध विक्री की दृष्टि से दूधारू पशु पालते है वे तो दूध वेचते है। सामान्य व्यक्ति दूध का उपयोग स्वयं करते पाये गये।

3- सर्वेक्षित परिवारों में रोज़गार के स्रोत

गाँवों में आवागमन के साधनों के विकास ने रोजगार के नये स्रोत विकसित किये हैं। गाँव में तथा गाँव के वाहर नये नये कार्य विकसित किये हैं। हस्तेड़ा जैसे गाँव में

सारणी संख्या 2:17 **प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति उत्पादन 1990-91** –क्विंटल में

	जाति		परिवार संख्या	जनसंख्या	अनाज उत्पादन		दूध उत्पादन	
					प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति	प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति
1.	ब्राह्मण	—	17	15	16	1.8	7	.8
2.	महाजन	—	8	73	2.1	23.0	6.4	.69
3.	जाट	—	21	212	6.0	6.0	2.7	2.6
4.	यादव	—	20	221	58.0	5.0	26.0	2.4
5.	मीणा	—	10	134	40.0	2.9	17.5	1.3
6.	रैगर	—	24	180	3.7	.4	2.5	34 किलो
7.	कुमावत	—	8	81	22.0	2.3	12.0	1.2
8.	बुनकर	—	8	56	.8	12 किलो	1.7	25 किलो
9.	जोगी	—	5	43	16.0	1.9	11.0	1.25
10.	नायक	—	7	44	21.0	3.5	8.0	1.25
11.	दर्जी	—	2	23	-	-	10.0	1.00
12.	खाती	—	2	13	15.0	2.2	7.0	1.00
13.	तेली	—	2	21	18.0	1.4	4.0	.38
14.	हरिजन	—	1	12	-	-	-	-
15.	नाई	—	1	15	15.0	18.0	15.0	1.00
16.	छीपा	—	1	10	-	-	3.0	.3
17.	मोची	—	2	16	-	-	4.0	.5
18.	मुसलमान	—	17	143	11.0	1.2	4.0	.5
	योग		156	1448	24.0	2.6	12.0	1.3

आवागमन के साधनों के विकास के कारण गाँव में बाजार का विकास हुआ। नई दुकाने खुली है तथा यह स्थान पास पड़ोस के गाँवों के लिए बाजार की सुविधा प्रदान करने वाला हो गया है। इस दृष्टि गाँवों के लिए बाजार की सुविधा प्रदान करने वाला हो गया है। गाँव के लोग कृषि तथा कृषि के साथ अन्य प्रकार के कार्यों से भी जुड़े है। नमूने के अध्ययन में शामिल परिवारों के रोजगार के स्रोत का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जिसके आधार पर रोजगार के परिवर्तन की दिशा का अंदाज लगाया जा सकता है

प्राप्त तथ्यों के अनुसार आज भी कृषि जीविका का मुख्य साधन है। सर्वेक्षित 156 परिवारों में 57 परिवार की जीविका का मुख्य साधन खेती है। इस प्रकार मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर परिवारों का प्रतिशत 36 आता है। रोजगार की दृष्टि से दूसरा स्थान गैर कृषि मजदूरी का आता है। सर्वेक्षित परिवारों में से 40 परिवार (26 प्रतिशित) मजदूरी करते पाये गये। ये लोग गाँव तथा गाँव के बाहर मजदूरी करते हैं। कृषि श्रमिक के रूप में 13 परिवार (9 प्रतिशत) कार्यरत है। मुख्य रूप से नौकरी पर निर्भर परिवारों की संख्या 11 पायी गयी तथा इनका प्रतिशत 7 आया है। विभिन्न दस्तकारी में चमड़े का काम, कुम्हारी, लकड़ी का कार्य मुख्य है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गाँव में परम्परागत कताई का कार्य पहले से घटा है। व्यापार से जुड़े परिवारों की संख्या 23 पायी गयी। गाँव में दुकानों की संख्या बढ़ी है। अतः व्यापार करने तथा इस कार्य पर मुख्य रूप से निर्भर रहने वाले परिवारों की संख्या 14 प्रतिशत पायी गयी।

आज भी गाँव में रोजगार का जुड़ाव जाति व्यवस्था से है। हाँलाकि कई कार्यो में जातीय तत्त्व गौण होते जा रहे है। उदाहरण के लिए दुकान का कार्य अब मात्र व्यापारी जातियों के पास नहीं रहा। इसी प्रकार शिक्षण कार्य में सभी जातियों के लोग हैं। तकनीकी तथा उद्योग में भी सभी जाति के लोग लगने लगे है। सारणी में जातीय सन्दर्भ में मुख्य रोजगार की स्थिति को दर्शाया गया है। यह उल्लेखनीय तथ्य सामने आया कि ब्राह्मण जाति के लोग उद्योग व्यवसाय से जुड़ रहे है लेकिन इस जाति के लोग दुकान चलाने जैसे कार्यों में आगे नहीं आये हैं। कुल 17 ब्राह्मण परिवार में 3 खेती, 3 मजदूरी, 5 नौकरी तथा 6 उद्योग-धन्धे से जुड़े पाये गये। उद्योग व्यवसाय में मुख्यतः तेल-घानी, ठेकेदारी, मोटर-ट्रक, जीप आदि कार्यों में से जुड़े पाये गये। व्यापारी जातियाँ मुख्यतः व्यापार में लगी हैं। सर्वेक्षित 8 परिवारों में सभी व्यापार एवं उद्योग से जुड़े पाये गये। जाट जाति के सभी 21 परिवार के जीविका का मुख्य स्रोत खेती है। यादव जाति के लोग भी मुख्यतः खेती से जुड़े हुए हैं। सर्वेक्षित 20 यादव परिवारों में 16 परिवार खेती पर निर्भर है, दो कृषि श्रमिक है। मीणा जाति के 10 परिवारों में 4

सारणी संख्या 2:18 **ग्राम हस्तेड़ा : व्यवसाय 1990-91** —परिवार संख्या

क्र.सं.	जाति		कुल संख्या	कृषि	कृषि श्रमिक	श्रमिक	नौकरी	उद्योग-व्यवसाय	व्यापार
1.	ब्राह्मण		17	3	-	3	5	6	-
2.	महाजन	—	8	-	-	-	-	1	7
3.	जाट	—	21	21	-	-	-	-	-
4.	यादव	—	20	16	2	1	-	-	1
5.	मीणा	—	10	4	2	2	-	1	1
6.	रैगर	—	24	-	2	15	1	1	5
7.	कुमावत	—	8	3	-	1	2	1	1
8.	बुनकर	—	8	-	-	-	7	1	-
9.	जोगी	—	5	3	2	-	-	-	-
10.	नायक	—	7	4	1	2	-	-	-
11.	दर्जी	—	2	-	-	-	-	-	2
12.	खाती	—	2	-	1	-	-	-	1
13.	तेली	—	2	1	1	-	-	-	-
14.	हरिजन	—	1	-	-	1	-	-	-
15.	नाई	—	1	-	-	-	-	1	-
16.	धोबी	—	2	-	1	1	-	-	-
17.	छीपा	—	1	-	-	-	-	-	1
18.	मुसलमान	—	17	2	1	7	2	1	4
	योग	—	156	57	13	40	11	12	23
	प्रतिशत	—	100	36	9	26	7	8	14

की जीविका का मुख्य आधार खेती, 2 का कृषक मजदूरी तथा एक गैर कृषि कार्यों में मजदूरी करता है। एक-एक परिवार उद्योग-व्यापार से जुड़ा पाया गया है।

रैगर जाति के परिवारों की स्थिति भिन्न पायी गयी। इनमें एक भी परिवार पूर्णरूप से खेती पर निर्भर नहीं है। सर्वेक्षित 24 रैगर परिवारों में से 15 परिवारों की जिविका का मुख्य स्रोत मजदूरी है। ये लोग मजदूरी करने सामान्यतः गाँव में बाहर जाते हैं। काफी लोग दिल्ली तथा हरियाणा के शहरों में जाकर मजदूरी करते है। इनमें से एक परिवार मुख्य रूप से नौकरी से जुड़ा है तथा 5 परिवार व्यापार से जुड़ा पाया गया है। कुमावत जाति के परिवार कृषि एवं अन्य कार्यों में लगे है। बुनकर मुख्य रूप से मजदूरी कार्य से जुड़े हैं। यह उल्लेखनीय है कि बुनकर जाति के लोग बुनाई का कार्य छोड़ते जा रहे हैं। इसके अभाव में मजदूरी एक मात्र कार्य रह गया है। जोगी एवं नायक जाति के परिवार खेती एवं मजदूरी से जुड़े हुए है। सारणी से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियाँ गैर कृषि कार्यों से अपनी जीविका चलाते है। उनकी जीविका का मुख्य साधन मजदूरी है। कुछ परिवार उद्योग व्यवसाय से भी जुड़े हुए है। सर्वेक्षित मुस्लिम समुदाय के 17 परिवार विविध कार्यों से जुड़े पाये गये हैं। इनमें से सर्वाधिक 7 परिवार श्रमिक रूप में कार्य करते हैं। अन्य कार्यों में एक-दो परिवार लगे हैं। यह कहा जा सकता है कि हस्तेड़ा गाँव में जिनके पास पर्याप्त खेती है उनकी जिविका का मुख्य साधन आज भी खेती है।

रोजगार के मुख्य साधनों की स्थिति की तुलना पूर्व अध्ययन के तथ्यों के साथ करें तो परिवर्तन की दिशा अधिक स्पष्टता से देखी जा सकती है। पूर्व के अध्ययन के समय कृषि-पशुपालन के साथ जुड़े परिवारों का प्रतिशत 29.5 था जबकि इस समय 36 प्रतिशत परिवार इन कार्यों पर निर्भर पाये गये। इस तथ्य से यह कहने की स्थिति बनती है कि गाँव में खेती का विकास होने के कारण कृषि में रोजगार बढ़ा है। जैसा कि अन्यत्र कहा गया है विविध कारणों से खेती में रोजगार के स्रोत बढ़े हैं, नयी जमीन पर खेती प्रारंभ हुई है। कतिपय कारणों से मजदूरी करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। पूर्व अध्ययन के समय कुल श्रमिक परिवारों की संख्या 15.2 प्रतिशत थी जिनमें 5.9 प्रतिशत कृषि श्रमिक तथा 9.3 प्रतिशत गैर कृपक श्रमिक थे। वर्तमान अध्ययन के समय 9 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं, जबकि 26 प्रतिशित गैर कृपक श्रमिक है। स्पष्ट है कि कृपक श्रमिकों की संख्या 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मजदूरी के अन्य कार्यों का व्यापक विस्तार हुआ है तथा गाँव एवं गाँव के बाहर दूरस्थ शहरों में मजदूरी की संभावनायें बढ़ी है। अतः गैर कृपक मजदूरी की संख्या 9.3 से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नौकरी करने वालों का प्रतिशत प्रायः स्थिर रहा है। पूर्व

अध्ययन के समय यह प्रतिशत 8.4 था जवकि इस समय 8 प्रतिशत है। वर्तमान अध्ययन से यह वात सामने आयी है कि ग्रामीण दस्तकार का अनुमान घटा है। पिछले अध्ययन के समय 17.7 प्रतिशत परिवार किसी न किसी दस्तकारी से जुड़े हुए थे। जातीय सन्दर्भ में आज भी संवद्ध जाति के परिवार हैं। लेकिन अव उनकी जीविका का मुख्य साधन दस्तकारी नहीं रहा। इस समय दस्ताकारों की प्रतिशत 8 रह गया है। स्पष्ट है कि ये लोग अव मजदूरी या अन्य कार्यों में लग गये हैं। इनके विपरीत व्यापार तथा परम्परागत कार्यों के लगे लोगों के कार्यों में खास परिवर्तन नहीं आया है। पूर्व अध्ययन के समय 11.3 प्रतिशत परिवार व्यापार आदि से जुड़े थे जवकि इस समय 14 प्रतिशत इन कार्यों से सम्वद्ध है। हस्तेड़ा जैसे गाँव में व्यापार तथा अन्य कार्य जैसे नाई, धोवी, आदि के कार्य में गिरावट नहीं आयी है।

4- साक्षरता एवं शिक्षा

हस्तेड़ा गाँव में साक्षरता एवं शिक्षा की स्थिति के उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। संलग्न सारणी के अनुसार सभी जाति समूहों में साक्षरता का स्तर वढ़ा है। हस्तेड़ा में इस समय साक्षरता का प्रतिशत 40.54 है। पूर्व अध्ययन के समय इस गाँव में कुल साक्षरता का मात्र 23 प्रतिशत था। अतः साक्षरता की स्थिति में उल्लेखनलीय सुधार हुआ है। साक्षरता को जातीय सन्दर्भ में देखने पर पाते हैं कि निम्न जाति एवं अनुसूचित जाति में साक्षरता वढ़ी है। पूर्व अध्ययन के समय निम्न समुदाय में साक्षरता प्रायः नहीं थी। उस समय अनुसूचित जाति का मात्र एक व्यक्ति 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त था। वर्तमान में साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर में सुधार देखा जा सकता है। सर्वेक्षित परिवारों में सभी जातियों में साक्षरता की स्थिति सारणी में देखी जा सकी है। सवसे कम साक्षरता हरिजन परिवार में 8 प्रतिशत पायी गयी। मुसलमानों में साक्षरता 32.15 प्रतिशत पायी गयी। सवसे अधिक साक्षरता 71.23 प्रतिशत महाजन जाति में पायी गयी जवकि व्राह्मणों में साक्षरता 65.56 पायी गयी। किसान जातियों में साक्षरता तुलनात्मक दृष्टि से कम पायी गयी। अ.ज़ा. जाति मीणा में इसका प्रतिशत 20.90 रहा जवकि रैगर जाति में इससे अधिक 25.56 प्रतिशत पाया गया। कुम्हार एवं वुनकारों में साक्षरता अधिक क्रमशः 54.32 एवं 58.93 प्रतिशत पाया गया। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों में भी साक्षरता के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, धोवी, नाई, छीपा, जातियों में साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 68.75, 66.60 तथा 60 पाया। नायक एवं तेली में यह प्रतिशत क्रमशः 18 एवं 33 रहा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति, जन जाति सभी में शिक्षा के प्रति लगाव वढ़ा है और प्रायः सभी जातियों के लोग प्राथमिक विद्यालय में भेजते है। सारणी में कक्षा के अनुसार संख्या दी गयी है। स्पष्ट है कि उच्च कक्षाओं

सारणी संख्या 2 : 19

हस्तेड़ा में शिक्षा की स्थिति 1990-91

क्र.सं.	जाति		साक्षर	कक्षा 1-5	कक्षा 6-8	कक्षा ९-१०	कक्षा ११-१२	बी.ए	एम.ए	कुल जनसंख्या	कुल शिक्षित	शिक्षितों का प्रतिशत
1.	ब्राह्मण	—	1	31	16	27	15	5	4	151	99	65.56
2.	महाजन	—	0	14	9	17	7	2	3	73	52	71.23
3.	जाट	—	1	29	27	8	9	3	0	212	77	36.32
4.	यादव	—	1	24	30	18	1	3	3	221	80	36.20
5.	रैगर	—	1	13	18	5	8	1	0	180	46	25.56
6.	मीणा	—	1	6	2	2	11	5	1	134	28	20.90
7.	कुम्हार	—	0	12	15	16	1	0	0	81	44	54.32
8.	बुनकर	—	0	11	6	14	2	0	0	56	33	58.93
9.	जोगी	—	1	7	8	3	0	0	0	43	19	44.19
10.	नायक	—	1	3	1	2	1	0	0	44	8	18.18
11.	दर्जी	—	0	2	3	1	4	0	2	23	12	52.17
12.	बढ़ई	—	0	3	1	1	1	0	2	13	8	61.54
13.	तेली	—	0	1	2	4	0	0	0	21	7	33.33
14.	हरिजन	—	0	1	0	0	0	0	0	12	1	8.33
15.	नाई	—	1	3	4	0	1	0	1	15	10	66.60
16.	धोबी	—	0	4	7	0	0	0	0	16	11	68.75
17.	छीपा	—	0	1	5	0	0	0	0	10	6	60.00
18.	मुसलमान	—	1	18	10	12	2	3	0	143	46	32.17
	योग	—	9	183	164	130	63	22	16	1448	587	40.54

में जाकर केवल उच्च जाति के छात्र ही पढ़ाई चालू रख पाते हैं। सारणी को यदि कक्षा के क्रम से देखे तो पायेंगे कि जैसे-जैसे कक्षा का क्रम बढ़ता है छात्रों की संख्या घटती जाती है। कक्षा आठवीं एवं 10 वीं तक पहुँचते-पहुँचते पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या तेजी से घट जाती है। स्नातक स्तर पर शिक्षा प्राप्त लोगों में उच्च जाति के अतिरिक्त मध्यम जाति अहीर के 3, मीणा 5, तथा अ.ज़ा. रैगर के एक व्यक्ति पाये गये। लेकिन स्नातकोत्तर (एम.ए.) कक्षा तक शिक्षा प्राप्त लोगों में धोबी, बढ़ई एवं नाई जाति के लोग भी हैं। स्पष्ट है प्रायः सभी जातियों में जिसमें से अ.ज़ा. के परिवार भी शामिल है, में शिक्षा के प्रति झुकाव बढ़ा है। इसका एक कारण यह भी है कि हस्तेड़ा जैसे गाँव में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है।

साधनों की स्थिति

कृषि प्रधान गाँव हस्तेड़ा में कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित साधनों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। सर्वेक्षित परिवारों के पास पशुधन एवं अन्य कृषि साधनों की संख्या को देखते हुए उनमें परिवर्तन की दिशा का अंदाज लगता है। सर्वेक्षण के दौरान यह साफ तौर पर देखने में आया कि कृषि कार्य में पशुधन एवं परम्परागत साधनों का उपयोग कम होता जा रहा है। बैल, ऊंट एवं हल से खेती के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग बढ़ा है। सर्वेक्षित 156 परिवारों के पास 6 ट्रैक्टर पाये गये। पशुधन एवं कृषि साधनों को जाति एवं धन्धे के सन्दर्भ में देखना उचित होगा। क्योंकि जिनके पास जमीन है उन्हीं के पास अधिक पशुधन है। जमीन खास कृषक जातियों के पास है। सारणी में हम देखते हैं कि ब्राह्मण एवं महाजन जैसे उच्च जातियों के पास दूधारू जानवर तो है परन्तु ऊंट, बैल, ऊंट गाड़ी नहीं है। कृषक जातियों में जाट, अहीर, मीणा जाति के परिवारों के पास दूधारू पशु के साथ-साथ ऊंट, बैल, बछड़े, बकरी आदि पशु भी पर्याप्त संख्या में है। जहाँ तक दुधारूप पशु का प्रश्न है प्रायः सभी जातियों के पास एक दो पशु पाये गये। अपवाद के रूप में हरिजन एवं छीपा जाति के परिवार है जिनके पास दुधारू पशु नहीं है। सारणी में यह भी स्पष्ट है कि पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के पास पशुधन एवं कृषि साधनों का अभाव है। सिंचाई के साधन के रूप में कुँए भी कृषक जातियों के पास नहीं है।

पिछले अध्ययन के सन्दर्भ में देखें तो साधनों के प्रकार में अन्तर पाया गया है। पूर्व के अध्ययन के समय कृषि साधनों में हल का प्रमुख स्थान था। इस सयम गाँव में ट्रैक्टर नहीं थे। इस अध्ययन के समय सर्वेक्षित परिवारों के पास 6 ट्रैक्टर हैं।

पूर्व अध्ययन (करीब 30 वर्ष पूर्व) के समय खेती के सभी कार्य पशु एवं मानव

सारणी संख्या 2 : 20

हस्तेड़ा में पशुधन व अन्य कृषि साधन 1990-91

क्र. सं.	जाति		गाय	भैंस	बछड़े	ऊँट	बकरी	भेड़	कुंऐ	ट्रैक्टर	बैल/ऊँटगाड़ी	बैल
1.	ब्राह्मण	—	9	14	15	–	7	–	5	1	–	–
2.	महाजन	—	7	1	2	–	10	–	1	–	–	–
3.	जाट	—	19	52	92	7	58	5	17	3	10	15
4.	यादव	—	6	13	17	1	21	18	7	–	3	–
5.	मीणा	—	26	61	51	5	33	–	21	1	7	26
6.	रैगर	—	3	6	15	–	13	–	1	–	–	–
7.	कुमावत	—	14	8	1	2	4	–	5	1	1	8
8.	बुनकर	—	1	1	–	–	16	–	–	–	–	–
9.	जोगी	—	4	1	4	–	2	1	4	–	–	–
10.	नायक	—	6	2	5	–	5	–	3	–	–	–
11.	दर्जी	—	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–
12.	खाती	—	1	1	2	–	1	–	2	–	–	–
13.	तेली	—	1	1	1	–	2	–	1	–	–	–
14.	हरिजन	—	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
15.	नाई	—	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–
16.	धोबी	—	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
17.	छीपा	—	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
18.	मुसलमान	—	3	1	3	–	34	101	4	–	–	–
	योग	—	104	165	209	16	213	124	71	6	21	50

श्रम के सहयोग से पूरा किया जाता था। इस समय खेत की जुताई, वुआयी, दाना निकालना आदि कार्य ट्रैक्टर से किया जाता है। पूर्व अध्ययन के समय पूरे गाँव में 38 गाड़ी (वैल एवं ऊंट गाड़ी) थे। इस समय सर्वेक्षित परिवारों के पास 21 ऊंट या वैल गाड़ी है। स्पष्ट है ऊंट वैल गाड़ी की उपयोगिता आज भी कायम है। किसान इसका उपयोग खेतों में फसल लाने, खाद तक ले जाने, सामान ढोने तथा वाहन के रूप में करता है।

5- सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति

हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास के सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति के आंकलन की दृष्टि से पारिवारिक एवं व्यक्तिगत आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे तथा विभिन्न जाति समूहों में आय की विवेचना करने का प्रयास भी किया गया है। आर्थिक स्थिति का विवेचन निम्नलिखित संदर्भों में किया गया :

1. कार्य एवं रोजगार के प्रकार के अनुसार।
2. पारिवारिक एवं व्यक्तिगत आय।
3. जातीय सन्दर्भ में आय की स्थिति
4. आय समूह के अनुसार परिवार की स्थिति।
5. आय के सन्दर्भ में पारिवारिक व्यय की स्थिति।

सारणी संख्या 2 : 21

ग्राम हस्तेड़ा में विभिन्न व्यवसाय वाले परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय (रु.) आधार - 1990-91 का सर्वेक्षण

	व्यवसाय		आय	परिवार संख्या	प्रति परिवार आय
1.	कृषि	–	15,72,550	57	27588.60
2.	श्रमिक	–	2,76,470	40	6911.75
3.	कृषि श्रमिक	–	1,86,180	13	14321.54
4.	नौकरी	–	4,04,480	11	36770.91
5.	उद्योग-व्यवसाय	–	2,65,390	12	22115.83
6.	व्यापार	–	2,36,640	23	10288.70
	योग	–	29,41,710	156	18857.12

हस्तेड़ा गाँव के सर्वेक्षित 156 परिवारों की आय की स्थिति विवरण संलग्न सारणी में देख सकते है। सर्वेक्षित परिवारों की कुल वार्षिक आय 29,41,710 रुपये पायी गयी। इस आय की प्रति परिवार आय के सन्दर्भ में देखें तो प्रति परिवार वार्षिक आय 18,857 रुपये पाया गया।

आय के विश्लेषण को आगे वढ़ाये और विभिन्न प्रकार के रोजगार में लगे परिवारों में आय की स्थिति को देखने पर स्थिति अधिक स्पष्ट होती है। विभिन्न कार्यों में लगे परिवारों के कार्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है :

1. कृषक
2. श्रमिक
3. कृषि श्रमिक
4. नौकरी
5. उद्योग-व्यवसाय
6. व्यापार

रोजगार के उपरोक्त स्रोतों का विभाजन करते समय परिवार के मुख्य कार्य को आधार मानकर कार्य विभाजन किया गया है। आय आकलन में सहायक स्रोतों से हुई आय को भी शामिल किया गया है। प्रति परिवार वार्षिक आय के तथ्यों को देखने पर पाते हैं कि नौकरी से जुड़े परिवारों की वार्षिक आय सबसे अधिक है। इन परिवारों के प्रति परिवार वार्षिक आमदनी 36.770 पायी गयी। इसके विपरीत सबसे कम प्रति परिवार वार्षिक आय श्रमिकों की (6911 रुपये) है। आय की दृष्टि से दूसरा स्थान कृषक परिवारों का है। हस्तेड़ा गाँव के कृषक परिवारों की औसत प्रति परिवार वार्षिक आमदनी 27,588 रुपये पायी गयी है। तीसरा स्थान उद्योग व्यापार से जुड़ परिवारों में प्रति परिवार औसत आमदनी 22,115 रुपये पायी गयी। कृषि कार्य से जुड़े श्रमिकों की प्रति परिवार वार्षिक आय 14.321 रुपये है। जबकि गाँव में दुकान करने वाले व्यापारियों के प्रति परिवार आय 10.288 रुपये है। व्यवसाय के अनुसार प्रति परिवार की आय 10,288 रुपये है। व्यवसाय के अनुसार पारिवारिक आय की स्थिति को समग्र दृष्टि से देखने पर पाते है कि स्थायी नौकरी करने या यो कहें ऐसे परिवारों की जिनके आय का मुख्य स्रोत नौकरी है उनकी पारिवारिक आय सबसे अधिक है। नौकरी पर निर्भर रहने वाले परिवारों की आय अधिक होने का एक कारण यह भी पाया गया कि नौकरी की मासिक आय स्थायी है तथा अन्य स्रोतों से आय की इसमें जुड़ जाती है।

मजदूरी, कृषि, श्रमिक, दुकान आदि मुख्य आय का स्रोत होने पर आय के अन्य स्रोत या तो होते नहीं या होते भी हैं तो उनकी मात्रा बहुत कम होती है। इस गाँव में बड़े किसानों की अच्छी आय होती है। केवल श्रम पर निर्भर परिवारों की स्थिति दयनीय होना स्वाभाविक है। इन स्थितियों को देखते हुए कह सकते हैं कि नौकरी का आकर्षण स्वाभाविक है।

सारणी संख्या 2 : 22

हस्तेड़ा में प्रति परिवार आय वर्ष - **1990-91**

(रुपये)

क्र. सं.	जाति		कुल आय	प्रति परिवार आय	प्रति व्यक्ति आय
1.	ब्राह्मण	—	485990	28587.65	3218
2.	महाजन	—	144500	18062.50	1980
3.	जाट	—	669400	31876.19	3159
4.	यादव	—	570330	28516.50	2580
5.	मीणा	—	264500	26450.00	1974
6.	रैगर	—	175820	7325.83	976
7.	कुमावत	—	92955	11619.38	1147
8.	बुनकर	—	87675	10959.38	1565
9.	जोगी	—	53680	10736.00	1248
10.	नायक	—	54900	7842.86	1247
11.	दर्जी	—	11600	5800.00	504
12.	बढ़ई	—	41700	20850.00	3207
13.	तेली	—	45100	22550.00	2147
14.	हरिजन	—	7200	7200.00	600
15.	नाई	—	11900	11900.00	793
16.	धोबी	—	15000	7500.00	937
17.	छीपा	—	14000	14000.00	1400
18.	मुसलमान	—	195460	11497.65	1366
	योग	—	2941710	18857.12	2031

प्रति परिवार आय को जातीय सन्दर्भ में भी देखा जा सकता है। संलग्न सारणी में समीक्षा वर्ष में विभिन्न जातियों में प्रति परिवार औसत आय की स्थिति देखी जा सकती है। हस्तेड़ा गाँव में सबसे कम वार्षिक आय वाले परिवार दर्जी, हरिजन, रैगर, धोबी, नायक आदि जाति के है। दर्जी जाति के प्रति परिवार वार्षिक आय मात्र 5800 रुपये पायी गयी। इसी प्रकार हरिजन की वार्षिक आय 7200 रुपये तथा धोबी एवं रैगर परिवार की क्रमशः 7500 एवं 7325 रुपये पायी गयी। इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े जातियों के परिवारों की आज भी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अन्य पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों की प्रति परिवार वार्षिक आय 10 से 20 हजार रुपये वार्षिक के बीच में है तथा नाई की 11,9000 रुपये। जोगी एवं बुनकर परिवारों की स्थिति इनसे कमजोर (क्रमशः 10,736 एवं 10959) पायी गयी।

स्वाभाविक है कि कृपक जातियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक है। प्रायः सभी सामाजिक स्तर की किसान जाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी पायी गयी। मीणा अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में है। हस्तेड़ा में इन जाति के परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय 26,450 रुपये है। अन्य कृपक जातियों में जाट एवं यादव (अहीर) आते हैं। सारणी के अनुसार इस गाँव में सबसे अधिक प्रति परिवार वार्षिक आय 31,876 रुपये है जबकि दूसरा स्थान यादव जाति का है जिनकी आय 28,516 रुपये है। ब्राह्मण जाति के परिवारों की स्थिति इनसे थोड़ी अच्छी है - 28,587 रुपये है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण जाति के लोगों को एक से अधिक स्रोतों से आय होती पायी गयी। जैसे नौकरी, खेती, जजमानी, व्यापार आदि। गाँव में व्यापार की सीमित संभावना पायी गयी। गाँव के महाजन की आय तुलनात्मक दृष्टि से कम (18,062) पायी गयी।

मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में परिवार आर्थिक इकाई है। परिवार की जो भी आय होती है उसका उपयोग परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। व्यय में व्यक्ति की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण होती है। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय कम हो या वह कमाई की कम क्षमता रखता हो फिर भी इसकी आवश्यकता के अनुसार उस पर व्यय किया जाता है। कहा जा सकता है कि परिवार सामाजिक तथा आर्थिक दोनों इकाई है। परिवार में व्यक्ति की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। यही भारतीय समाज व्यवस्था की विशेपता है। अतः आर्थिक स्थिति के विश्लेपण में परिवार की आय का अधिक महत्त्व है। परिवार समाज की मौलिक एवं प्राथमिक सामाजिक-आर्थिक इकाई है। इनमें व्यक्ति को पूर्ण सामाजिक

एवं आर्थिक संरक्षण मिलता है, सुविधा मिलती है।

आर्थिक स्थिति को अधिक स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत आय के विश्लेषण की परम्परा है। इस अध्ययन में भी इस परम्परा को निभाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय को दो संदर्भों में देखना चाहेंगे-

(क) रोजगार के प्रकार तथा (ख) सामाजिक श्रेणी जातीय सन्दर्भ।

सारणी संख्या 2 : 23

व्यवसाय आधार पर वर्गीकृत - प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1990-91

क्र.सं.	*व्यवसाय*		*कुल आय*	*कुल सदस्य*	*प्रति व्यक्ति आय*
1.	कृषक	–	15,72,550	593	2651.85
2.	श्रमिक	–	2,76,410	310	891.65
3.	कृषक श्रमिक	–	1,86,180	130	1432.15
4.	नौकरी	–	4,04,480	9	14444.84
5.	उद्योग व्यापार	–	2,65,390	144	1842.99
6.	व्यापार	–	2,36,640	180	1314.67
	योग	–	29,41,710	1448	2031.57

हस्तेड़ा गाँव के सर्वेक्षित परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 2031 रुपये है। यदि प्रति व्यक्ति आय को व्यवसाय एवं रोजगार के सन्दर्भ में देखते हैं तो श्रमिकों की स्थिति सबसे कमजोर पाते हैं। यही स्थिति प्रति परिवार के आय की है। कहा जा सकता है कि पारिवारिक आय के अनुरूप ही व्यक्ति की आय होती है। व्यक्ति परिवार की ही इकाई है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय नौकरी करने वालों की है। नौकरी से जुड़े लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी 4,444 रुपये है। जबकि दूसरा स्थान किसानों का है। हस्तेड़ा में किसान परिवारों में प्रति व्यक्ति आय 2651 रुपये तथा उद्योग व्यवसाय से जुड़े परिवारों की 1843 रुपये पाया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कृषि श्रमिकों की प्रति व्यक्ति आय (1432 रुपये)। गाँव में दुकान करने वाले, दुकान पर निर्भर रहने वाले परिवारों से अधिक है - दुकान पर निर्भर परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 1314 रुपये है जो कि कृषि मजदूरों से कम है। कृषि मजदूरों की तुलनात्मक दृष्टि से कुछ अच्छी स्थिति का एक कारण यह देखने में आया कि इनके पास कुछ जमीन है, इनके परिवार के कुछ सदस्य बाहर काम करते हैं। दुकान से जुड़े परिवारों की आय स्थानीय

सारणी संख्या 2 : 24 ग्राम हस्तेड़ा में व्यवसाय अनुसार आय का वर्गीकरण - आधार सर्वेक्षण वर्ष- 1990-91 —रुपये

क्र.सं.	जाति		कृषि	कृषि श्रमिक	श्रमिक	सर्विस	उद्योग-व्यवसाय	व्यापार	योग 1 से 7 तक
1.	ब्राह्मण	17	69900	-	15300	268700	132090	-	485990
2.	महाजन	8	-	-	-	-	25000	119500	144500
3.	जाट	21	669400	-	-	-	-	-	669400
4.	यादव	20	526350	19700	14680	-	-	9600	570330
5.	मीणा	10	139100	49000	22900	-	43500	10000	264500
6.	रैगर	24	-	26200	89480	26000	17500	26640	178520
7.	कुमावत	8	29000	-	17075	29880	4000	13000	92955
8.	बुनकर	8	-	-	64175	23500	-	-	87675
9.	जोगी	5	38500	15180	-	-	-	-	53680
10.	नायक	7	41500	6500	6900	-	-	-	54900
11.	दर्जी	2	-	-	-	-	-	11600	11600
12.	बढ़ई	2	-	34500	-	-	-	7200	41700
13.	तेली	2	24600	20500	-	-	-	-	45100
14.	हरिजन	1	-	-	7200	-	-	-	7200
15.	नाई	1	-	-	-	-	11900	-	11900
16.	मोची	2	-	6000	9000	-	-	-	15000
17.	छीपा	1	-	-	-	-	-	14000	14000
18.	मुसलमान	17	34200	8600	29710	66400	31400	25100	195460
	योग		15572550	186180	276470	404480	265390	236640	2941710

विक्री पर निर्भर है और गाँव में विक्री की स्थिति वहुत अच्छी नहीं है।

जातीय आधार पर प्रति व्यक्ति आय का विश्लेषण करने पर पाते है कि दर्जी एवं हरिजन (भंगी) जाति की स्थिति सवसे कमजोर है। दर्जी की प्रति व्यक्ति आमदनी 504 रुपये है जवकि हरिजन की 600 रु. पायी गयी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दर्जी जाति होते हुए भी ये लोग सिंचाई कार्य में कुशल नहीं है तथा इनके पास और कोई लाभकर धन्धा नहीं होने के कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हरिजन परिवार के पास सामाजिक उपेक्षा तथा जमीन या अन्य साधनों का अभाव है। इन्हें गाँव में अन्य कार्यों में भी रोजगार नहीं मिल पाता है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से कृषक एवं नौकरी पेशे से जुड़ी जातियों एवं परिवारों की स्थिति सवसे अच्छी पायी गयी। व्राह्मण, जाट, नाई तथा वढ़ई की स्थिति सवसे अच्छी पायी गयी। प्रति व्यक्ति सवसे अधिक आय व्राह्मण जाति की (रुपये 3118) है। जवकि वढ़ई एवं जाट की क्रमशः 3207 एवं 3159 रुपये पायी गयी। हस्तेड़ा गाँव के यादव जाति के परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 2580 तथा तेली की 2147 रुपये है। मीणा जाति के पास जमीन है तथा ये लोग अच्छे किसानों की श्रेणी में है। इनकी प्रति व्यक्ति आमदनी 1974 रुपये पायी गयी। अन्य जातियों की प्रति व्यक्ति आमदनी इनमें कम पायी गयी। राजस्थान के सन्दर्भ में देखे तो पाते है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत आय 1742 रुपये (आधार वर्ष - 1990) है जिसकी तुलना में हस्तेड़ा की स्थिति देख सकते हैं। इस स्थिति में पाते है कि राजस्थान के औसत प्रति व्यक्ति आय (1742 रुपये) से अधिक आय के परिवार उच्च जातियों, कृषक जातियों में ही है। निम्न, अनुसूचित जातियों, गैर कृषक या दस्तकार जातियों की आय औसत से कम तथा कुछ की तो औसत से वहुत की ही कम पायी गयी। आर्थिक दयनीयता अनुमान तो इसी से लगाया जा सका है कि हरिजन (भंगी), दर्जी, रैगर, धोवी, नाई आदि की प्रति व्यक्ति आय औसत से काफी कम है। इस तथ्य पर से यह भी कहा जा सका है गाँव की दस्तकार जातियों की स्थिति दिन व दिन खराव होती जा रही है।

सर्वेक्षित परिवारों की आय को श्रेणीवद्ध करके उनकी संख्या को देखकर विभिन्न जातियों की आय के स्तर का अंदाज लगता है। जैसा कि सारणी में देख सकते है, हस्तेड़ा गाँव के सर्वेक्षित परिवारों की आय को 8 श्रेणियों में विभाजिन किया गया है और किसान श्रेणी में किस जाति के कितने परिवार आते हैं इसे प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार 2500 रुपये तक की आय श्रेणी में मात्र 6 परिवार हैं। इसके आगे की आय श्रेणियों में परिवारों की संख्या वढ़ती गयी है। आगे 20 हजार रुपये वार्षिक परिवार आय है संख्या घटने लगी है। प्रति परिवार 80 हजार रुपये वार्षिक आय से

सारणी संख्या 2 : 25 ग्राम हस्तेड़ा में विभिन्न आय वर्ग के परिवारों की स्थिति सर्वेक्षित परिवार-1990-91

विभिन्न आय वर्ग के अनुसार परिवार —रुपये

क्र. सं.	जाति		1 से 2500	2501 से 5000	5001 से 10000	10001 से 20000	20001 से 40000	40001 से 80000	80001 से अधिक	योग
1.	ब्राह्मण	—	2	1	3	6	2	2	1	17
2.	महाजन	—	–	2	1	2	2	1	–	8
3.	जाट	—	–	1	–	8	8	2	2	21
4.	यादव	—	–	–	2	3	11	4	–	20
5.	मीणा	—	–	1	2	1	4	1	1	10
6.	रैगर	—	2	9	8	5	–	–	–	24
7.	कुमावत	—	–	2	1	5	–	–	–	8
8.	बुनकर	—	–	1	3	3	1	–	–	8
9.	जोगी	—	–	4	–	1	–	–	5	–
10.	नायक	—	–	2	3	1	–	–	–	7
11.	दर्जी	—	–	1	1	–	–	–	–	2
12.	बढ़ई	—	–	–	1	–	1	–	–	2
13.	तेली	—	–	–	–	–	2	–	–	21
14.	हरिजन	—	–	–	1	–	–	–	–	1
15.	नाई	—	–	–	–	1	–	–	–	1
16.	मोची	—	–	–	2	–	–	–	–	2
17.	छीपा	—	–	–	–	1	–	–	–	1
18.	मुसलमान	—	2	5	4	3	3	–	–	17
	योग	—	6	25	36	40	35	10	4	156

अधिक वाले परिवारों की संख्या मात्र 4 है। इस श्रेणी में कृषक जातियों एवं उच्च जाति सामाजिक स्तर की जातियों की जातियाँ है। अ.ज़ा. एवं पिछड़ी जातियों के परिवारों में आमतौर पर पाँच से दस एवं बीस हजार रुपये वार्षिक पारिवारिक आय की श्रेणी में आते हैं।

प्रति परिवार व्यय की स्थिति

परिवार को सामाजिक एवं आर्थिक इकाई मानते हुए आय एवं व्यय के समीकरण को समझा जा सकता है। इस समीकरण को समझने में कई बाधायें है जो कि विश्लेषण को सीमित करता है। आमतौर पर आय एवं व्यय का विवरण नहीं रखा जाता है। गाँव या

सारणी संख्या 2 : 26

हस्तेड़ा में प्रति परिवार व्यय 1990-91 (रुपये)

क्र. सं.	जाति		कुल व्यय	प्रति परिवार व्यय
1.	ब्राह्मण	—	372370	21904.12
2.	महाजन	—	116220	14527.50
3.	जाट	—	621655	29602.62
4.	यादव	—	755747	37787.35
5.	मीणा	—	299000	29900.00
6.	रैगर	—	233150	9714.58
7.	कुमावत	—	129834	16229.25
8.	बुनकर	—	73300	9162.50
9.	जोगी	—	87730	17546.00
10.	नायक	—	76930	10990.00
11.	दर्जी	—	37100	18550.00
12.	खाती	—	24010	12005.00
13.	तेली	—	31400	15700.00
14.	हरिजन	—	8400	8400.00
15.	नाई	—	22600	22600.00
16.	धोबी	—	9500	9500.00
17.	छीपा	—	17500	17500.00
18.	मुसलमान	—	190650	11214.71
	योग	—	3107066	19917.28

शहर के प्रवुद्ध समाज में भी आमतौर पर आय व्यय का हिसाव रखने की परम्परा नहीं है। यदि किसी परिवार में यह विवरण रखा भी जाता है तो उसे वताने में संकोच होता है। गाँव में यह संकोच अधिक पाया गया। यह संकोच विश्लेपण तथा सत्य की सीमा को दर्शाता है। आमतौर पर यह पाया गया कि गाँव में कोई तो आय अधिक वताता है एवं व्यय कम; कुछ लोग आय कम वताते है कुछ ज्यादा वताते है तो कुछ लोग कर्ज नहीं वताते। इस स्थिति में आय, व्यय, कर्ज का अनुमान लगाना पड़ा। यह वात भी सामने आयी की परिवार के खर्च में आय व्यय की की सही स्थिति का आकलन कठिन होता है। आमतौर पर आय से व्यय अधिक वताया गया।

संलग्न सारणी में प्रति परिवार व्यय की स्थिति को स्पष्ट किया गया जिसे प्रति परिवार आय के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। सभी सर्वेक्षित परिवारों की प्रति परिवार औसत व्यय 19,917 रुपये है जवकि आय इससे कम 18,857 रुपये पाया गया। प्रति परिवार औसत करीव एक हजार रुपये वार्पिक अधिक व्यय करते हैं। इस प्रकार प्रति परिवार मासिक करीव 84 रुपये व्यय आय से अधिक होता है, इतनी कमी रहती है। जातीय सन्दर्भ में व्राह्मण जाति के परिवारों के करीव 7 हजार रुपये प्रति परिवार में व्यय अधिक आय वतायी गयी। यादव, मीणा, रैगर, कुमावत जातियों में आय से अधिक व्यय होता है। अन्य जातियों में भी व्यय अधिक है या मामूली वचत है।

6 सर्वेक्षित परिवारों में कर्जदारी

सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति के आकलन के क्रम में परिवार एवं व्यक्ति की आय तथा व्यय पर विचार किया जा चुका है। आय-व्यय की स्थिति विश्लेपण में यह वात सामने आयी कि आमतौर पर आमदनी की तुलना में खर्च अधिक होता है। कुछ परिवारों में वचत भी पायी गयी। सामान्यतः यह माना गया या माना जा सकता है कि व्यय अधिक होने का अर्थ है कि परिवार मे कर्जदारी है। लेकिन ऐसे भी पाया गया कि व्यय अधिक होने पर भी कर्जदारी नहीं होती। ग्रामीण व्यवस्था में यह स्थिति इस कारण होती है क्योंकि कई छोटे-मोटे खर्च आपसी व्यवहार, वस्तु विनिमय के रूप में होता है। इसे कर्जदारी नहीं मानते। दूसरी ओर व्यय से अधिक आय होने पर भी कर्जदारी रहती है। वचत वाले परिवार कई प्रकार के कार्यों के लिए कर्ज लेते है। अध्ययन के इस अंश में कर्ज के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है। कर्ज विश्लेपण के मुख्य विन्दु इस प्रकार हैं–

(1) कर्जदार परिवारों का विश्लेपण (2) प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति कर्ज

(3) धन्धों के अनुसार कर्ज की स्थिति (4) सामाजिक श्रेणी के अनुसार कर्जदारी (5) आय श्रेणी के सन्दर्भ में कर्जदारी।

सारणी संख्या 2 : 27

ग्राम हस्तेड़ा में जातिवार ऋण की स्थिति : 1990-91 *(संख्या)*

क्र. सं.	*जाति*		*ऋण नहीं लिया*	*ऋण लिया*	*कुल सर्वेक्षित परिवार*
1.	वाह्मण	—	8	9	17
2.	महाजन	—	3	5	8
3.	जाट	—	7	14	21
4.	यादव	—	4	16	20
5.	मीणा	—	3	7	10
6.	रैगर	—	14	10	24
7.	कुमावत	—	4	4	8
8.	वुनकर	—	2	6	8
9.	जोगी	—	3	2	5
10.	नायक	—	1	6	7
11.	दर्जी	—	1	1	2
12.	खाती	—	1	1	2
13.	तेली	—	1	1	2
14.	हरिजन	—	1	–	1
15.	नाई	—	1	–	1
16.	धोबी	—	1	1	2
17.	छीपा	—	1	–	1
18.	मुसलमान	—	13	4	17
	योग	—	69	87	156

सारणी संख्या 2 : 28

ग्राम हस्तेड़ा में जातिवार/व्यवसाय अनुसार कर्जदार परिवारों का विवरण

क्र. सं.	जाति		कृषि	कृषि श्रमिक	श्रमिक	सर्विस	उद्योग-व्यवसाय	व्यापार	योग
1.	ब्राह्मण	—	–	–	1	4	4	–	9
2.	महाजन	—	–	–	–	–	–	5	5
3.	जाट	—	14	–	–	–	–	–	14
4.	यादव	—	13	2	1	–	–	–	16
5.	मीणा	—	3	1	1	–	1	1	7
6.	रैगर	—	–	–	5	–	1	4	10
7.	कुमावत	—	1	–	–	1	–	13	15
8.	बुनकर	—	–	–	–	5	1	–	6
9.	जोगी	—	2	–	–	–	–	–	2
10.	नायक	—	4	1	1	–	–	–	6
11.	दर्जी	—	–	–	–	–	–	1	1
12.	खाती	—	–	–	–	–	–	1	1
13.	तेली	—	–	–	–	–	–	–	1
14.	हरिजन	—	–	–	–	–	–	–	–
15.	नाई	—	–	1	–	–	–	–	1
16.	धोबी	—	–	1	–	–	–	–	1
17.	छीपा	—	–	–	–	–	–	–	–
18.	मुसलमान	—	–	–	–	1	–	1	1
	योग	—	37	6	17	6	7	14	87

हस्तेड़ा गाँव के सर्वेक्षित 156 परिवारों में 87 परिवार (55.77 प्रतिशत) कर्ज लेने वाले है तथा शेष 69 परिवार (44.23 प्रतिशत) कर्जमुक्त है। इस प्रकार हस्तेड़ा गाँव में ऋण मुक्त परिवारों की पर्याप्त संख्या है। इसे जातीय सन्दर्भ में देखने पर पाते हैं कि अनेक जातियों के परिवार कर्जमुक्त है। सारणी के अनुसार छीपा, धोबी, तथा हरिजन (भंगी) परिवार पूर्णतः कर्जमुक्त है। ये परिवार आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त गरीब होते हुए भी इन्होंने कर्ज नहीं लिया है। अत्यन्त गिरी हुई स्थिति के कारण् इन्हें कर्ज मिलने में कठिनाई होती है। सीमित साधन, सीमित आवश्यकता, विकास की संभावनाओं के अभाव के कारण भी इनके पास कर्ज नहीं है। कर्जदार एवं कर्जमुक्त परिवारों का अनुपात आमतौर पर बराबर-बराबर है। धोबी, तेली, खाती, दर्जी, कुमावत आदि परिवारों में कर्जदार-कर्जमुक्त की संख्या समान है। उच्च जातियों एवं कृषक जातियों में कर्जदार परिवारों की संख्या समान है। उच्च जातियों एवं कृषक जातियों में कर्जदार परिवारों की संख्या अधिक है। ब्राह्मण जाति में 17 में से 9 परिवार ऋणग्रस्त है जबकि महाजन के 8 परिवारों में 5 कर्जदार है। जाट के 21 परिवारों में से 14 परिवार कर्जदार तथा मात्र 17 कर्जमुक्त है। यादवों में कर्जदारी अधिक पायी गयी इनके 20 परिवारों में 16 परिवार कर्जदार एवं 4 कर्जमुक्त है। मीणा अनुसूचित जाति के 10 में से 7 परिवारों ने कर्ज लिया। अनुसूचित जाति के नायक जाति के 7 में से 6 परिवारों ने कर्ज लिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय के 17 परिवारों में से मात्र 4 परिवारों ने कर्ज लिया, शेष 13 परिवार कर्जमुक्त है।

कर्ज लेने वाले परिवारों को जाति एवं व्यवसाय दोनों दृष्टियों से भी देखा जा सकता है। कुल 87 कर्जदार परिवारों में 37 परिवार कृषि कार्य से जुड़े हैं तथा इनमें 27 परिवार जाट एवं यादव जाति के हैं। कृषि श्रमिक के 6 परिवार तथा गैर कृषि कार्यों से जुड़े कर्जदार परिवारों की संख्या 17 है। नौकरी एवं उद्योग-व्यवसाय से जुड़े कर्जदार परिवार क्रमशः 6 एवं 7 हैं। व्यापार दुकान करने वाले कर्जदार परिवारों की संख्या 14 पायी गयी। कर्जदार परिवारों की प्रति परिवार कर्ज की स्थिति का विश्लेषण विभिन्न समुदायों में कर्ज की स्थिति का अंदाज लगता है। व्यवसाय के सन्दर्भ में देखने पर पाते है कि मुख्य रूप से कृषि कार्य से जुड़े परिवारों की प्रति परिवार कर्जदारी 11,383 रुपये है जबकि गैर कृषि कार्य से लगे श्रमिकों के परिवारों में प्रति परिवार कर्जदारी 5,441 रुपये है। कृषि श्रमिक परिवारों में प्रति परिवार कर्जदारी कुछ कम (2,941 रुपये) पाया गया। नौकरी से जुड़े कर्जदार परिवारों में प्रति परिवार कर्जदारी 6033 रुपये तथा व्यापार-दुकान से जुड़े परिवारों में प्रति परिवार 6357 रुपये है। उद्योग-व्यापार से जुड़े

सारणी संख्या 2 : 29

व्यावसायिक आधार पर वर्गीकृत - परिवारों पर कर्ज की स्थिति प्रति परिवार कर्ज 1990-91

क्र. सं.	व्यवसाय आधार		कुल कर्ज	परिवार संख्या कर्जदार परिवार	प्रति परिवार कर्ज
1.	कृषक	–	4,21,200	37	11,383.78
2.	श्रमिक	–	92,500	17	5,441.18
3.	कृषक श्रमिक	–	17,650	6	2,941.67
4.	नौकरी	–	36,200	6	6,033.33
5.	उद्योग व्यवसाय	–	1,00,200	7	14,314.29
6.	व्यापार	–	89,000	14	6,357.14
	योग	–	7,56,750	87	8,698.28

सारणी संख्या 2 : 30
ग्राम हस्तेड़ा - भिन्न आय वर्ग में कर्जदारों की स्थिति : सर्वेक्षित परिवार 1990-91

आय समूह रुपये	परिवार संख्या	कर्जदार परिवार संख्या	कुल कर्ज रुपये	कर्जदार परिवारों का प्रतिशत	प्रति परिवार कर्ज रुपये
1 – 2500 –	6	2	1700	33.33	850.00
2501 – 5000 –	25	14	84300	56.00	6021.43
5001 – 10000 –	36	16	77350	44.44	4834.38
10001 – 20000 –	40	21	110700	52.50	527.43
20001 – 40000 –	35	26	366500	74.29	14096.15
40001 – 80000 –	10	5	30900	50.00	6180.00
80001 – से अधिक –	4	3	85300	75.00	28433.33
योग	156	87	756750	55.77	8698.28

सारणी संख्या 2 : 31
भिन्न-भिन्न व्यवसाय वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति कर्ज
हस्तेड़ा 1990-91

व्यवसाय		कुल कर्ज (रु.)	कुल सदस्य संख्या कर्जदार परिवार	प्रति व्यक्ति कर्ज (रु.)
1. कृषक	—	4.21.200	402	1,047.76
2. श्रमिक	—	92,500	144	642.36
3. कृषि श्रमिक	—	17.650	54	326.85
4. नौकरी	—	36.200	51	709.80
5. उद्योग व्यवसाय	—	1,00,200	85	1,178.82
6. व्यापार	—	89.000	99	898.99
योग	—	7,56,750	835	906.29

सारणी संख्या 2 : 32

जाति आधार पर वर्गीकृत ऋण की स्थिति : 1990-91

(रुपये)

क्र.सं.	जाति		ऋणग्रस्त परिवारों में कर्ज कुल ऋण	प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति ऋण समस्त सर्वेक्षित परिवार
1.	ब्राह्मण	—	73400	853.49	486.09
2.	महाजन	—	34100	757.78	467.12
3.	जाट	—	138400	1017.65	652.83
4.	यादव	—	216000	1148.94	977.38
5.	मीणा	—	73500	720.59	548.51
6.	रैगर	—	68300	1313.46	379.44
7.	कुमावत	—	22000	400.00	271.60
8.	बुनकर	—	20900	535.90	373.26
9.	जोगी	—	33000	1833.33	767.44
10.	नायक	—	9450	242.31	213.77
11.	दर्जी	—	20000	1666.67	869.57
12.	खाती	—	15000	3750.00	1153.85
13.	तेली	—	1200	109.00	57.14
14.	हरिजन	—	–	–	–
15.	नाई	—	–	–	–
16.	धोबी	—	3500	350.00	218.75
17.	छीपा	—	–	–	–
18.	मुसलमान	—	28000	736.84	195.80
	योग	—	756750	906.29	522.62

सारणी संख्या 2 : 33

ग्राम हस्तेड़ा में विभिन्न आय वर्ग में कर्जदार परिवारों की स्थिति (1990-91) - रुपये

विभिन्न आय वर्ग में कर्जदार परिवार (87)

क्र. सं.	जाति		1 से 2500	2,501 से 5,000	5,001 से 10,000	10,001 से 20,000	20,001 से 40,000	40,001 से 80,000	80,001 से अधिक	योग
1.	ब्राह्मण	—	–	1	2	2	3	1	–	9
2.	महाजन	—	–	2	1	1	2	–	–	5
3.	जाट	—	–	1	–	5	5	1	2	14
4.	यादव	—	–	–	1	3	10	2	–	16
5.	मीणा	—	–	–	1	1	3	1	1	7
6.	रैगर	—	–	1	6	2	1	–	–	10
7.	कुमावत	—	–	–	–	4	–	–	–	4
8.	बुनकर	—	–	1	2	–	1	–	–	6
9.	जोगी	—	–	–	1	2	1	–	–	2
10.	नायक	—	–	1	3	–	–	–	–	6
11.	दर्जी	—	–	1	–	–	–	–	–	1
12.	खाती	—	–	–	1	–	1	–	–	1
13.	तेली	—	–	–	–	–	–	–	–	1
14.	हरिजन	—	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	नाई	—	–	–	1	–	–	–	–	–
16.	धोबी	—	–	–	–	–	–	–	–	1
17.	छीपा	—	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मुसलमान	—	1	1	1	–	1	–	–	4
	योग	—	1	9	20	22	23	5	3	87

सारणी संख्या 2 : 34

ग्राम हस्तेड़ा में जातिवार/व्यवसाय अनुसार ऋण की स्थिति (1990-91)

कर्जदार परिवार (87) - रुपये

क्रम सं.	जाति		कृषि	कृषि श्रमिक	श्रमिक	सर्विस	उद्योग/व्यवसाय	व्यापार	योग
1.	ब्राह्मण	—	–	–	5,000	16,200	52,200	–	73,400
2.	महाजन	—	–	–	–	–	–	34,100	34,100
3.	जाट	—	1,38,400	–	–	–	–	–	1,38,400
4.	यादव	—	2,07,500	5,500	3,000	–	–	–	2,16,000
5.	मीणा	—	30,300	7,000	12,7000	–	15,500	8,000	73,500
6.	रैगर	—	–	–	34,900	–	25,000	8,400	68,300
7.	कुमावत	—	4,000	–	5,000	10,000	–	3,000	22,000
8.	बुनकर	—	–	–	10,900	10,000	–	–	20,900
9.	जोगी	—	33,000	–	–	–	–	–	33,000
10.	नाई	—	–	450	1,000	–	–	–	9,450
11.	दर्जी	—	–	–	–	–	–	20,000	20,000
12.	खाती	—	–	–	–	–	–	15,000	15,000
13.	तेली	—	–	1200	–	–	–	–	1,200
14.	हरिजन	—	–	–	–	–	–	–	–
15.	नाई	—	–	–	–	–	–	–	–
16.	मोची	—	–	3,500	–	–	–	–	3,500
17.	छीपा	—	–	–	–	–	–	–	–
18.	मुसलमान	—	–	–	20,000	–	7,500	500	28,000
	योग	—	4,21,200	17,650	22,500	36,200	1,00,200	89,000	7,56,750

सारणी संख्या 2 : 35

जाति आधार पर (सभी सर्वेक्षित)
प्रति व्यक्ति आय: व्यय और ऋण की स्थिति

(रुपये)

क्र.सं.	जाति		आय	व्यय	ऋण
1.	ब्राह्मण	—	3,21,848	2,46,603	486.09
2.	महाजन	—	1,97,945	1,69,205	467.12
3.	जाट	—	3,15,755	2,93,233	652.83
4.	यादव	—	2,58,086	3,41,967	977.38
5.	मीणा	—	1,97,388	2,23,134	548.51
6.	रैगर	—	976,78	1,29,528	379.44
7.	कुमावत	—	1,14,759	1,60,289	271.60
8.	बुनकर	—	1,56,563	1,30,893	373.11
9.	जोगी	—	1,24,837	2,04,023	767.44
10.	नायक	—	1,24,773	1,74,841	214.77
11.	दर्जी	—	50,435	1,61,304	869.57
12.	खाती	—	3,20,769	1,84,692	1153.85
13.	तेली	—	2,14,762	1,49,524	57.14
14.	हरिजन	—	60,000	70,000	–
15.	धोबी	—	93,750	59,375	218.75
16.	नाई	—	79,333	1,50,667, –	
17.	छीपा	—	1,40,000	1,75,000	195.80
18.	मुसलमान	—	1,36,685	1,33,333	195.80
	योग	—	2,03,157	2,14,578	522.62

सारणी संख्या 2 : 36
ग्राम हस्तेड़ा में जातिवार/व्यवसाय अनुसार कर्जदारों की जनसंख्या : (1990-91)

क्र. सं.	जाति		कृषि	कृषि श्रमिक	श्रमिक	सर्विस	उद्योग	व्यापार व्यवसाय	योग
1.	ब्राह्मण	–	–	–	2	41	43	–	86
2.	महाजन	–	–	–	–	–	–	45	45
3.	जाट	–	136	–	–	–	–	–	136
4.	यादव	–	156	16	16	–	–	–	188
5.	मीणा	–	48	14	13	–	22	5	102
6.	रैगर	–	–	–	31	–	6	15	52
7.	कुमावत	–	17	–	20	5	–	13	55
8.	बुनकर	–	–	–	38	5	–	–	39
9.	जोगी	–	18	–	–	–	–	–	18
10.	नायक	–	27	3	9	–	–	–	39
11.	दर्जी	–	–	–	–	–	–	12	12
12.	खाती	–	–	–	–	–	–	–	4
13.	तेली	–	–	11	–	–	–	–	11
14.	हरिजन	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	नाई	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	धोबी	–	–	10	–	–	–	–	10
17.	छीपा	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मुसलमान	–	–	–	19	–	14	5	38
	योग	–	402	44	144	51	85	99	835

लोगों में इससे अधिक 14,314 रुपये पाया गया। समग्र रूप से देखें तो पाते है कि हस्तेड़ा गाँव में प्रति परिवार औसत (कर्जदार परिवार में) कर्ज 8, 698 रुपये है।

कर्ज की मात्रा के प्रश्न को परिवार आय के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। विभिन्न आय श्रेणियों में कर्जदार परिवारों की प्रति परिवार औसत कर्ज की मात्रा सारणी में देखा जा सकता है। सारणी यह दिशा संकेत देती है कि जैसे-जैसे आय वढ़ती है वैसे-वैसे प्रति परिवार कर्ज की मात्रा भी वढ़ती है। रुपये 2500 तक की आय श्रेणी में प्रति परिवार कर्ज मात्र 850 रुपये पाया गया। जवकि 5000 रुपये तक की आय श्रेणी में कर्जदार परिवारों के प्रति परिवार कर्ज 6021 रुपये है। इससे उच्च आय श्रेणी में कर्ज में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन 20 हजार से 40 हजार तक की आय श्रेणी के कर्जदार करीव 1500 रुपये पायी गयी तथा सवसे अधिक श्रेणी में यह मात्रा वढ़कर 28,433 हो गयी। अतः अधिक आय के परिवार अधिक कर्ज लेते पाये गये।

कर्जदार परिवारों में प्रति व्यक्ति कर्ज का औसत 906 रुपये पाया गया। प्रति व्यक्ति कर्ज को व्यवसाय के सन्दर्भ में देखें तो पाते हैं कि कृषि कार्य से जुड़े कर्जदार परिवारों में प्रति व्यक्ति कर्ज 642 तथा कृषि श्रमिक पर मात्र 326 रुपये है। नौकरी करने वालों में प्रति परिवारों पर प्रति व्यक्ति कर्जदारी 709 तथा व्यापार दुकान करने वाले पर 898 रु. प्रति व्यक्ति कर्ज है। उद्योग व्यवसाय से जुड़े परिवारों पर सवसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज 1178 रुपये है।

प्रति व्यक्ति कर्ज को जातीय संदर्भ में देखा जा सकता है। प्रति व्यक्ति कर्ज की स्थिति को कर्जदार परिवार तथा कुल सर्वेक्षित परिवार दोनों संदर्भों में देख सकते है। कर्जदार परिवारों में 87 परिवारों तथा कुल 156 परिवारों को शामिल किया गया है। कर्जदार परिवारों में विभिन्न जातियों में खाती के पास प्रति व्यक्ति कर्ज सर्वाधिक 3750 रु. है। तीसरा स्थान दर्जी का है जिस पर प्रति व्यक्ति 1666 रु. कर्ज है तथा दूसरे स्थान पर जोगी आता है जिसे 1833 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज है। जातीय संदर्भ में प्रति व्यक्ति कर्ज की स्थिति स्पष्ट नहीं है - मिश्रित स्थिति पायी गयी। जातीय संदर्भ में हरिजन, नाई, छीपा जातियों में कर्ज से मुक्ति पायी गयी। अनुसूचित जातियों में धोवी, नायक, वुनकर आदि कर्जदार परिवारों में प्रति व्यक्ति कर्ज पाँच सौ रूपये से कम है। तेली परिवार में तो प्रति व्यक्ति कर्ज मात्र 109 रु. पाया गया है।

सभी सर्वेक्षित परिवारों को शामिल करने पर प्रति व्यक्ति औसत 522 रुपये आता है। जवकि विभिन्न जातियों की स्थिति में भिन्नता देखी जा सकती है। हरिजन, नाई, छीपा कर्जमुक्त है तथा तेली के पास प्रति व्यक्ति कर्ज मात्र 57 रुपये है। अन्य जातियों

में प्रति व्यक्ति कर्जदारी दो सौ से नौ सौ रुपये तक है।

कर्जदार परिवारों को विभिन्न आय वर्ग तथा जातीय संदर्भ सारणी में देखा जा सकता है। कुल कर्जदार परिवारों (87) में से मात्र 3 परिवार 80 हजार रु. वार्षिक आय श्रेणी में है जो कि जाट तथा मीणा जाति से जुड़े है। चालीस से अस्सी हजार रु. आय श्रेणी के 5 कर्जदार परिवार ब्राह्मण, जाट, यादव एवं मीणा जाति से सम्बद्ध है। सबसे अधिक परिवार (26) बीस से चालीस हजार रुपये वार्षिक आय श्रेणी में आते है। इसमें मुख्यतः कृषि, व्यापार एवं नौकरी के धन्धे से जुड़े तथा उच्च एवं मध्य जाति के परिवार है। कम आय श्रेणी में मध्यम, निम्न एवं अनुसूचित जाति के परिवार मुख्य रूप से है।

□□

8

नमूने के परिवारों का अध्ययन : धम्मा का वास

धम्मा का वास मूलभूत सुविधाओं से उपेक्षित गाँव है। इस गाँव में विकास की योजनायें कम पहुँची है तथा आवागमन एवं अन्य साधन भी अत्यन्त सीमित है। गाँव में कुल 64 परिवार हैं जिसकी कुल सदस्य संख्या 334 है। गाँव में राजपूत, यादव, रैगर, वलाई एवं वुनकर जातियों के लोग रहते हैं। इस छोटे से गाँव के लोग सीमित सुविधाओं एवं परम्परागत जीवन को स्वीकार करते हुए जीवन व्यतीत करते है। जातीय संरचना को देखते हुए यह कहने की स्थिति वनती है कि इस गाँव में उच्च (राजपूत), मध्यम (यादव) तथा अनुसूचित जातियों (रैगर, वलाई, वुनकर) के परिवार रहते हैं। इस दृष्टि से इसे एक सीमा तक मिश्रित सामाजिक श्रेणियों का गाँव कहा जा सकता है। इस गाँव में व्यापारी, परम्परागत पेशों के परिवार काफी कम है। परम्परागत धन्धों जैसे खाती, नाई, धोवी आदि जातियों के लोग भी नहीं है। जातीय समीकरण को यदि सामाजिक मान्यताओं तथा परम्परागत व्यवस्था के क्रम में देखें तो पाते हैं कि प्रशासक जाति राजपूत के साथ-साथ कृषक एवं सेवक जाति के लोग इस गाँव में वसे। राजपूत जो कि प्रशासक जाति की श्रेणी में आता है, इसके परिवारों ने अनुसूचित जाति के लोगों को श्रमिक एवं कृषक के रूप में वसाया। लेकिन इस गाँव में खेती यादव एवं रैगर जाति के परिवारों के पास भी रही। आगे आर्थिक विश्लेषण में जाति एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी।

इस अध्याय में धम्मा का वास गाँव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। गाँव में कुल 64 परिवारों में से 48

सारणी संख्या 2:37

सर्वेक्षित परिवारो में जनसंख्या का विवरण

क्र. सं.	जाति		परिवार संख्या	पुरुष	महिला	योग	प्रति परिवार सं.
1.	राजपूत	—	18	64	40	104	5
2.	यादव	—	3	13	5	18	6
3.	रैगर	—	21	94	72	166	8
4.	वलाई	—	4	18	12	30	7
5.	बुनकर	—	2	12	4	16	8
	योग	—	48	201	133	334	34

परिवारों का नमूने का अध्ययन किया गया। नमूने के अध्ययन में शामिल परिवारों का विश्लेषण प्रस्तुत है :

1- जनसंख्या एवं परिवार रचना

धम्मा का वास गाँव में सर्वेक्षित परिवारों (48) में कुल 334 सदस्य है। इनमें पुरुषों की संख्या 201 तथा महिलाओं की 133 है। प्रति परिवार सदस्य संख्या लगभग 7 पायी गयी। जातिवार परिवार एवं सदस्य संख्या इस प्रकार है–

सारणी संख्या 2.37 से यह तथ्य सामने आता है कि इस गाँव में प्रति परिवार सदस्य संख्या 5 से 8 के बीच है। सबसे कम प्रति परिवार सदस्य संख्या राजपूत परिवारों में 5 पायी गयी जबकि यादव जाति में ये संख्या 6 है। सामाजिक संदर्भ में राजपूत उच्च तथा यादव मध्यम जाति श्रेणी के माने जाते है। अनुसूचित जाति के परिवारों में प्रति परिवार संख्या क्रमशः इस प्रकार है- रैगर 8, बलाई 7 तथा बुनकर 8 है। इस गाँव में परिवार में सदस्य संख्या को सामाजिक संदर्भ में देखने पर पाते है कि उच्च जाति के सामाजिक स्तर के परिवार छोटे तथा मध्यम एवं निम्न सामाजिक जाति के परिवारों में सदस्य संख्या अधिक है।

संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार

धम्मा का वास में पारिवारिक संरचना में एकाकी परिवार की संख्या अधिक पायी गयी। इस गाँव में 48 सर्वेक्षित परिवारों 40 परिवारों में एकाकी तथा 8 संयुक्त परिवार है। इस प्रकार एकाकी परिवारों का प्रतिशत 83.33 है। जबकि संयुक्त परिवार मात्र 16.67 प्रतिशत है। जातीय संदर्भ में एकाकी एवं संयुक्त परिवारों की स्थिति इस प्रकार है :

सारणी संख्या 2 : 38

संयुक्त एवं एकाकी परिवार

क्र.सं.	*जाति*		*संयुक्त परिवार*		*एकाकी परिवार*	
			संख्या	*प्रतिशत*	*संख्या*	*प्रतिशत*
1.	राजपूत	-	4	22.22	14	77.78
2.	यादव	-	-	-	03	100.00
3.	रैगर	-	3	14.29	18	85.76
4.	बलाई	-	1	25.00	03	75.00
5.	बुनकर	-	-	-	02	100.00
	योग	-	8	16.67	40	83.33

जातीय संदर्भ में संयुक्त एवं एकाकी परिवार की स्थिति के अनुसार यादव एवं वुनकर जाति के सभी परिवार एकाकी स्वरूप में पाये गये। अनुसुचित जाति वलाई के 75 तथा रैगर के 85.71 प्रतिशत परिवार एकाकी पाये गये। यदि हस्तेड़ा गाँव के साथ तुलना करें तो पाते हैं कि हस्तेड़ा में संयुक्त परिवार का प्रतिशत काफी अधिक (69.87 प्रतिशत) है। गाँव के अधिकांश परिवार पिता-पुत्र तक साथ रहते पाये गये। पुत्र कमाने की स्थिति में होने पर अलग रहता पाया गया तथा गाँव के वाहर रहकर कमाई करने वालों की स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था पायी गयी।

2- शिक्षा एवं साक्षरता

गाँव में शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति का विश्लेषण से यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि धम्मा का वास में साक्षरता का अनुपात हस्तेड़ा गाँव के समान ही है, लेकिन उच्च शिक्षा का स्तर नीचा है। हस्तेड़ा में साक्षरता का प्रतिशत 40.54 है। जवकि धम्मा का वास में 42.51 प्रतिशत साक्षरता है। हस्तेड़ा में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या अधिक है। यह कहा जा सकता है कि धम्मा का वास गाँव में उच्च, मध्यम एवं अनुसूचित जातियों के परिवार, प्राथमिक शिक्षा में रुचि रखते है। धम्मा का वास में विभिन्न जातियों में साक्षरता की स्थिति सारणी में देखी जा सकती है-

विभिन्न जातियों में साक्षरता की स्थिति में काफी अन्तर पाया गया। वलाई जाति में साक्षरता मात्र 20 प्रतिशत तथा रैगर जाति में इससे अधिक 28.31 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति वुनकर में साक्षरता का प्रतिशत 43.75 पाया गया। सवसे अधिक साक्षरता मध्यम स्तर की यादव जाति में 83.33 प्रतिशत पायी गयी। उच्च सामाजिक मान्यता वाली राजपूत जाति में साक्षरता 64.42 प्रतिशत पाया गया। तुलनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि साक्षरता में हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास में खास अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या 2 : 39

		जनसंख्या	*साक्षर*	*प्रतिशत*
1.	राजपूत	104	67	64.42
2.	यादव	18	15	83.33
3.	रैगर	166	47	28.31
4.	वलाई	30	6	20.00
5.	वुनकर	16	7	43.75
	योग	334	142	42.51

सारणी संख्या 2 : 40

विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त व्यक्ति : जातीय सन्दर्भ *(संख्या)*

क्र.सं.	जाति	5वीं	8वीं	10वीं	12वीं	स्नातक
1.	राजपूत	19	19	24	4	1
2.	यादव	3	2	10	-	-
3.	रैगर	18	8	17	4	-
4.	बलाई	4	-	2	-	-
5.	बुनकर	4	1	1	1	-
	योग	48	30	54	9	1

इस मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ायें तथा आगे की शिक्षा के संदर्भ में विचार करें तो पाते हैं कि धम्मा का वास में प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई चालू रखना कठिन हो जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में विभिन्न कक्षाओं तक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या इस सारणी में देख सकते हैं।

सारणी से स्पष्ट है कि गाँव में प्राथमिक शिक्षा के बाद शिक्षा जारी रखने की स्थिति गिने चुने लोगों की है। पढ़ने का अभ्यास चालू नहीं रहने के कारण प्राथमिक एवं 8वीं तक शिक्षा प्राप्त लोगों की स्थिति साक्षर की सी रहती है। जातीय संदर्भ में देखें तो रैगर जाति में शिक्षा के प्रति कुछ अधिक रुचि देखी जा सकती है। अन्य अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रति जागरुकता कम पायी गयी।

3- साधन

इस गाँव में पशुधन तथा अन्य कृषि आधारित साधनों का विवरण सारणी में देखा जा सकता है। गाँव में जिस प्रकार के साधनों की जानकारी मिली उस पर यह कहने की स्थिति बनती है कि गाँव का आर्थिक जीवन कृषि आधारित है। इस छोटे से गाँव में पशुधन कृषि में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में ट्रैक्टर ने पशुधन के उपयोग को घटाया है। गाँव में 10 ट्रैक्टर होना महत्त्व रखता है। ट्रैक्टर का उपयोग खेती के अलावा व्यापार, आवागमन, रोजगार में भी होता है। इस गाँव के अनुसूचित जाति रैगर परिवारों ने सरकारी कर्ज एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेकर ट्रैक्टर खरीदे हैं। सारणी के अनुसार गाँव के सभी 10 ट्रैक्टर रैगर जाति के पास है। ट्रैक्टर से स्वयं

सारणी संख्या 2 : 41

सर्वेक्षित परिवारों के पास साधनों की स्थिति

क्रमसं.	जाति		गाय	भैंस	बैल	बछड़े/बछड़ी	ऊंट	बकरी	भेड़	ट्रैक्टर	कुँआ
1.	राजपूत	—	16	10	–	9	2	18	3	–	14
2.	यादव	—	3	3	–	6	–	2	–	–	2
3.	रैगर	—	3	20	10	31	2	20	1	10	15
4.	बलाई	—	1	4	–	1	1	–	–	–	–
5.	बुनकर	—	–	–	–	–	–	3	–	–	–
	योग	—	22	37	10	47	4	44	4	10	31

की खेती के साथ-साथ किराये पर दूसरों की खेती के काम भी आता है। सिंचाई के साधनों में कुँए प्रमुख स्थान रखते हैं। कुल 31 सिंचाई के कुँए हैं। जिनमें 14 कुँए राजपूत परिवारों तथा 15 रैगर जाति के पास है। दो कुँए यादवों के पास है। वलाई एवं बुनकरों के पास कुँए नहीं है।पशुधन की दृष्टि से भी राजपूत, यादव और रैगर आगे है। राजपूत के 18 परिवारों के पास 26 दुधारू पशु है। यादवों के 3 परिवारों के पास 6 तथा 21 रैगर परिवारों के पास 21 दुधारु पशु हैं। इस प्रकार तीनों कृषक जातियों के सभी परिवारों के पास दुधारू पशु हैं। वलाई जाति के 4 परिवारों के पास भी 4 भैंस हैं। अनुसूचित जाति के पास पशुधन के प्रकार एवं संख्या दोनों कम है। इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वलाई एव बुनकर को छोड़कर शेष तीनों जातियों के पास पशुधन एवं अन्य साधन पाये गये।

4- कृषि भूमि एवं उसका उपयोग

धम्मा का वास गाँव में कृषि भूमि के उपयोग सम्बन्धी तथ्यों के अनुसार पाँच में से तीन जातियों के पास कृषि भूमि पायी गयी। जब कि दो जातियों के परिवारों के पास यदि जमीन है भी तो उसकी उत्पादकता अत्यन्त कम है। सभी सर्वेक्षित परिवारों के पास औसत कृषि भूमि की मात्रा 12 बीघा प्रति परिवार पाया गया। भूमि की मात्रा को जाति क्रम में देखने पर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है। उच्च जाति राजपूतों के पास कुल 195 बीघा कृषि भूमि है जो कि प्रति परिवार औसत 10 बीघा आता है। मध्यम जाति यादवों के पास प्रति परिवार कृषि भूमि करीब 14 बीघा तथा अनुसूचित जाति रैगर के पास करीब 13 बीघा प्रति परिवार कृषि भूमि है। वलाई जाति की मात्रा 5 बीघा पायी गयी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूमि की दृष्टि से वलाई एवं बुनकर सबसे कमजोर स्थिति में हैं।

कृषि भूमि की उपयोगिता कृषि के संसाधनों पर निर्भर करती है। यदि जमीन की सिंचाई की सुविधा है तब वह अधिक फलदायी होगी अन्यथा जमीन का सीमित लाभ ही मिल पायेगा। धम्मा का वास गाँव के सर्वेक्षित परिवारों में से वलाई एवं बुनकर जाति की पूरी जमीन असिंचित है। तात्पर्य यह है कि इनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं हैं। अन्य जातियों के पास सिंचाई साधन है। राजपूत जाति के पास 78.77 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा है तथा 21.23 प्रतिशत भूमि असिंचित है। यादवों के पास सबसे अधिक सिंचित भूमि है। इनके पास 88.64 प्रतिशत जमीन सिंचित है तथा मात्र 11.36 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। करीब-करीब यही स्थिति रैगर (अनूसूचित जाति) की भी है। रैगर जाति के पास जो कृषि भूमि है इनमें से 88 प्रतिशत

पर सिंचाई की सुविधा है जबकि 12 प्रतिशत जमीन असिंचित हैं। जैसा कि साधनों से सम्बन्धित सारणी में जानकारी है राजपूत, यादव एवं रैगर जाति के परिवारों के पास सिंचाई के कुँए हैं। इस क्षेत्र में सिंचाई का एक मात्र साधन कुँआ है। सिंचित - असिंचित भूमि को प्रति परिवार भूमि के संदर्भमें देखने पर विषय की अधिक स्पष्टता हो सकती है। राजपूत जातिके पास जो कृषि भूमि है उसमें सिंचाई की जमीन प्रति परिवार 8.55 बीघा आती है। जबकि असिंचित जमीन की मात्रा प्रति परिवार करीब 2 बीघा है। यादव जाति के पास प्रति परिवार सिंचित भूमि 13 तथा असिंचित 1.66 बीघा पाया गया। रैगर जाति के पास जो कृषि भूमि है उनमें से प्रति परिवार सिंचित 11.85 बीघा तथा असिंचित 1.57 बीघा है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो रैगर जाति के पास सिंचित कृषि भूमि का अनुपात अधिक है। कहा जा सकता है कि रैगर जाति के किसान अधिक परिश्रमी तथा सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम पाये गये।

सारणी संख्या 2 : 42

कृषि भूमि एवं उसका उपयोग *(बीघा)*

क्र.सं.	जाति	कुल परिवार	भूमि	सिंचित	असिंचित
1.	राजपूत-	18	195	154	41
	(प्रतिशत)			78.77	21.43
2.	यादव-	3	44	39.00	5
	(प्रतिशत)			88.64	11.36
3.	रैगर-	21	282	249	33
	(प्रतिशत)			88.14	12.72
4.	बलाई-	4	35	-	35
	(प्रतिशत)			-	100.00
5.	बुनकर-	2	10	-	10
	(प्रतिशत)			-	100.00
	योग-	48	567	442	125
	(प्रतिशत)		77.95		

5- उत्पादकता

सर्वेक्षित परिवारों में कृषि उत्पादन की स्थिति संलग्न सारणी में देख सकते हैं। उत्पादन स्थिति को जातीय संदर्भ में तथा रोजगार श्रेणी की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। धम्मा का वास में उत्पादन की सीमित प्रकार पाये गये। मुख्य फसलें गेहूँ एवं बाजरा है। दलहन

सारणी संख्या 2 : 43

जातीय संदर्भ में उत्पादकता (क्विंटल)

क्र.सं.	जाति			गेहूँ	बाजरा	जौ	चना	सरसों	मूंगमोठ	दूध	प्रति परिवार वार्षिक
1.	राजपूत	(18)	–	241	155	31	19	14	14	144	8
2.	[illegible]	(3)	–	62	39	8	–	3	4	38	12
3.	रैगर	(21)	–	288	216	16	72	21	25	225	10
4.	[illegible]	(4)	–	–	20	–	–	–	–	17	4
5.	कुम्हार	(2)	–	–	5	5	–	–	–	2	1
	योग	(48)	–	591	435	60	91	38	43	426	9

की फसलें तथा सरसों का उत्पादन सीमित होता पाया गया। पूरे सर्वेक्षित परिवारों में वर्ष 1991-92 में 591 क्विटल गेहूँ तथा 435 बाजरा हुआ। जौ की फसल 60 क्विटल हुई तथा सरसों 38 क्विटल। दलहन की फसलों में चना 91 तथा मूँगफली 43 क्विटल पैदा हुई। पूरे गाँव में दूध का उत्पादन 426 क्विटल हुआ जो कि प्रति परिवार वार्षिक औसत 9 क्विटल पड़ता है।

कृषि उत्पादन को जातीय संदर्भ में देखने पर पाते हैं कि उत्पादन रैगर एवं राजपूत जाति के परिवारों में पर्याप्त हुआ है। इनमें प्रति परिवार गेहूँ का उत्पादन करीब 13 क्विटल हुआ। राजपूत जाति में गेहूँ की पैदावर 241 क्विटल हुआ जो कि प्रति परिवार 13 क्विटल आता है। इस प्रकार प्रति परिवार की दृष्टि से राजपूत एवं रैगर जाति दोनों गेहूँ ने बराबर उत्पादन किया। यादव जाति के तीन परिवारों ने 61 क्विटल उत्पादन किया जो कि प्रति परिवार 20 क्विटल है। अन्य जातियों बलाई, बुनकर के परिवारों को गेहूँ की पैदावार नहीं हुई। बाजरा प्रायः सभी परिवारों में हुआ। बलाई एवं बुनकर जाति के परिवारों ने क्रमशः 20 एवं 5 क्विटल बाजरा पैदा किया। बलाई जाति ने प्रति परिवार 5 क्विटनल तथा बुनकर ने 2.50 क्विटल बाजरे का उत्पादन किया। यादव जाति में प्रति परिवार 13 क्विटल बाजरा हुआ। रैगर जाति को प्रति परिवार 10 तथा राजपूत जाति के परिवार को प्रति परिवार 9 क्विटल बाजरे का उत्पादन हुआ। जौ का उत्पादन राजपूत, यादव, रैगर तथा बुनकर जाति के परिवारों ने किया। दलहन में चना सबसे अधिक रैगर जाति के परिवारों को हुआ। उनके यहाँ प्रति परिवार करीब 3.50 क्विटल चना उत्पादन हुआ। मूँग, मोठ, राजपूत, रैगर एवं यादव जाति के परिवारों में हुआ। सरसों का भी सीमित उत्पादन होता पाया गया। राजपूत परिवारों के यहाँ 14, यादव के यहाँ 4 तथा रैगर परिवार के 21 क्विटल सरसों हुई।

दूध उत्पादन की दृष्टि से यादव परिवार सबसे आगे है। यादव परम्परागत रूप से पशुपालक है। तीन परिवारों ने वर्ष भर में 38 क्विटल दूध का उत्पादन किया जो कि प्रति परिवार वार्षिक करीब 12 क्विटल हुआ। दूसरा स्थान रैगर परिवारों का है जिनके यहाँ पर प्रति परिवार वार्षिक दूध का उत्पादन 10 क्विटल होता पया गया। राजपूत परिवारों में प्रति परिवार वार्षिक दूध का उत्पादन 8 क्विटल हुआ।

जातीय संदर्भ में देखने पर पाते हैं कि धम्मा का वास गाँव में रैगर जाति के लोग कृषि के क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से आगे है, उन्होंने अच्छी प्रगति की है। सामाजिक दृष्टि से अनुसूचित जाति के होने के बावजूद इन्होंने खेती के विकास में रुचि ली तथा कृषि साधनों को विकसित किया। परिणामस्वरूप इनकी उत्पादक्ता बढ़ी है। यह भी

सारणी संख्या 2 : 44

सर्वेक्षित परिवारों में उत्पादन की स्थिति एवं व्यवसाय/धन्धा

(उत्पादन क्विंटल में)

क्र. सं.	व्यवसाय/धन्धा		गेहूँ	बाजरा	जौ	चना	सरसों	मूँग-मोठ	दूध	प्रति परि (दूध)
1.	कृषक	(24)	414	279	44	52	33	32	314	14
2.	श्रमिक	(10)	–	–	5	–	–	–	37	3
3.	कृषि श्रमिक	(11)	144	135	7	39	5	10	64	5
4.	नौकरी	(1)	2	2	–	–	–	–	1	1
5.	उद्योग-व्यवसाय	(1)	6	4	–	–	–	–	1	1
6.	अन्य धन्धे	(1)	25	15	4	–	–	–	1	1
	योग	(48)	591	435	60	91	38	43	426	8.87

कहा जा सकता है कि अन्य उच्च एवं कृषक जातियों की तुलना में इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अधिक विकास किया है।

कृषि उत्पादन को रोजगार के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। कृषि पर मुख्य रूप से निर्भर परिवार को कृषक की श्रेणी में माना गया है। भले ही वे किसी भी जाति के हो। धम्मा का वास में कृषकों में राजपूत, रैगर, यादव जाति के परिवार हैं, जिनकी संख्या 24 है। इसी प्रकार कुछ परिवार मुख्यतः श्रमिक है तथा कुछ श्रमिक के रूप में जीविका चलाते हैं। इसी प्रकार नौकरी, उद्योग-व्यवसाय तथा दुकानदारी एवं अन्य कार्यों पर मुख्य रूप से निर्भर परिवारों को अलग रोजगार श्रेणी में रखा गया है। विभिन्न धन्धे से जुड़े परिवारों में कृषि उत्पादन की स्थिति को सारणी में देखा जा सकता है।

सारणी से स्पष्ट है कि कृषक परिवारों के यहाँ अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। मुख्य फसलों गेहूँ, बाजरा, जौ में उत्पादन का अधिकांश अंश कृषक परिवार एवं कृषक श्रमिक का है। कुल 591 क्विंटल गेहूँ में से 414 क्विंटल 70 प्रतिशत कृषक परिवारों तथा 144 क्विंटल 24 प्रतिशत कृषक श्रमिकों ने उत्पादन किया। इसी प्रकार बाजरा के कुल उत्पादन 435 क्विंटल में 279 क्विंटल कृषक परिवारों (64 प्रतिशत) 135 क्विंटल (31 प्रतिशत) कृषक श्रमिकों द्वारा किया गया। प्रायः यही स्थिति अन्य फसलों की भी है। चना केवल कृषक एवं कृषक श्रमिकों ने पैदा किया। यही स्थिति सरसों एवं मूँगमोठ की भी है। दूध का उत्पादन कृषक, कृषक श्रमिक तथा श्रमिक परिवारों में अधिक हुआ। कृषक परिवारों में प्रति परिवार वार्षिक दूध का उत्पादन 13 क्विंटल, कृषि श्रमिकों के यहाँ 5 तथा श्रमिकों के यहाँ 3 क्विंटल होता पाया गया। स्पष्ट है जिनके पास खेती है उनके पास पशुधन की भी अधिक अनुकूलता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि कृषि श्रमिक कृषि कार्य से जुड़े हैं तथा इनके पास कुछ खेती की जमीन भी होती है।

प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धि

राजस्थान में दूध एवं दूध से बने पदार्थ भोजन का प्रमुख अंश माना जाता है। रेगिस्तानी प्रदेश में दूध ही भोजन का आधार है। फल, सब्जी के अभाव में दूध ही पोषक तत्व प्रदान करता है। आज भी यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में दूध का उपभोग अधिक है। दूध की उपलब्धि की स्थिति को हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास में देखा जा सकता है। इस तथ्य को अधिक गहराई से समझने के लिए प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता देख सकते हैं। संस्थान द्वारा इस विषय में पहले भी सर्वेक्षण किया गया है। राष्ट्रीय संदर्भ में प्रति

व्यक्ति दूध की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है, जिसके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दैनिक 111 ग्राम दूध उपलब्ध है वैसे स्वास्थ्य के दृष्टि से दैनिक प्रति व्यक्ति 210 ग्राम दूध न्यूनतम आवश्यकता मानी गयी है। राजस्थान में औसत प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता 265 ग्राम आंका गया है जो कि राष्ट्रीय औसत एवं न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है[1], यह शुभ लक्षण है। संस्थान की ओर से राजस्थान के मरुक्षेत्र में पशुधन का अध्ययन किया गया है जिनमें गाँव में दूध उपयोग की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर के गाँव के प्रति व्यक्ति दैनिक 300 से 500 ग्राम तक दूध का उपभोग होता पाया गया [2] । इन गाँवों में दूध, छाछ, घी का व्यापक रूप से उपभोग होता पाया गया। जिन गाँवों में दूध विक्री होती है वहाँ कम तथा जहाँ विक्री की सुविधा नहीं है वहाँ ज्यादा उपभोग होना स्वाभाविक है।

उपरोक्त संदर्भ में हस्तेड़ा तथा धम्मा का वास में दूध की उपलब्धता एवं उपभोग कम है। वैसे भी जयपुर जिले की तुलना में जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर में दूधारू पशुधन अधिक है तथा दूध उत्पादन भी ज्यादा है। संलग्न सारणी में हस्तेड़ा तथा धम्मा का वास में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता (उपभोग नहीं) देखी जा सकती है। सारणी में जातिवार तथ्य दिये गये हैं। सर्वेक्षित वर्ष में हस्तेड़ा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि 353 तथा धम्मा का वास में 350 ग्राम आंका गया है। जातीय संदर्भ में देखें तो दोनों गाँवों में यादव एवं जाट जाति में दूध अधिक है। जाट जाति में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता 724 तथा यादव जाति के यहाँ क्रमश- 660 (हस्तेड़ा) एवं 570 (धम्मा का वास) है, हरिजन परिवार के यहाँ दूध उत्पादन नहीं है। जब कि अन्य सभी समुदायों के यहाँ कुछ न कुछ दूध है। बुनकर, छीपा एवं रैगर जाति के परिवारों में बहुत कम दूध है। बुनकर परिवारों में 34 एवं 69 ग्राम, छीपा 82 तथा रैगर (हस्तेड़ा) परिवारों में 93 ग्राम है। लेकिन धम्मा का वास में रैगर जाति के परिवार में 370 ग्राम दूध है। यह कहा जा सकता है कि इन गाँवों में दूध की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि आमतौर पर 50 से 70 प्रतिशत दूध बेचा जाता है। जिन गाँव या परिवार में दूध विक्री की अनुकूलता नहीं है वहाँ उपभोग अधिक है। हस्तेड़ा में आमतौर पर दूध बेचते पाये गये जबकि धम्मा का वास में अपेक्षाकृत कम विक्री होती है।

---

1. अवध प्रसाद : उ. प. राजस्थान में दुग्ध व्यापार : कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान, 1992 पृष्ठ - 3
2. देखें, अवध प्रसाद : ग्रामीण विकास का एक आयाम : प्रिंटवेल पब्लिशर्स, जयपुर 1992 पृष्ठ- 213-33

सारणी संख्या 2 : 45 (1)

प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धि : सामाजिक सन्दर्भ

(1) ग्राम हस्तेड़ा (1990-91) (ग्राम में)

क्रम सं.	जाति विवरण		प्रति व्यक्ति दैनिक दूध-उपलब्धि
1.	ब्राह्मण	-	224
2.	महाजन	-	190
3.	जाट	-	724
4.	यादव	-	660
5.	मीणा	-	355
6.	रैगर	-	93
7.	कुमावत	-	334
8.	बुनकर	-	69
9.	जोगी	-	337
10.	नायक	-	348
11.	डांगी (दर्जी)	-	250
12.	खाती	-	295
13.	तेली	-	104
14.	हरिजन	-	4
15.	नाई	-	273
16.	धोबी	-	136
17.	छीपा	-	82
18.	मुसलमान	-	137
	योग	-	353

सारणी संख्या 2 : 45 (2)

प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धि : सामाजिक सन्दर्भ

(2) धम्मा का वास *(1990-91)* *(ग्राम में)*

क्रम सं.	*जाति विवरण*		*प्रति व्यकति दैनिक दुध उपलब्धि*
1.	राजपूत	-	370
2.	यादव	-	570
3.	रैगर	-	370
4.	बलाई	-	155
5.	बुनकर	-	34
	योग	-	350

नोट - सारणी में दोनों गाँवों में दूध की उपलब्धि बतायी गयी है। लेकिन यह मात्रा वास्तविक उपभोग की नहीं है। दूध के व्यापारी गाँव में आकर दूध खरीदते हैं, इस स्थिति में लोग दूध छाछ का उपभोग के बजाय चाय से काम चलाते है। दूध का उपभोग घटा है।

6- परिवारों की आर्थिक स्थिति

पारिवारिक आय का विश्लेषण -

धम्मा का वास के सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए परिवार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। परिवार एवं व्यक्ति की आय उसके आर्थिक स्तर का अंदाज लग सकता है। आय एवं व्यय की तुलनात्मक विवेचना भी स्थिति को समझने में सहायक होगा। इस विषय में सम्बन्धित तथ्यों को दो दृष्टियों से देखने का प्रयास किया गया है-

(क) सर्वेक्षित परिवारों का सामाजिक वर्गों (जातीय स्थिति) के संदर्भ में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय की स्थिति (ख) विभिन्न प्रकार के धन्धों के संदर्भ में परिवार एवं व्यक्ति आय की स्थिति का विवेचन। परिवार स्तर पर धन्धों का निर्धारण करते समय परिवार के मुख्य धन्धे को आधार माना गया है। आय में सहायक धन्धों की तथा अन्य स्रोतों से हुई आय को भी शामिल किया गया है। उपरोक्त दोनों संदर्भों में प्रति परिवार तथा प्रति व्यक्ति आय को देखा गया है। व्यय की स्थिति का विवेचन

भी इन्हीं मुद्दों को आधार मानकर किया गया है। प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय के परिवार को आर्थिक ढाँचे का अंदाज लगता है। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि परिवार का आर्थिक संतुलन किस सीमा तक है। आय-व्यय में कमी या बचत का अंदाज भी लगता है। ग्रामीण समाज में जीवन किस आर्थिक स्तार का है, इसकी एक झाँकी इस विवेचन में देख सकते हैं। जीवन स्तर को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में भी देखा समझा जा सकता है।

सारणी संख्या 2 : 46

प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय

(जातीय सन्दर्भ) (रुपये में)

क्रम सं.	*जाति*		*प्रति परिवार आय*	*प्रति व्यक्ति आय*
1.	राजपूत	-	9,640	1,668
2.	यादव	-	11,266	1,877
3.	रैगर	-	11,104	1,404
4.	बलाई	-	7,090	945
5.	बुनकर	-	9,000	1,125
	योग	-	10,143	1,457

सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न स्रोतों से आय का जो अनुमान लगाया गया है। उसके अनुसार इस गाँव के लोगों का आर्थिक स्तर औसत से कम है। प्रति व्यक्ति आय राजस्थान एवं पूरे देश दोनों से कम है। हस्तेड़ा के तुलना में भी इस गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। राष्ट्रीय, राजस्थान एवं हस्तेड़ा गाँव के लोगों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में धम्मा का वास की स्थिति को देखने पर तुलनात्मक स्थिति की जानकारी मिल सकती है। वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आय 2137 रु. आँकी गयी थी जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत आय 1742 रु. का अनुमान था। वर्तमान सर्वेक्षण के समय हस्तेड़ा गाँव के सर्वेक्षित परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 2031 रु. आंकी गयी है। हस्तेड़ा का यह अनुमान वर्तमान कीमत पर है। यह कहा जा सकता है कि हस्तेड़ा गाँव में प्रति व्यक्ति आय राजस्थान के औसत

के करीव-करीव वरावर है। राष्ट्रीय औसत से कम है। इस सन्दर्भ में धम्मा का वास की स्थिति काफी कमजोर है। धम्मा का वास में प्रति व्यक्ति औसत आय मात्र 1457 रु. आंका गया। सामाजिक वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय को देखने पर धम्मा का वास में वलाई जाति के परिवारों के सवसे कम आय है। इस जाति के परिवारों के वार्षिक आय मात्र 9090 रु. आंकी गयी है जो कि प्रति व्यक्ति आय के रूप में 945 रु. आता है। वुनकर जाति के पास प्रति परिवार 9000 रु. आय है जो कि प्रति व्यक्ति आय 1125 रु. होती है। शेष तीन जातियाँ कृषि से जुड़ी हुई हैं तथा इनकी आमदनी तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है।

सारणी संख्या 2 : 47

व्यवसाय के अनुसार प्रति परिवार - प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

क्र.सं.	व्यवसाय/धन्धा		प्रति परिवार आय	प्रति व्यक्ति आय
1.	कृषक	-	11,108	1,523
2.	कृषक श्रमिक	-	11,718	1,553
3.	श्रमिक	-	7,006	1,077
4.	नौकरी	-	1,632	816
5.	उद्योग-व्यवसाय	-	11,700	2,340
6.	अन्य कार्य	-	8,000	2,000
	योग	-	10,143	1,457

सवसे अधिक आय यादव जाति की है। इस जाति में प्रति परिवार वार्षिक आय 11266 रु. है तथा प्रति व्यक्ति आय 1877 रु. आंकी गयी। राजपूत जाति में इससे कम प्रति परिवार 9640 रु. एवं प्रति व्यक्ति 1668 रु. आंका गया। रैगर जाति के परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय 11104 रु. तथा प्रति व्यक्ति 1404 रु. है। कहा जा सकता है कि राजपूत, यादव एवं रैगर जातियों की तुलनात्मक दृष्टि से स्थिति कुछ अच्छी है, लेकिन राजस्थान एवं राष्ट्रीय औसत से कम है।

धम्मा का वास में लोग कृपक के अतिरिक्त अन्य धन्धे से भी जुड़े हैं - वैसे सभी परिवार कृषि एवं मजदूरी से जुड़े पाये गये। फिर भी परिवार उद्योग-धन्धा, मजदूरी तथा अन्य कार्यों से भी सम्वद्ध है। अतः रोजगार के स्रोत को ध्यान में रखते हुए प्रति परिवार एक प्रति व्यक्ति आय को देखा जा सकता है। सर्वेक्षित परिवारों के मुख्य धन्धों को ध्यान में रखकर छः वर्गों में विभाजित कर प्रति व्यक्ति को देखने का प्रयास किया गया है। यहाँ उललेखनीय है कि अधिक आय उद्योग-व्यवसाय से सम्वद्ध परिवारों की पायी गयी। यहाँ ट्रैक्टर की आय को उद्योग-व्यवसाय में शामिल किया गया है। उद्योग-व्यवसाध से जुड़े परिवारों की प्रति परिवार वार्पिक आय 11,700 रु. तथा प्रति व्यक्ति 2340 रु. पायी गयी। कृपि एवं श्रमिक से जुड़े परिवारों की प्रति परिवार वार्पिक आय क्रमशः 11,108 रु. एवं 11,718 रु. पायी गयी। इन्हीं धन्धों से जुड़े परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 1523 एवं 1553 रु. आंकी गयी। इस प्रकार कृपि तथा कृपि श्रमिक की आय करीव-करीव समान पायी गयी। सवसे कम आय नौकरी से जुड़े परिवारों की है।यहाँ जो परिवार नौकरी से जुड़ा है वह स्थायी तथा अधिक आय की नौकरी में नहीं हैं तथा अन्य स्रोतों से आय भी नहीं है। अस्थायी नौकरी में हैं। विविध एवं फुटकर कार्यों से संवद्ध परिवार प्रति व्यक्ति आय 2000 रु. आंकी गयी है।

पारिवारिक व्यय

परिवार की आय के संदर्भ में व्यय की स्थिति विश्लेपण आर्थिक स्थिति को अधिक स्पष्ट करता है। धम्मा का वास के सभी समुदायों में परिवार की आय से व्यय अधिक पाया गया। समग्र दृष्टि से देखे तो प्रति परिवार वार्पिक आय 10,142 रु. है जवकि व्यय की गयी राशि 12,184 रु. है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आमदनी 1457 रु. है तथा प्रति व्यक्ति व्यय 1751 रु. होता पाया गया। जातीय संदर्भ में देखें तो पाते है कि राजपूत परिवारों की प्रति परिवार वार्पिक आय 9,640 रु. है जवकि व्यय 1,20,031 रु. है। इनकी प्रति व्यक्ति आय 1,668 रु. तथा व्यय 2,082 रुपये है। प्रायः इसी अनुपात में यादव परिवारों में भी अंतर है। रैगर परिवारों की प्रति परिवार वार्पिक आय 11,104 रु. तथा 12,726 रु. है, अर्थात् वार्पिक 1,622 रु. प्रति परिवार अधिक व्यय है। प्रति व्यक्ति अधिक व्यय की रकम 196 होती है। आय-व्यय में सवसे अधिक अन्तर वलाई जाति में पाया गया। इस जाति में प्रति परिवार 3,040 रु. अधिक व्यय है तथा प्रति व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो 472 रु: अधिक व्यय होता पाया गया। राजपूत जाति का दूसरा स्थान है। इस जाति में प्रति परिवार वार्पिक आय से 2391 रु. अधिक व्यय होता पाया गया। प्रति व्यक्ति व्यय 414 रु. है। वुनकर जाति के परिवारों में प्रति परिवार वार्पिक 2,175 रु. अधिक

व्यय है तथा प्रति व्यक्ति व्यय का आधिक्य 271 रु. है। सर्वेक्षित परिवारों में सबसे संतुलित स्थिति यादव जाति की पायी गयी। इस जाति के परिवारों में मात्र 987 रु. प्रति परवार अधिक व्यय है। प्रति व्यक्ति अधिक व्यय 131 रु. आता है।

सारणी संख्या 2 : 48

प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय व्यय

(जातीय सन्दर्भ) *(रुपये में)*

क्र.सं.	जाति		प्रति परिवार व्यय	प्रति व्यक्ति आय
1.	राजपूत	-	12,031	2,082
2.	यादव	-	12,053	2,008
3.	रैगर	-	12,726	1,610
4.	वलाई	-	10,630	1,417
5.	बुनकर	-	11,175	1,396
	योग	-	12,184	1,751

रोजगार धन्धे के संदर्भ में आय एवं व्यय को देखने पर स्थिति थोड़ी भिन्न पायी गयी। उद्योग-व्यापार एवं अन्य कार्यों से लगे परिवारों की व्यय की तुलना में आय अधिक पायी गयी, अर्थात् वचत है। उद्योग व्यवसाय से जुड़े परिवारों की प्रति परिवार व्यय से 1,035 रु. अधिक व्यय है। प्रति व्यक्ति अधिक आय 207 रु. है। अन्य कार्यों से जुड़े परिवारों की प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति वचत की रकम क्रमशः 1720 एवं 430 रु. है। अन्य धन्धों से जुड़े परिवारों में वचत नहीं पायी गयी। नौकरी करने वाले परिवारों की सबसे गिरी स्थिति है-करीब दूने का अन्तर है। गरीब श्रमिक परिवारों की प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 7,006 एवं 1,077 रु. है जबकि व्यय 9407 एवं 1447 रु. पाया गया। कृपक श्रमिकों में अन्तर कम है। इनमें प्रति परिवार आय-व्यय में मात्र 143 रु. वार्षिक व्यय अधिक है। कृपकों में व्यय की रकम अधिक है। इनमें प्रति परिवार वार्षिक 3,073 रु. अधिक व्यय होता पाया गया जो कि प्रति व्यक्ति 1553 रु. अधिक आता है।

आय-व्यय की समग्र स्थिति को देखने पर यह साफ है कि शिक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति में आय की तुलना में व्यय अधिक है।

सारणी संख्या 2 : 49

प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति व्यय : व्यवसायिक सन्दर्भ (रुपये में)

क्र.सं.	व्यवसाय/धन्धा		प्रति परिवार व्यय	प्रति व्यक्ति व्यय
1.	कृषक	-	14,181	1,944
2.	कृषक श्रमिक	-	11,861	1,571
3.	श्रमिक	-	9,407	1,447
4.	नौकरी	-	3,000	1,500
5.	उद्योग-व्यापार	-	10,665	2,133
6.	अन्य कार्य	-	6,280	1,570
	योग	-	12,182	1,751

7- कर्ज की स्थिति

आय-व्यय के विश्लेषण पर से यह कहने की स्थिति बनती है कि धम्मा का वास गाँव में सर्वेक्षित परिवारों में आय की तुलना में व्यय अधिक है। इस अधिक व्यय की पूर्ति कर्ज से किया जाना स्वाभाविक है। यह कर्ज नकद एवं वस्तु दोनों के रूपों में होता पाया गया। ग्रामीणों के साथ चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आयी कि व्यय आय से अधिक होने पर यह जरूरी नहीं है कि इस कमी की पूर्ति केवल कर्ज लेकर ही की जाती है। ग्रामीण परिवेश में आज भी आपसी लेन-देन, वस्तु के रूप में सहयोग आदि परम्परा कायम है। इस स्थिति में कर्ज लेना आवश्यक नहीं होता। अतः प्रस्तुत अध्ययन में आय-व्यय के अन्तर के कर्ज के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि इस अंतर की पूर्ति कर्ज के द्वारा ही की गयी हो। यहाँ कर्ज से तात्पर्य नकद कर्ज की मात्रा से है, जिसके लिए ब्याज देना पड़ता है। ब्याज की रकम 15 से 20 प्रतिशत तक पाया गया। कर्ज एवं ब्याज का यही स्वरूप हस्तेड़ा गाँव का भी है।

धम्मा का वास में 50 प्रतिशत परिवारों के पास कुछ न कुछ कर्ज पाया गया। कर्ज के बारे में तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस गाँव में कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं है। कर्ज की स्थिति का जातीय एवं रोजगार के संदर्भ में विश्लेषण भी उपयोग होगा। सारणी में सर्वेक्षित परिवारों में कर्जदार परिवारों का अनुपात देखा जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति बलाई परिवार के पास कर्ज नहीं पाया गया। सबसे अधिक 66 प्रतिशत परिवार कर्ज लेने वाले मिले जो कि यादव जाति

के हैं। रैगर अनुसूचित जाति के 57 प्रतिशत परिवार कर्ज लेते पाये गये। राजपूत तथा बुनकर जाति के 50 प्रतिशित परिवारों ने कर्ज लिया है। ये कर्ज मुख्यत: दो कार्यों के लिए लिये (1) कृषि कार्य और (2) घर खर्च - चालू व्यय के लिए।

सारणी संख्या 2 : 50

सर्वेक्षित परिवारों में कर्जदार परिवार

(जातीय सन्दर्भ) *(संख्या)*

क्रम सं.	जाति		कुल परिवार	कर्जदार परिवार	कर्जमुक्त परिवार
1.	राजपूत	-	18	9	9
	(प्रतिशत)			50	50
2.	यादव	-	3	2	1
	(प्रतिशत)			66	34
3.	रैगर	-	21	12	9
	(प्रतिशत)			57	43
4.	बलाई	-	4	-	4
	(प्रतिशत)			-	-
5.	बुनकर	-	2	1	1
	(प्रतिशत)			50	50
	योग	-	48	24	24
	(प्रतिशत)			50	50

धम्मा का वास में प्रति परिवार (सब सर्वेक्षित परिवारों के संदर्भ में) कर्ज 1603 रु. पाया गया। यह राशि सभी सर्वेक्षित परिवारों पर प्रति परिवार औसत कर्ज की स्थिति को दर्शाता है। इसी संदर्भ में जातिवार स्थिति को देखने पर पाते हैं कि कर्ज राशि 1500 से 1044 रु. के बीच है, अर्थात् विभिन्न जातियों में कर्जदारी में ज्यादा अन्तर नहीं पाया गया। बलाई जाति कर्जमुक्त है। बुनकर जाति पर प्रति परिवार औसत 1500 रु. तथा रैगर जाति पर 1583 रु. पाया गया। राजपूत एवं यादव जाति के प्रति परिवार औसत कर्ज क्रमश: 1044 एवं 1900 रु. है।

कर्जदारी का सही अंदाज लगाने के लिए केवल परिवारों को ही आधार मानकर स्थिति को समझना उचित होगा। अतः जिन 24 (50 प्रतिशत) परिवारों ने कर्ज लिया उन पर प्रति परिवार कर्जभार को देखा जा सकता है। कर्ज लेने वाले परिवारों पर प्रति परिवार कर्जभार 3,206 रु. पाया गया। राजपूत कर्जदार परिवारों पर प्रति परिवार कर्ज की राशि 3,888 रु. है, जबकि यादव जाति के परिवारों पर इससे कम 2,850 रु. है करीब 1000 रु. कम पाया गया। रैगर जाति पर प्रति परिवार कर्ज का भार 2,880 रु. है। कहा जा सकता है कि कर्जभार परिवारों के संदर्भ में प्रति परिवार कर्ज का भार यादव जाति एवं रैगर जाति पर प्रायः एक सा है। बुनकर परिवारों ने कुछ अधिक कर्ज 3,000 ले रखा है। इस प्रकर धम्मा वास में जातीय संदर्भ में बलाई जाति को छोड़कर सभी ने कर्ज लिया है और कर्ज की राशि में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हस्तेड़ा गाँव की तुलना में यहाँ कर्ज भार काफी कम आधे से भी कम है।

सारणी संख्या 2 : 51

प्रति परिवार कर्ज की स्थिति : सामाजिक सन्दर्भ (रुपयें में)

क्रम सं.	जाति		कर्जदार परिवार पर (24) प्रति परिवार	सम्पूर्ण सर्वेक्षित परिवार पर (48) प्रति परिवार
1.	राजपूपत	-	3,888	1,944
2.	यादव	-	2,850	1,900
3.	रैगर	-	2,770	1,583
4.	बलाई	-	-	-
5.	बुनकर	-	3,000	1,500
	योग	-	3,206	1,603

कर्ज के भार को आय श्रेणी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। धम्मा का वास गाँव में कर्ज लेने वाले परिवारों को आय वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। प्रति परिवार कर्ज भी स्थिति का विवरण सारणी में देखा जा सकता है। संलग्न सारणी में कर्जदार परिवारों को 6 आय वर्गों में विभाजित किया गया। सबसे कम आय वाले परिवारों (1500 रु. तक की श्रेणी) ने कोई भी कर्ज नहीं लिया। इससे अधिक आय श्रेणी के परिवार के पास 1,500 रु. कर्ज पाया गया। 3,001 रु. से 6000 रु. आय वर्ग के परिवारों के पास प्रति परिवार 3250 रु. कर्ज है, जबकि 12,000 रु. तक के आय वर्ग

वाले के पास 3,096 रु. कर्ज है। इस गाँव के सबसे उच्च आय वर्ग के पास प्रति परिवार 3700 रु. कर्ज है। सबसे अधिक कर्जदार परिवारों की संख्या चौथी आय श्रेणी (6,001 से 12,000) के परिवारों की है। इस श्रेणी के 16 परिवार (59 प्रतिशत) हैं। अन्य दो आय श्रेणियों के परिवारों की संख्या 50 प्रतिशत तथा दूसरी श्रेणी के परिवारों की संख्या 33.33 प्रतिशत है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि आय श्रेणी में वृद्धि के साथ-साथ कम आय वाले परिवारों की तुलना में ज्यादा कर्ज लिया है।

सारणी संख्या 2 : 52

आय-वर्ग के अनुसार कर्जदारी

(कर्जदार परिवार)

आय वर्ग (रुपये)	*परिवार संख्या रुपये*	*परिवार कर्ज रुपये*	*कर्जदार परिवारों का प्रतिशत*
1500	-	-	-
1501 से 3000	1	1500	33.33
3001 से 6000	4	3250	50.00
6001 से 12,000	13	3,096	59.09
12,001 से 24,000	6	3,700	50.00
24,000 से अधिक	-	-	-
योग	24	3,206	50.00

सारणी संख्या 2 : 53

व्यवसाय- धन्धे के सन्दर्भ में कर्जदारी

(सभी 48 सर्वेक्षित परिवारों का) *(रुपये में)*

क्रम सं	*व्यवसाय/धन्धा*		*प्रति परिवार कर्ज*	*प्रति व्यक्ति कर्ज*
1.	कृषक	-	1,779	244
2.	कृषि श्रमिक	-	2,340	310
3	श्रमिक	-	550	84
4.	नौकरी	-	-	-
5	उद्योग-व्यवसाय	-	2,340	600
6	अन्य कार्य	-	3,000	-
	योग	-	1,603	230

धम्मा का वास गाँव में सभी सर्वेक्षित (48) परिवारों के रोज़गार के संदर्भ में कर्ज की स्थिति को देख सकते हैं। प्रति परिवार सबसे अधिक कर्ज अन्य कार्यों में लगे परिवारों पर है। इन पर प्रति परिवार 3,000 रु. कर्ज है। उद्योग-व्यवसाय तथा कृषि श्रमिकों पर प्रति परिवार 2,340 रु. कर्ज तथा कृषकों पर 1,779 कर्ज पाया गया। श्रमिकों पर प्रति परिवार 550 रु. कर्ज है, जबकि नौकरी से जुड़े परिवारों ने कोई कर्ज नहीं लिया है।

9

रोजगार के लिए स्थानांतरण

काम की तलाश में गाँव से बाहर जाना या एक स्थान से दूसरे पर जाने की परम्परा प्रायः हर समय रही है। इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी मानी जा सकती है। इसमें व्यक्ति अपने अनुकूल काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कई परिस्थितियों में वर्तमान स्थान पर काम न होने या कम होने पर दूसरे स्थान पर काम की खोज में जाता है। लेकिन आज गाँव से बाहर जाने की जो परिस्थिति बन रही है वह बिलकुल भिन्न प्रकार की है। भारतीय समाज रचना, ग्राम व्यवस्था का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इस भिन्नता को समझ सकता है। भारतीय समाज की ग्राम व्यवस्था में गाँव में रोजगार के पर्याप्त साधन रहे हैं। इस स्थिति में व्यक्ति विशेष ही अपनी विशेष रुचि के कारण से गाँव छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाता रहा है। कभी-कभी आकस्मिक कठिनाइयों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस परिस्थिति में पूरा गाँव या परिवार समूह के रूप में स्थानांतरण होता पाया जाता है। सामान्य स्थिति में गाँव में कृषि, उद्योग परम्परागत दस्तकार, व्यापार आदि करने वाले परिवार को काम की तलाश में बाहर जाने की स्थिति नहीं बनती है। राजस्थान में घुमन्तु पशुपालकों की एक अलग परिस्थिति एवं जीवन शैली है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु चराने, व्यापार करने की व्यवस्था विकसित हुई है। इसी प्रकार कुछ खास जातियों के लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करते हैं। लेकिन ये सभी स्थायी ग्राम व्यवस्था के अंग के रूप में हैं।

पिछले चार दशकों में रोजगार के लिए स्थानांतरण की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। गाँव की ऐसी परिस्थिति वनती जा रही है कि आवादी वृद्धि के अनुपात में रोजगार के साधन घटते जा रहे हैं। वर्तमान सर्वेक्षण तथा ग्राम विकास कार्यक्रम के सिलसिले में गाँव से निकट का सम्पर्क होने के कारण यह साफतौर पर दिखता है कि दूर के गाँवों में रोजगार के साधनों का पूर्णतया अभाव है। वर्तमान आर्थिक ढाँचा विकास की दिशा में गाँवों में रोजगार के विस्तार का स्पष्ट मार्ग भी नहीं दिखाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास गाँव के लोगों से गाँव में ही रोजगार के विकास के वारे में चर्चा करने पर निराशा हाथ लगी। आम धारणा वनती जा रही है कि गाँव में धन्धा चालू किया जाये, कारखाना लगे। लेकिन सुदूर गाँव में कारखाना लगाना कहाँ तक सम्भव है? यदि लगा भी दिया जाय तो क्या वह लाभकर होगा? क्या वह केन्द्रित उद्योगका, आर्थिक उन्नत तकनीक का सामना कर सकेगा? इस स्थिति में ग्राम वासी गाँव में क्या करें, यह प्रश्न भी अनुत्तरित रह जाता है। इस स्थिति में ग्राम वासी गाँव में क्या करें यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। इस अनुत्तरित प्रश्न के उत्तर की तलाश में गाँव के लोग रोजगार के लिए गाँव से वाहर जाते हैं। वे कहते हैं कि गाँव में क्या करें। वाहर कुछ तो काम मिलता है। आवागमन की सुविधा ने इसे अधिक आसान वना दिया है।

जैसा कि देख चुके हैं, हस्तेड़ा गाँव का इतिहास अपने ढँग का रहा है। इसका आकार काल एवं परिस्थिति वश घटता वढ़ता रहा है। वाढ़, वीमारी, रेगिस्तानी परिस्थिति तथा राजनैतिक कारणों से इसकी जनसंख्या में काफी उतार चढ़ाव आता रहा है। इनके कारणों की संक्षिप्त जानकारी अध्ययन के प्रारंभ में दी जा चुकी है। वर्तमान अध्ययन में स्थानांतरण की वर्तमान परिस्थिति पर विचार करना चाहेंगे। पूर्व अध्ययन में स्थायी रूप से रोजगार के लिए स्थानांतरित परिवारों का अनुमान लगाने के का प्रयास किया गया है। उस समय के अध्ययन के अनुसार 1941-51-61 के दशक में करीव 128 व्यक्ति गाँव से वाहर गये। ये लोग ऐसे हैं जिनका सम्वन्ध गाँव से है लेकिन आना-जाना नाम मात्र का है। अधिकांश समय गाँव से वाहर रहते हैं। स्पष्ट है पूर्व अध्ययन में स्थायी रूप से वाहर रहने वाले लोगों को शामिल किया गया था। उस समय की परिस्थिति भिन्न थी, आवागमन के साधन नहीं थे उस समय कारण रोज के काम के लिए वाहर जाने की स्थिति आज जैसी नहीं थी। उन दिनों जो लोग वाहर गये उनमें उच्च जाति के शिक्षित तथा मुसलमान अधिक थे। उम्र की दृष्टि से काम करने वाले उम्र समूह (15-59 वर्ष) लोग सर्वाधिक थे। उस समय की परिस्थिति में जो लोग काम की तलाश में वाहर जाते थे वे लम्वी अवधि के लिए जाते थे। रोज आना-जाना

नहीं होता था। यह भी कहा जा सकता है कि गाँव में स्थायी रूप से जो लोग रहते थे उन्हें उनकी जीविका के लायक रोजगार गाँव में उपलब्ध था। यह भी कहा जा सकता है कि गाँव की कार्यकारी श्रम शक्ति तथा रोजगार के साधन एवं स्रोत में एक सीमा तक संतुलन था।

वर्तमान समय में रोजगार की तलाश में गाँव से बाहर जाने वालों को समय अवधि की दृष्टि से इन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :

1. रोज बाहर जाने एवं वापस आने वाले।
2. अवकाश के समय गाँव में वापस अपने वाले।
3. लम्बी अवधि (2-4 माह) पर वापस आने वाले।
4. खास मौसम में कुछ समय के लिए अनिश्चित अवधि के लिए बाहर जाने वाले।

बाहर जाने वालों की यदि उनके काम के प्रकार की दृष्टि से देखना चाहेंगे तो मोटे तौर पर इन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :

1. दैनिक मजदूरी करने वाले बेलदार, कारीगर, दस्तकार, कारखाने में कार्यरत आदि।
2. नौकरी - स्थायी एवं अस्थायी।
3. व्यापार एवं अन्य कार्य से संबद्ध।

धम्मा का वास जैसे छोटे से गाँव में रोजगार की तलाश में सभी जातियों के लोग बाहर जाते पाये गये। आवागमन की सुविधाओं से दूर इस गाँव के प्रायः सभी परिवारों के एक न एक सदस्य कार्य की तलाश में बाहर जाता है। इस गाँव के लोग आमतौर पर अस्थायी रूप से बाहर जाते हैं। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव के 72 पुरुष समय-समय पर बाहर जाकर कार्य करते पाये गये। ये लोग कृषि में कार्य के समय गाँव में रहते है। शेष समय में आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार काम करने बाहर जाते हैं। बाहर जाकर काम करने वालों में राजपूत, रैगर, बुनकर मुख्य रूप से हैं। बाहर काम करने वाले सभी व्यक्ति मजदूरी करते हैं। सबसे अधिक संख्या (44) दिल्ली, पंजाब जाकर मजदूरी करते हैं तथा 4 व्यक्ति जयपुर में दैनिक मजदूरी करते हैं। कुछ लोग बंबई तथा अन्य स्थानों पर जाकर काम करते हैं। गाँव के कुछ लोग पास के क्षेत्र जैसे कालाडेरा, चौमू, गोविन्दगढ़ आदि स्थानों पर भी कार्य करते हैं। यहाँ पर

उल्लेखनीय है कि गाँव तथा पास पड़ौस में कृषि तथा अन्य कार्यों में मजदूरी करने वालों को स्थानांतरण नहीं माना गया है।

रोजगार के लिए गाँव से बाहर जाने की प्रकृति में धम्मा का वास की नियति हस्तेड़ा से भिन्न है। हस्तेड़ा में शिक्षा, दस्तकार, व्यापारी तथा अन्य कार्यों से जुड़े लोग हैं। वहाँ बाहर जाकर स्थायी या अधिक समय तक रह कर काम करने वाले लोग अधिक है। धम्मा का वास परम्परागत तथा अविकसित श्रेणी का गाँव है। इस कारण इस गाँव के प्रवासी मजदूर श्रेणी के हैं, जब गाँव में खेती का काम नहीं रहता उस समय गाँव से बाहर जाकर कार्य तलाशते हैं। इस तलाश में उन्हें आमतौर पर मजदूरी करनी पड़ती है।

हस्तेड़ा जैसे बड़े गाँव से बाहर जाकर काम करने वालों की पर्याप्त संख्या पायी गयी। रोजगार के लिए स्थानांतरण की स्थिति को देखेते हुए उनकी निश्चित संख्या का निर्धारण कठिन है। फिर भी एक अनुमान के अनुसार कुल करीब 100 व्यक्ति काम की तलाश में रोज गाँव से बाहर जाते हैं। इनमें करीब 30 व्यक्ति दैनिक मजदूर के रूप में, 50 खास मौसम एवं कार्य मे तथा करीब 20 व्यक्ति चौमू, गोविन्दगढ़, जयपुर आदि स्थानों पर कारखानों तथा अन्य स्थानों पर जाकर काम करते है। इनमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गाय जो इसी गाँव में या पास के गाँव में मजदूरी के काम में लगे है एवं गाँव से 2-4 कि.मी. की दूरी तक काम करने जाते हैं।

□□

भाग - 3

ग्राम पंचायत : दिशा, प्रक्रिया एवं भागीदारी

10

जागरुकता एवं विकास का लाभ

ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की अहम् भूमिका मानी गयी है। विकास कार्यक्रम को ग्राम एवं ग्राम समूह स्तर पर चलाया जाये तथा गाँव की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्यक्रम का निर्धारण किया जाये, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ग्राम पंचायत को प्राथमिक इकाई मानी गयी है। लक्ष्य यह रखा गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का निर्धारण हो तथा पंचायत के माध्यम से कार्यक्रमों की क्रियान्विति की जाये। यह अपेक्षा रखी गयी है कि गाँव के सभी सामाजिक समुदायों, पुरुष एवं महिलाओं का इसमें सहयोग मिले। यही कारण है कि ग्राम पंचायत में अ. जा., अ. ज. जा. तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर जनभागीदारी के दो स्वरूप हो सकते हैं। एक, पंचायती राज संस्था में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के लोगों का कितना सहयोग तथा कार्य में भागीदारी है, इसे देखना। इस बात की भी जानकारी की जा सकती है कि पंचायती राज संस्थान की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे चुनाव, बैठक, कार्यक्रमों का निर्धारण, लाभान्वितों का चयन आदि में विभिन्न समुदाय के लोगों का सहयोग तथा सक्रियता की क्या स्थिति है? दो, ग्राम पंचायत के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों की जानकारी तथा लाभ की स्थिति। यह जानना उपयोगी होगा कि गाँव के लोगों को ग्राम पंचायत के कार्यों की कितनी जानकारी है तथा उसका किस सीमा तक लाभ मिला है या मिल रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन में हस्लेड़ा एवं धम्मा का वास में पंचायती राज तथा इसके कार्यों में लोगों की जानकारी की स्थिति इस बारे में राय का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या 3 : 1

ग्राम पंचायत के कार्य एवं योजन की जानकारी (ग्राम हस्तेड़ा)

क्र.सं.	जाति	कुल परिवार	जानकारी रखने वालों की सं.	जानकारी रखने वालों का प्र.
1.	ब्राह्मण	17	7	44.18
2.	महाजन	8	-	-
3.	जाट	12	5	23.81
4.	यादव	20	-	15.00
5.	मीणा	10	2	20.00
6.	रैगर	24	2	8.33
7.	कुमावत	8	2	25.00
8.	बुनकर	8	-	-
9.	जोगी	5	-	-
10.	नायक	7	1	14.29
11.	दर्जी	2	1	50.00
12.	खाती	2	-	-
13.	तेली	2	-	-
14.	हरिजन	1	-	-
15.	नाई	1	-	-
16.	धोबी	2	-	-
17.	छीपा	1	-	-
18.	मुसलमान	17	2	11.76
	योग	156	25	16.03

सारणी संख्या 3 : 2

पंचायत के कार्यों की जानकारी रखने वाले - गाँव धम्मा का वास

क्रम सं.	जाति		परिवार संख्या	जानकारी रखने वालों की संख्या	जानकारी रखने वालों का प्रतिशत
1.	रैगर	-	21	1	4.76
2.	यादव	-	3	-	-
3.	राजपूत	-	18	1	5.56
4.	वलाई	-	4	-	-
5.	बुनकर	-	2	-	-
	योग	-	48	2	4.17

यहाँ एक बात स्पष्ट करना उचित होगा वर्तमान स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम वनाने का कार्य नहीं किया जाता है। कार्यक्रम वनाने का अर्थ है ग्राम स्तर पर गाँव की आवश्यकता, उपलब्ध संसाधन को देखते हुए गाँव के लोगों की राय एवं भागीदारी से गाँव विकास की योजना वनाने से है। वास्तव में होता यह है कि राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम विकास की योजना वनायी जाती है और कार्यक्रम की क्रियान्विति में पंचायती राज संस्था से सहयोग की अपेक्षा रखी जाती है। यह सहयोग भी पंचायत समिति के अधिकारी की देख-रेख में प्राप्त की जाती है। व्यवहार में वास्तविक अधिकार सरकारी अधिकारियों के पास ही होता है। फिर भी ग्राम स्तर के जन प्रतिनिधि के द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्य कराना है इसका निर्णय का अधिकार एक सीमा तक ग्राम पंचायत को है लेकिन अंतिम स्वीकृति, वजट की सीमा को देखते हुए अधिकारी करते हैं। इसमें कार्य को पूरा करने, हिसाव रखने आदि की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की भी होती है। अतः एक सीमा तक लाभान्वितों के चयन, कार्य की प्राथमिकता का निर्धारण कार्य को पूरा करना, भुगतान आदि जन प्रतिनिधि के साथ मिलकर पूरा किया जाता है। व्यवहार में यह देखा गया कि ग्राम पंचायत के कुछ लोग सक्रिय होते हैं और वे ही इन कार्यों को पूरा करते हैं। आमतौर पर संरपच, वार्ड मेम्वर इस कार्य में रुचि लेते पाये गये। गाँव का आम नागरिक ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों में खास रुचि लेता नहीं पाया गया।

यही कारण है कि पंचायती राज कार्यक्रम में सामान्यजन की सक्रियता काफी कम देखी गयी।

हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास में, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों के वारे में जानकारी की स्थिति को देखने का प्रयास किया गया। सर्वेक्षित परिवारों के मुखिया को ग्राम पंचायत के कार्यों तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की कितनी जानकारी है, इस वात की चर्चा की गई। प्रश्नोत्तर के दौरान यह जानने का प्रयास किया गया है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से कितने प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं, ग्राम पंचायतें कौन-कौन से कार्य करती हैं। इस गाँव में पंचायत के कार्यों के वारे में जानकारी की स्थिति को सारणी में देख सकते हैं। यह जानकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि पंचायती राज की स्थापना के 33 वर्षों के वाद भी वहुत कम लोगों को ग्राम पंचायत के उद्देश्य, कार्य तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी है। ग्राम पंचायत का अर्थ ग्राम -पंचायत के चुनाव तक सीमित हो गया है। इससे आगे के दायित्व का वोध प्रायः नहीं है। लोगों को प्रायः सरपंच, वार्ड मेम्वर के चुनाव की जानकारी तो है लेकिन ग्राम पंचायत के अधिकार, कार्य, कार्य क्षेत्र आदि के वारे में जांनकारी वहुत कम है। हस्तेड़ा जैसे केन्द्रीय महत्त्व के गाँव, जहाँ मूलभूत सुविधायें मौजूद है तथा पंचायत के माध्यम से कार्य भी किये जाते हैं, में मात्र 16.03 प्रतिशत परिवार के मुखिया को ग्राम पंचायत के कार्य तथा किये जा रहे कार्यों की जानकारी है। हस्तेड़ा गाँव में इस जानकारी को जातीय संदर्भ में देखने पर पाते है कि 18 में से 9 जातियों के परिवारों के मुखिया को इस वारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये लोग ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों से पूर्णत अनभिज्ञ थे। सर्वेक्षण के दौरान इनसे गहराई से पूछताछ की गयी तथा पंचायतों के काम को गिनाया गया तो इस वात की स्वीकृति प्रदान की कि ग्राम पंचायत है और वह गाँव में विकास आदि का काम करती है। लेकिन कार्य के विगत से अनभिज्ञता वतायी गयी। जिन जातियों ने पूर्ण अज्ञानता जतायी वे हैं—छीपा, धोवी, नाई, हरिजन, तेली, खाती, जोगी, वुनकर और महाजन। यह उल्लेखनीय है कि अनभिज्ञता प्रगट करने वाले अधिकांश परिवार अनुसूचित जाति के हैं। इस स्थिति में यह कहने की स्थिति वनती है कि अनुसूचित जाति के लोग ग्राम पंचायत से अभी तक नहीं जुड़ पाये हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इन समुदायों के परिवारों को ग्राम पंचायत के कार्यों का लाभ नहीं मिल सका है।

हस्तेड़ा गाँव के कुछ अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के परिवारों ने इस वारे में जानकारी होना स्वीकार किया है। रैगर, कुमावत, नायक, दर्जी आदि जातियों को ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी है। दर्जी एवं नायक जाति के क्रमशः 50 एवं 14

प्रतिशत परिवार के मुखिया ने जानकारी वतायी है। सवर्ण जातियों में ब्राह्मण जाति के 41.18 जाट 23.81 तथा यादव जाति के 15 प्रतिशत परिवार के मुखिया ने ग्राम पंचायत के कार्य एवं गाँव में हुए कार्यों की जानकारी होना स्वीकार किया है।

सारणी संख्या 3 : 3

ग्राम हस्तेड़ा में पंचायत के कार्यों के प्रति अनभिज्ञता

क्र.सं.	जाति		कुल परिवार मुखिया	अनभिज्ञ मुखिया	अनभिज्ञ परिवार का प्रतिशत मुखिया
1.	ब्राह्मण	-	17	10	58.82
2.	महाजन	-	8	8	100.00
3.	जाट	-	21	16	76.19
4.	यादव	-	20	17	85.00
5.	मीणा	-	10	8	80.00
6.	रैगर	-	24	22	91.67
7.	कुमावत	-	8	6	75.00
8.	बुनकर	-	8	8	100.00
9.	जोगी	-	5	5	100.00
10.	नायक	-	7	6	85.71
11.	दर्जी	-	2	1	50.00
12.	खाती	-	2	2	100.00
13.	तेली	-	2	2	100.00
14.	हरिजन	-	1	1	100.00
15.	नाई	-	1	1	100.00
16.	धोवी	-	2	2	100.00
17.	छीपा	-	1	1	100.00
18.	मुसलमान	-	17	15	88.24
	योग	-	156	131	83.97

सारणी संख्या 3 : 4

पंचायत के कार्यों से अनभिज्ञ परिवार- धम्मा का वास

क्र. सं.	जाति		सर्वेक्षित परिवार	अनभिज्ञ परिवारों की संख्या	अनभिज्ञ परिवारों का प्रतिशत
1.	रैगर	-	21	20	95.24
2.	यादव	-	3	3	100.00
3.	राजपूत	-	18	17	94.44
4.	वलाई	-	4	4	100.00
5.	वुनकर	-	2	2	100.00
	योग	-	48	46	95.83

धम्मा का वास गाँव में ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है। यह गाँव आलीसर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ता है। इस गाँव से एक वार्ड मेम्वर चुना जाता है। अतः गाँव में ग्राम पंचायत की गतिविधियों आमतौर पर चुनाव तक ही रहती है। सामान्यतः दिनों में ग्राम पंचायत के कार्यों का प्रभाव कम दिखाई देता है। इस गाँव में ग्राम पंचायत के कार्य भी कम ही हो पाते है। सर्वेक्षित परिवारों से ग्राम पंचायत के कार्य, गाँव में किये गये कार्यों के वारे में कितनी जानकारी है यह जानने का प्रयास किया गया किन्तु निराशा हाथ लगी। धम्मा का वास की स्थिति हस्तेड़ा से भी खराव है। इस गाँव के सर्वेक्षित परिवारों में से मात्र 4.17 प्रतिशत परिवारों के मुखिया को ग्राम पंचायत के कार्यों तथा गाँव में किये गये कार्यों की जानकारी है। गाँव की पाँच जातियों में तीन जातियाँ (वुनकर, वलाई एवं यादव) को इस वारे में कोई जानकारी नहीं है। शेप दो जातियों में रैगर जाति के 4.76 तथा राजपूत 5.56 प्रतिशत परिवार के मुखिया को ग्राम पंचायत के कार्यों एवं गाँव में किये गये कार्यों की जानकारी है।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहने की स्थिति वनती है कि हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास, दोनों गाँवों में ग्राम पंचायत के कार्य तथा उसके माध्यम से किये गये कार्यों की जानकारी का अभाव है। गाँव के गिने-चुने परिवार के मुखिया को इस वारे में जानकारी है। हस्तेड़ा के सर्वेक्षित परिवारों में से औसत करीव 84 प्रतिशत को तथा धम्मा का वास के 96 प्रतिशत परिवारों के मुखिया को ग्राम पंचायत के कार्य एवं किये

सारणी 3 : 5
पंचायत से लाभ पाने वालों की स्थिति - हस्तेड़ा

क्र. सं.	जाति		कुल संख्या	लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या	लाभ की स्वीकृति करने वालों का प्र.	लाभ को अस्वीकार करने वाले व्यक्तियों की सं.	लाभ प्राप्त न करने वालों का प्रतिशत
1.	ब्राह्मण	—	17	4	23.53	13	76.47
2.	महाजन	—	8	2	25.00	6	75.00
3.	जाट	—	21	5	23.81	16	76.19
4.	यादव	—	20	2	10.00	18	90.00
5.	मीणा	—	10	4	40.00	6	60.00
6.	रैगर	—	24	11	45.83	13	44.17
7.	कुमावत	—	8	3	37.50	5	62.50
8.	बुनकर	—	8	3	37.50	5	62.50
9.	जोगी	—	5	1	20.00	4	80.00
10.	नायक	—	7	2	28.57	5	71.43
11.	दर्जी	—	2	–	–	2	100.00
12.	बढ़ई	—	2	–	–	2	100.00
13.	तेली	—	2	–	–	2	100.00
14.	हरिजन	—	1	–	–	1	100.00
15.	नाई	—	1	–	–	1	100.00
16.	धोबी	—	2	–	–	2	100.00
17.	छीपा	—	1	–	–	1	100.00
18.	मुसलमान	—	17	4	23.53	13	76.47
	योग	—	156	41 प्रतिशत	26.28	115	73.72

गये कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी। दोनों गाँवों की स्थिति को देखते हुए ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत के कार्य, अधिकार सामान्य नागरिक के कर्त्तव्य आदि के बारे में व्यापक स्तर पर शिक्षण की आवश्यकता है। स्पष्ट है अब तक के प्रयास से गाँव का सामान्य नागरिक प्रभावित नहीं को सका है।

ग्राम पंचायत के कार्यों से लाभान्वित की स्थिति

दोनों सर्वेक्षित गाँवों में पंचायती राज संस्थान के माध्यम से विकास कार्यक्रम का लाभ किस सीमा तक मिला है इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस दृष्टि से सर्वेक्षित परिवारों को ग्राम पंचायत से मिलने वाले लाभ के बारे में प्रश्न पूछे गये। हस्तेड़ा गाँव के कुल सर्वेक्षित (156) परिवारों में से 41 परिवारों को ग्राम पंचायत के माध्यम से लाभ मिला है। इस प्रकार कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 26.28 प्रतिशत परिवारों में से 26.28 प्रतिशत परिवारों को कोई लाभ नहीं मिला है। हस्तेड़ा में सबसे अधिक लाभ मीणा एवं रैगर जाति के परिवारों को लाभ मिला। मीणा जाति के 40 एवं रैगर जाति के 45 प्रतिशत परिवारों को लाभ मिलता पाया गया। उच्च जातियों में ब्राह्मण, महाजन एवं जाट क्रमशः 23,53, 25 एवं 23.81 प्रतिशत परिवारों को लाभ मिला। कुमावत एवं बुनकर जाति के 37.50 प्रतिशत परिवार तथा जोगी एवं नायक को क्रमशः 20 एवं 28.57 प्रतिशत परिवारों को पंचायत से आर्थिक लाभ मिलता पाया गया। मुस्लिम समुदाय से जुड़े 23.53 प्रतिशत परिवारों को आर्थिक विकास में मदद मिलती पायी गयी।

सारणी संख्या 3 : 6

पंचायत से लाभान्वित परिवार - धम्मा का वास

क्र. सं.	*जाति*		*सर्वेक्षित परिवार*	*लाभ प्राप्त करने वाले*	*लाभ नहीं प्राप्त करने वाले*
1.	रैगर	-	21	-	21
2.	यादव	-	3	-	3
3.	राजपूत	-	18	2	16
4.	वलाई	-	4	-	4
5.	बुनकर	-	2	1	1
	योग	-	48	3	45
	प्रतिशत	-	100	6.25	93.75

हस्तेड़ा गाँव में ग्राम पंचायत की योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों के विश्लेषण पर से यह कहने की स्थिति वनती है कि कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों में सभी को लाभ नहीं मिल सका है। रैगर, मीणा, वुनकर, जोगी, दर्जी, आदि जाति के परिवारों को लाभ नहीं मिला है, जव कि धोवी, हरिजन, नाई, तेली, वढ़ई आदि को किसी भी प्रकार की योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सका है। स्पष्ट है कुछ खास जातियों के लोग योजनाओं का लाभ लेते है और भंगी जैसी जातियाँ अभी भी उपेक्षित रह जाती है।

धम्मा का वास का सम्वन्ध अन्य ग्राम पंचायत से है। इस स्थिति में ग्राम पंचायत की योजनायें इस गाँव तक नहीं पहुँच पाती है। आमतौर पर ग्राम पंचायत के मुख्यालय या प्रमुख गाँव को ही लाभ मिल पाता है। सम्वद्ध ढांणियों, टोलों में ग्राम पंचायत की योजनायें नहीं आ पाती है। धम्मा का वास के 48 सर्वेक्षित परिवारों में से मात्र 3 परिवारों को ग्राम पंचायत की योजना के अन्तर्गत लाभ मिला है। इस प्रकार सर्वेक्षित परिवारों में से मात्र 6.25 प्रतिशत परिवार ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों के साथ जुड़ सके हैं। जातीय संदर्भ में देखें तो 2 राजपूत तथा एक वुनकर परिवार को लाभ मिला है। आलीसर ग्राम पंचायत से जुड़े इस गाँव में योजनाओं को लाभ प्रायः नहीं मिला है। सार्वजनिक हित के कार्यों में हैंड पंप के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था का कार्य इस गाँव में भी हुआ है। गाँव में दो हैण्ड पंप है। ग्राम पंचायत के कार्यों, योजनाओं के लाभ के वारे में लोगों से चर्चा करने पर यह राय सामने आयी कि ग्राम पंचायत से जुड़े छोटे गाँवों के परिवारों तक विकास कार्यक्रम नहीं पहुंच पाते हैं। अतः दो दिशाओं में प्रयास करना आवश्यक एवं उपयोग होगा—(क) ग्राम पंचायतों से जुड़े छोटे गाँवों के परिवारों को लाभ मिले इस दिशा में प्रयास किया जाय। (ख) ग्राम पंचायत को विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक धन मिले ताकि अधिक लोगों को लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत के कार्यों, आर्थिक साधन, योजनाओं आदि के वारे में गाँव के लोगों की जानकारी देने का प्रयास भी आवश्यक है। इससे ग्राम पंचायत में जन भागीदारी वढ़ेगी और अधिक परिवार जुड़ सकेगें।

□□

11

ग्राम पंचायत : प्रतिनिधित्व एंव भागीदारी

पंचायती राज में निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम निर्धारण एवं क्रियान्विति में सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी की अपेक्षा रखी गयी है। इस अपेक्षा की पूर्ति किस सीमा तक हो पा रही है यह देखने का प्रयास किया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था की क्रियान्विति तथा निर्णय प्रक्रिया में सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (अ. जा., अ.ज.ज़ा. एवं पिछड़ी जातियाँ) एवं महिलाओं की कितनी भागीदारी है इसकी जानकारी का भी प्रयास किया गया है। आमतौर पर प्रतिनिधित्व के नाम पर अ.ज., अ.ज.ज़ा., महिला समुदाय के प्रतिनिधि के चयन या मनोनयन का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत एवं उनकी समितियों में उनके नाम देखे जा सकते हैं। लेकिन विचारणीय मुद्दा यह है कि उनकी उपस्थिति कितनी है। वे निर्णय प्रक्रिया में किस सीमा तक भागीदारी बनते है या उनका स्थान क्या है? इन बातों पर प्रकाश डालने की दृष्टि से इस विषय पर चर्चा करके स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है।

गाँव की समस्याओं एवं विकास कार्य में जनभागीदारी, आपसी सहयोग की परम्परा काफी पुरानी है। पंचायती राज के माध्यम से उसे कानूनी रूप देने का प्रयास किया गया। इस माध्यम से भागीदारी के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। परम्परागत व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में सहयोग एवं भागीदारी का एक स्वरूप था। इस स्वरूप के अन्तर्गत कृषि कार्य सिंचाई, कुँआ एवं अन्य आर्थिक कार्यों में आपसी सहयोग तथा स्वेच्छिक भागीदारी थी। इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में

विवाह, तीज-त्यौहार, मृत्यु-शोक आदि में आपसी सहभागिता भी मजबूत रही है। विवादों के निपटारे एवं अन्य कार्यों के लिए प्रबुद्ध नागरिकों, जातीय मुखिया, ग्राम मुखिया पंच आदि की व्यवस्था के माध्यम से कार्य किया जाता था। इस व्यवस्था में जातीय तत्त्व का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। जातीय स्तर पर संगठन के साथ-साथ कथित उच्च जाति की प्रभावी भूमिका होती है। इस स्थिति में कमजोर सामाजिक स्तर-विशेषकर अ.जा., अ.ज.जा. - के लोग काफी हद तक उपेक्षित रह जाते हैं। परम्परागत व्यवस्था में महिलाओं की उपेक्षा सहज में देखी जा सकती है। ग्रामीण व्यवस्था में सामाजिक कार्यों, गाँव के कार्य में महिलाओं की राय लेने की आवश्यकता नहीं महसूस की जाती है। इन सीमाओं के वावजूद राजस्थान के गाँवों में आर्थिक, सामाजिक कार्यों में आपसी सहयोग, जनभागीदारी की मजबूत परम्परा देखी जा सकती है।

पंचायती राज व्यवस्था में उक्त सीमाओं, वाधाओं को दूर कर समाज के सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी लाने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि अ.ज., अ.ज.जा. एवं महिला समुदाय के प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा गया है। इन समुदायों के प्रतिनधियों का चयन निर्वाचन एवं मनोनयन के माध्यम से किया जाता है। स्पष्ट है इस प्रक्रिया में चुनाव प्रमुख तत्व हो जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव आज महत्त्वपूर्ण चुनाव माना जाने लगा है। चुनाव में धन, जाति, गुटवंदी आदि तत्त्वों का समावेश स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि आज ग्राम पंचायत का चुनाव महँगा हो गया है और गाँव का सामान्य व्यक्ति तथा सज्जन व्यक्ति इससे दूर रहना चाहता है। पंचायती राज व्यवस्था इन सीमाओं के घेरे में आगे वढ़ रहा है। इस स्थिति में निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यक्रम क्रियान्विति में विभिन्न समुदायों, कमजोर वर्ग की भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व की सार्थकता देखने का प्रयास किया जा सकता है।

विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से हस्तेड़ा ग्राम पंचायत को देखा जा सकता है। सर्वेक्षण के समय यहाँ ग्राम पंचायत में प्रतिनिधित्व की स्थिति इस प्रकार पायी गयी -

प्रतिनिधित्व की दृष्टि से देखने पर पाते है कि ग्राम पंचायत में विविध जातियों के प्रतिनिधि है। इनमें उच्च जाति, मध्यम जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि शामिल है। मुस्लिम समुदाय के भी एक सदस्य है। एक सदस्य

महिलाओं में से सहविरित किये गये हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से संतुलित गठन कहा जा सकता है।

सारणी संख्या 3 : 7

हस्तेड़ा ग्राम पंचायत में प्रतिनिधित्व

क्र. सं.	नाम	पद	शिक्षा	धन्धा
1.	श्री राम प्रसाद शर्मा	सरपंच	हायर सैकण्डरी	कृषि
2.	श्री सुखाराम रैगर	उप सरपंच	हायर सैकण्डरी	कृषि
3.	श्री मक्खन दीन लुहार	सदस्य	हायर सैकण्डरी	कृषि लोहे का काम
4.	श्री सुखा राम रैगर	सदस्य	हायर सैकण्डरी	कृषि लोहे का काम
5.	श्री भूराराम रैगर	सदस्य	हायर सैकण्डरी	कृषि लोहे का काम
6.	श्री गिरधारी मीणा	सदस्य	हायर सैकण्डरी	कृषि लोहे का काम
7.	श्री जीवन राम स्वामी	सदस्य	10वीं कक्षा	चाय दूकान
8.	श्री वईद खाँ पठान	सदस्य	10वीं कक्षा	व्यापार
9.	श्री महादेव सिंह जाट	सदस्य	स्नातक	कृषि
10.	श्री झूथा राम जाट	सदस्य	स्नातक	कृषि
11.	श्री प्रभात कुमावत	सदस्य	स्नातक	कृषि
12.	श्री भँवर सिंह यादव	सदस्य	स्नातक	कृषि
13.	श्रीमती गुलाब देवी पारीक (सहवरित की गयी)	सदस्य	स्नातक	गृह कार्य

मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र के संस्थागत गठन प्रक्रिया में जातीय तत्त्व मजवूत होता जा रहा है। जाने अन्जाने चुनाव में जातीय प्रतिनिधित्व की वात को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की उपयोगिता एवं आवश्यकता को स्वीकार की गयी है। एक निश्चित अवधि के लिए यह आवश्यक भी हो सकती है। लेकिन यदि जातीय तत्त्व मजवूत होता जाय तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि शुद्ध लोकतन्त्र की दिशा में आगे नहीं वढ़ पा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी जातीय समीकरण का महत्त्व वढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायतों के चुनाव में जाति एवं धन का प्रभाव तेजी से वढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि गाँव का सज्जन व्यक्ति तटस्थ होता जा रहा

है। इसका गहरा प्रभाव पड़ता देखा जा सकता है। ग्राम पंचायत के चुनाव में जाति एवं धन के प्रभाव का सीधा परिणाम पंचायत के कार्यक्रम, लाभान्वितों की स्थिति पर पड़ता है। पंचायत संस्था में लोकतंत्रीय तत्त्वों की कमी आती जा रही है। यही कारण है कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी घटती जा रही है। पंचायत के कार्यों, खासकर लाभान्वित परिवारों का चयन, उनको मिलने वाली सहायता, आदि में जाति एवं धन का प्रभाव देखा जा सकता है। चुनाव के समय विभिन्न जातीय गुटों का गठबंधन होने का प्रभाव बाद में भी पड़ता है। ग्राम पंचायत के अपने निर्णय, कार्यक्रम निर्धारण, कार्यक्रम क्रियान्विति में गुटबंदी एवं निहित स्वार्थ का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत से सम्बद्ध छोटे गाँव में योजनायें कम जाने में भी जाति, गुट एवं स्वार्थ की प्रमुख भूमिका होती है जिसका उदाहरण धम्मा का वास में देखा जा सकता है।

धम्मा का वास आलीसर ग्राम पंचायत से सम्बद्ध है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक ग्राम पंचायत के माध्यम से गिने-चुने कार्य ही गाँव में किये जा सके हैं। धम्मा का वास में एक व्यक्ति वार्ड मेम्बर के रूप में जन प्रतिनिधि है। यहाँ के जन प्रतिनिधि का प्रभाव एवं महत्त्व सीमित होने के कारण निर्णय में इस गाँव की उपेक्षा होती रही है। अब तक गाँव में निम्निलिखित कार्य किये गये हैं :

1. गाँव में पीने के पानी के दो हैण्ड पंप लगे हैं। इनमें से एक खराब हो चुका है।
2. आई. आर. डी. पी. कार्य के अन्तर्गत जयपुर - नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक द्वारा गाँव के 4 परिवारों को कर्ज मिला।
3. इसी योजना के अन्तर्गत 2 परिवारों को आवासीय मकान के लिए सहायता प्राप्त हुई है।

गाँव के लोगों की राय के अनुसार ग्राम पंचायत के माध्यम से अब तक इसके अतिरिक्त गाँव में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर गाँव के लोगों की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। धम्मा का वास में पंचायत में जन भागीदारी, विकास की प्रक्रिया के वारे में प्रतिक्रिया को गाँव के लोगों की भापा में समझना अधिक सामयिक होगा :

1. गाँव में विकास कार्य ही नहीं होता है तो विकास या पंचायत में भागीदारी कैसे हो सकती है?

2. आज से 20 वर्ष पूर्व प्राथमिक विद्यालय खुला था, आज भी उसमें एक शिक्षक है जो अनियमित रूप से आते हैं। इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है।
3. ग्राम पंचायत के कार्य में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है।
4. मजदूर महिलाएं अपने परिवार के साथ मजदूरी करने वाहर जाती है। वुनकर महिला मजदूर दिल्ली भी साथ जाती हैं तथा मजदूरी करती हैं।
5. ग्राम पंचायत के निर्णय सरपंच या प्रभावशाली पंच की राय के अनुसार होता है।
6. पंचायत में क्या-क्या होता है इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि पंचायत कार्यालय 3 किलो मीटर है। हम केवल मेंवर वार्ड को जानते हैं।
7. यह नहीं मालूम कि महिलाएं भी पंचायत में सहयोग करती है या करने का नियम है।
8. महिलाओं पर काम का भार अधिक (शोषण होता) है, क्योंकि वे घर के कार्य तथा वारह मजदूरी भी करती हैं।
9. कमजोर वर्ग, महिलाओं के विकास की वात कभी-कभी सुनते हैं, लेकिन अभी तक कोई काम होता हुआ नहीं दिखता है।

उपरोक्त मंतव्यों से स्पष्ट होता है कि छोटे गाँवों में ग्राम पंचायत के कार्य एवं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार का अभाव है। ग्राम की महिलाओं की भागीदारी नहीं पायी गयी। धम्मा का वास में महिलाएं पंचायत के कार्य से अनभिज्ञ पायी गयी। ग्राम पंचायत की कार्य एवं निर्णय प्रक्रिया में इनकी कोई भूमिका नहीं हैं। इनके लिए पंचायत की उपादेयता एवं महत्त्व सरपंच पंच मेंवर के चुनाव तक सीमति है। पंचायत उनके लिए क्या करता है या कर सकता है या उसके कार्य में उनकी भी कोई भूमिका है आदि वातों की उन्हें जानकारी नहीं है। गाँव में आई.आर.डी.पी. या जवाहर रोजगार योजना में जो कार्य किये गये वे नगण्य हैं और ये कार्य सरकार के माने जाते हैं। पंचायत के साधनों की अलग पहचान नहीं है। पंचायत तो मात्र सूक्ष्म माध्यम भर माना जाता है। इस प्रकार पंचायत में जन भागीदारी अत्यन्त सीमित मानी जा सकती है। इस स्थिति से मुक्ति के लिए शिक्षण, संगठन एवं जागरुकता उपयोगी हो सकते हैं।

12

सारांश, सुझाव एवं नीतिगत टिप्पणी

1- पृष्ठ भूमि

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्राम को इकाई मानकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाओं का विकास हुआ है। यहाँ ग्राम संस्कृति में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थायें एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ अनेक प्रकार की सभ्यता एवं संस्कृति के लोग आये और यहाँ के हो गये। पूर्व की सभ्यता देखें तो पाते है कि ग्राम व्यवस्था के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन एवं ह्रास का क्रम ब्रिटिश काल में प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व की व्यवस्था ने ग्राम को मजबूत किया। परम्परागत व्यवस्था में कृषि-उद्योग का प्रकृति के साथ संतुलन था तथा वे एक-दूसरे के पूरक थे। ब्रिटिश काल में विभिन्न कार्यों में अलगाव प्रारम्भ हुआ। हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिये कि आजादी के वाद ग्राम व्यवस्था को तोड़ने की गति में तेजी आयी है। ग्राम विकास के प्रयास में गाँव टूटता गया, कमजोर होता गया तथा उसकी व्यवस्था नष्ट होती गयी। परम्परागत ग्राम व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित संस्थाओं को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। (क) सामाजिक, सांस्कृतिक जिसमें राजनीति एंव न्याय भी शामिल है। प्रारम्भ में यह व्यवस्था शुद्ध वर्ण आश्रम व्यवस्था थी जो कि कालांतर में जातीय रूप में विकृत हो गयी। (ख) आर्थिक व्यवस्था जिसमें कृषि-पशुपालन, उद्योग आदि शामिल थे। इस व्यवस्था के अनुपालन में खास परेशानी नहीं होती, यदि कठिनाई आती हो तो उसके लिए सामाजिक दवाव प्रभावकारी साधन था। ग्राम संस्कृति का विकास किसी वाहरी दवाव से नहीं हुआ था। ग्राम व्यवस्था एक स्वाभाविक विकास प्रक्रिया का परिणाम है

जिसमें स्व-विकसित नियमों का पालन स्वेच्छा से होता था। इसमे सामाजिक एवं नैतिक दवाव का अपना स्थान था। लेकिन इन सब में ग्राम कुटुंब प्रभावी तत्त्व था जिनकी जड़ें काफी मजबूत थी।

2- ग्राम पंचायत

आजादी के वाद इन्हीं परम्पराओं को ध्यान में रखकर पंचायती राज कायम करने की कल्पना संजोयी गयी। इस कल्पना की क्रियान्विति के लिए संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना का स्पष्ट निर्देश दिये गये। तदनुसार प्रारम्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया और वर्ष 1957 में वलवंतराय मेहता समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए 2 अक्टूवर, 1959 को राजस्थान के नागौर में विधिवत रूप से पंचायती राज का शुभारम्भ किया गया। विधि संमत इस पंचायती राज में सामान्यत: तीन स्तर पर संस्थागत संरचना बनी। 1- जिला इकाई 2- मध्यवर्ती इकाई एवं 3- ग्राम या ग्राम समूह इकाई (ग्राम पंचायत)। विभिन्न राज्यों में इनमें अंतर देखा जा सकता है क्योंकि यह राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है।

पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव का तत्त्व महत्त्वपूर्ण होता गया। दलीय लोकतंत्र में चुनाव होने पर दल का हित विकसित होना स्वाभाविक है। पंचायती राज संस्था में भी यही हुआ। धीरे-धीरे पंचायती राज संस्था चुनाव एवं दल के दल-दल में फँसता गया। भारतीय राजनीति में जातीय संकीर्णता घुन की तरह घुसता गया। इस परिस्थिति में दल एवं जाति पंचायती राज में मूलभूत तत्त्व एवं भावना को समाप्त करता जा रहा है। पंचायती राज को निष्ठापूर्वक लागू करने, सत्ता का हस्तांतरण, आर्थिक साधन के हस्तांतरण की भी सतत् उपेक्षा की जाती रही। पंचायती राज को त्यागा नहीं गया लेकिन इसकी उपेक्षा प्रारंभ से ही की जाती रही है। उसे कभी भी विश्वास एवं निष्ठापूर्वक लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। पंचायती राज को सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्विति का कमजोर माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। इसमें अधिकारी एंव स्थानीय नेता प्रभावी रहे, सामान्य जन उपेक्षित रहा। कहा जा सकता है कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण पंचायती राज नौकरशाही के घेरे में मुक्त नहीं हो सका। आज भी आम धारणा यही है कि पंचायती राज के सिद्धान्त एवं क्रिया की दूरी वढ़ती जा रही है। फिर भी नाम तथा घोषणा में पंचायती राज आज भी चालू है- चल रहा है।

3- परिवर्तन

प्रगति एवं विकास के प्रयास में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन प्रत्येक परिवर्तन को प्रगति एवं विकास नहीं कहा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था ने

परिर्वतन की जो दिशा दी है वह पंचायती राज के लक्ष्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार गाँव या यों कहें पूरे समाज में परिवर्तन की जो दिशा चल रही है उसे संतुलित नहीं कहा जा सकता है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एंव राजनैतिक संस्थाओं में परिवर्तन को सही दिशा नहीं कह सकते हैं। जातीय संकीर्णता, धर्म में साम्प्रदायिकता का प्रभुत्व, विवाह में रुढ़िग्रत मान्यताएं, दहेज आदि के वर्तमान स्वरूप को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में मात्र भौतिक विकास को परिवर्तन का मापदंण्ड नहीं माना जा सकता है। भौतिक साधन एक सीमा तक उपलब्ध कराया जा सकता है, कराया जा रहा है। लेकिन जागरुकता एवं समझदारी में कमी के कारण भौतिक सुविधायें अनेक प्रकार की हानि कर रही हैं। विज्ञापन, प्रलोभन, अनुसरण की प्रवृत्ति के कारण युवा मन को गलत दिशा मिल रही है। शिक्षा मात्र साक्षरता रही गयी है। यह युवा मन को असंतुष्ट करने का माध्यम वनता जा रहा है। गाँव में 8वीं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी मन में नौकरी की कल्पना संजोये मिलता है। जवकि सरकारी नौकरी मृगमरीचिका वनती जा रही है। गाँव के वीच में रहकर विकास की वर्तमान दिशा एक भ्रम लगता है। क्या विकास का यही अर्थ है कि युवा मन में आकांक्षा एवं आवश्यकता की अनुभूति वढ़ जाय। ग्राम विकास की सही दिशा क्या हो यह प्रश्न अनुत्तरित है - यदि इसका उत्तर है तो उस ओर वढ़ने की तैयारी नहीं है। अभी की परिस्थतियों में यह कहने की स्थिति वनती है कि जैसे-जैसे तथाकथित विकास की ओर वढ़ते हैं, परिवर्तन की दिशा में अधिक अंधियारा होता जा रहा है। परिवार, समाज, सामाजिक - आर्थिक संस्थायें टूट रही है, तथा नयी संस्था का निर्माण नहीं हो रहा है।

उक्त सीमाओं में वावजूद ग्राम विकास आज की प्रथम प्राथमिकता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए विकास की दिशा का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हो जाता है।

4- प्रस्तुत अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन में आजादी के वाद ग्राम विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में उन मुद्दों की तलाश करने का प्रयास किया गया है जो ग्राम विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे विकास प्रक्रिया के कमजोर एवं प्रभावी दोनों तत्त्व उभर कर सामने आ सकेगें। संक्षेप में अध्ययनमें मुख्य रूप से इन मुद्दों को शामिल किया गया है-

1. ग्रामीण समाज की आर्थिक विकास की स्थिति का विश्लेपण
2. विकास कार्य में ग्रामीणों की जनभागीदारी एवं उसके प्रति जागरुकता

3. शैक्षणिक गतिशीलता तथा विकास में शिक्षा के स्थान को देखना

4. विकास में पिछड़े समुदाय की स्थिति।

इस अध्ययन में दो गाँवों को शामिल किया गया। ग्राम हस्तेड़ा (जिला - जयपुर) ऐसा गाँव है जिसका एक अध्ययन वर्ष 1961-62 में एग्रोइकॉनोमिक रिसर्च सेन्टर, वल्लभ विद्यानगर द्वारा किया गया था। उसकी रिपोर्ट सामने है जिसके आधार पर परिवर्तन की दिशा देखी जा सकती है। लेकिन यह पूर्व अध्ययन का पुनर्सर्वेक्षण नहीं है। इस दौरान गाँव में विकास की झलक देखी जा सकती है तथा यहाँ सुविधाओं का भी पर्याप्त विस्तार हुआ है। दूसरा गाँव हस्तेड़ा से 4 किलो मीटर दूर पर स्थिति है। धम्मा का वास एक सामान्य या यों कहें पिछड़ा हुआ गाँव है जहाँ विकास एवं सुविधायें नाम मात्र की पहुँची है। इन दोनों गाँवों को अध्ययन का केन्द्र विन्दु माना गया है।

आकार की दृष्टि से हस्तेड़ा में 565 तथा धम्मा का वास में 64 परिवार हैं। इस प्रकार दोनों गाँवों में कुल 629 परिवार हैं। हस्तेड़ा में सब मिलाकर 15 मुहल्ले हैं एवं दो ढाँणियों में 18 जातियों के लोग रहते हैं। इनमें मुसलमान भी शामिल हैं। धम्मा का वास में 4 जातियों के लोग रहते हैं। सामान्य जानकारी सभी परिवारों से ली गयी है तथा नमूने के अध्ययन के लिए हस्तेड़ा से 156 तथा धम्मा का वास से 48 परिवारों को चुना गया है। तथ्य संग्रह की गहराई में जाने की दृष्टि से परिवार एवं ग्राम अनुसूची के अतिरिक्त साक्षात्कार एवं वातचीत के माध्यम से जानकारी ली गयी है।

5- ग्राम परिचय

हस्तेड़ा गाँव में पिछले 30 वर्षों में विकास के अनेक कार्यक्रम चले जिसके अन्तर्गत सुविधाओं का पर्याप्त विकास हुआ है। पूर्व अध्ययन के (1961-62) के समय गाँव में नाम मात्र की सुविधाएं थी जवकि वर्तमान गाँव में हो सकने वाली अधिकांश सुविधायें यहाँ पहुँच गयी हैं। हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास दोनों गाँव शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। तथा यहाँ मरू क्षेत्रीय भौगोलिक पर्यावरण देख सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भूजल की मात्रा अन्य मरु क्षेत्र से अधिक होने के कारण कृषि विकास की पर्याप्त सम्भावना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हस्तेड़ा गाँव करीव 300 वर्ष पुराना है लेकिन कुछ का मानना है यह गाँव 1200 वर्ष पुराना है। जिसकी स्थापना हाथी सिंह गौड़ ने की थी। वाढ़, अकाल, महामारी तथा राजनैतिक उतार-चढ़ाव के कारण गाँव की जनसंख्या में काफी उतार चढ़ाव आता रहा है। कई वार आवादी वढ़ती-घटती रही। सन् 1900 के आस-पास प्लेग की महामारी आयी, 1923-25 में गाँव की नदी में भयंकर वाढ़ आयी। रेगिस्तानी आँधी के कारण, रेत के टीले वने। इन कारणों से गाँव की आवादी 7000 से घटकर

करीव 2500 रह गयी। पिछले दशकों में गाँव के कई कृषक परिवार अपने खेतों पर वसे। इस प्रकार मूल गाँव का अतिरिक्त 7 अन्य ढाँणियों में गाँव का फैलाव हुआ। वर्ष - 1961-63 में सुविधाओं से दूर इस गाँव में सड़क यातायात साधन, विजली, चिकित्सा-दवा, शिक्षा, सहकारी समिति, डाकघर एवं अन्य आवश्यक सुविधायें पहुँच चुकी है। जयपुर एवं अन्य कस्वों में सीधा सम्पर्क है। कुल 1964 हैक्टर भू क्षेत्र के इस गाँव में इस समय 413 हैक्टर वन क्षेत्र है, जवकि पूर्व अध्ययन के समय वन क्षेत्र नहीं था। वाद में वन लगे तथा कुछ क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित किया गया। गाँव में सिंचित क्षेत्र 41 से वढ़कर 1099 हैक्टर हो गया। नयी कृषि भूमि का भी विस्तार हुआ।

इसके विपरित धम्मा का वास उपेक्षित गाँव है जहाँ सुविधाओं के नाम पर एक शिक्षक का प्राथमिक विद्यालय तथा खेतों पर विजली है। 64 परिवारों के इस गाँव के लोगों को सुविधाओं के लिए 4 किलो मीटर दूर हस्तेड़ा जाना पड़ता है। आलीसर ग्राम पंचायत से जुड़े इस गाँव में लोग सुविधाओं से दूर परम्परागत ढँग से जीवन जीते हैं।

ग्राम व्यवस्था मुख्यतः दो सामाजिक संस्थाओं पर टिकी है एक, जाति एवं दूसरी परिवार। सामाजिक सम्वन्धों को मजवूत एवं संतुलित करने के लिए विवाह, धर्म, परम्परायें, जातीय पंचायत आदि संस्थायें रही हैं।

हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास दोनों विविध जातियों के गाँव है। धम्मा का वास की तुलना में हस्तेड़ा में अधिक प्रकार की जातियाँ हैं। वर्तमान में हस्तेड़ा 565 परिवारों की जनसंख्या 4367 है, जवकि पूर्व अध्ययन के समय 356 परिवारों की जनसंख्या 2048 थी। इस गाँव में इंस समय उच्च जाति की जनसंख्या का 28 प्रतिशत, मध्यम जाति की 36 प्रतिशत तथा अ.ज़ा. की 21 एवं अ.ज़. जाति की 6 प्रतिशत है। गाँव में 9 प्रतिशत मुसलमान हैं- पूर्व अध्ययन के समय इनका प्रतिशत 12.4 था। हस्तेड़ा के लोग मुख्य रूप से कृषि एवं मजदूरी में लगे हुए हैं। इस समय 40 प्रतिशत लोग कृषि एवं 41 प्रतिशत मजदूरी में लगे हैं, यह इनका मुख्य धन्धा है। पूर्व अध्ययन के समय यह प्रतिशत काफी कम था, उस समय कृषि मुख्य धन्धे में लगे परिवारों की संख्या 27 एवं मजदूरी में लगे परिवारों की संख्या 15 प्रतिशत थी। पहले व्यापार एवं दस्तकारी में लगे परिवार 43 प्रतिशत थे जवकि इस समय उनका प्रतिशत मात्र 8 है। नौकरी करने वालों की वर्तमान प्रतिशत 11 है जवकि उस सयम 8 थी। अन्य कार्यों में पहले 7 प्रतिशत परिवार लगे थे जवकि इस समय मात्र 1 प्रतिशत है। इस गाँव में मध्यम एवं अनुसूचित जनजाति (मीणा) के अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हैं। गाँव में भूमिहीनों की संख्या काफी पायी - 47 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है। अ.ज़ा. 78 एवं मुसलमान 75 प्रतिशत भूमिहीन है। गाँव के 13 प्रतिशत के पास 5 वीघा, 17 के

पास 10 बीघा तथा 12 प्रतिशत के पास 20 बीघा जमीन है। मात्र 11 प्रतिशत के पास 20 बीघा से अधिक जमीन है। गाँव के भंगी, लुहार, सुनार जातियों में किसी के पास जमीन नहीं है। प्रति परिवार औसत भूमि सबसे अधिक जाट, अहीर एवं मीणा जाति के पास क्रमशः 20, 25 एवं 12 बीघा है।

घम्मा का वास के 64 परिवारों की जनसंख्या 283 है। यहाँ राजपूत, अहीर, बुनकर एवं रैगर जाति के परिवार रहते हैं। इन परिवारों में अधिकांश (39) कृषि पर निर्भर है। गाँव के 16 परिवार मजदूरी एवं 9 परिवार नौकरी से जुड़े हैं। कुल में से 11 परिवार भूमिहीन हैं। 10 के पास 5 बीघा, 7 के पास 10 बीघा, 12 के पास 20 बीघा तथा 24 के पास 20 बीघा से अधिक जमीन है। स्पष्ट है घम्मा का वास में कृषि भूमि तथा खेती की अच्छी स्थिति है। जमीन की मात्रा की दृष्टि से स्थिति ठीक है। गाँव में सिंचाई का अच्छा विकास पाया गया। कुल 72 प्रतिशत जमीन में सिंचाई के साधन रूप से कुँआ है। प्रायः सभी जातियों के परिवारों के पास पर्याप्त कृषि भूमि है। रैगर जाति की 95 प्रतिशत भूमि सिंचित है जबकि राजपूत अहीर की क्रमश 71 एवं 67 प्रतिशत में सिंचाई के साधन है। गाँव के प्रति परिवार औसत भूमि 26 बीघा है। राजपूत के पास प्रति परिवार सबसे अधिक 39 बीघा जमीन है। रैगर के पास 16, अहीर के पास 154 एवं बुनकर के पास 6 बीघा प्रति परिवार जमीन है।

7- नमूने का अध्ययन

अध्ययन के गहराई में जाने की दृष्टि से हस्तेड़ा के 156 तथा घम्मा का वास में 48 परिवारों का नमूने का अध्ययन (Case Study) किया गया है। इस अध्ययन में विषय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गयी है। विषय को आगे बढ़ाते हुए नमूने के अध्ययन के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

हस्तेड़ा

सर्वेक्षित गाँव हस्तेड़ा में नमूने के अध्ययन में शामिल किये गये 156 परिवारों की जनसंख्या 1448 है जिसमें पुरुषों की संख्या 753 (52 प्रतिशत) तथा महिलाओं की संख्या 695 (48 प्रतिशत) पायी गयी। इस गाँव में प्रति परिवार सदस्य संख्या 7 से 13 तक पायी गयी। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। भारतीय समाज में संयुक्त एवं एकाकी परिवार की व्यवस्था रही है। दोनों सर्वेक्षित गाँवों में संयुक्त परिवार की मजबूत इकाई परम्परा देखने में आयी है। वर्तमान अध्ययन में संयुक्त परिवार का तात्पर्य साथ भोजन बनने से है। संयुक्त परिवार में पिता एवं पुत्र साथ रहते पाये गये। पहले संयुक्त

परिवारों में दो या तीन पीढ़ी साथ रहती थी। वर्तमान में एक पीढ़ी संयुक्त परिवार माना गया जिसमें पिता एवं इनके लड़के साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार की एक सीमा यह भी पायी गयी है कि कुछ सदस्य बाहर रहने के कारण भोजन जहाँ रहते हैं वही बनता है। अवकाश के दिनों में आने पर साथ भोजन करते हैं। इन्हें भी संयुक्त परिवार माना गया है। हस्तेड़ा में 47 परिवारों का स्वरूप (30.13 प्रतिशत) एकाकी था जबकि 109 परिवार 69.87 प्रतिशत संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। जातीय सन्दर्भ में देखें तो छीपा, धोबी, नाई, हरिजन, आदि परिवारों की जातियों के सभी परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। मुसलमान भी 94 प्रतिशत संयुक्त रूप से रहते हैं। स्पष्ट है कृपक जातियों में एक सीमा तक एकाकी परिवार है। इस प्रश्न पर गहराई से विचार करने पर यह बात सामने आयी है कि संयुक्त या एकाकी परिवार होने के जातीय सन्दर्भ में देखना उचित नहीं। यह परिवार विशेष की परिस्थिति, मानस, स्वभाव आपसी व्यवहार आदि पर निर्भर है।

ग्रामीण अर्थ रचना में जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। कृपक की उत्पादकता सिंचाई के साधनों पर निर्भर है। हस्तेड़ा में पिछले 3 दशकों में सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। पूर्व अध्ययन के समय हस्तेड़ा में मात्र 20.21 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा थी। यह सुविधा आमतौर पर बड़े एवं उच्च जाति के किसानों तक ही सीमित थी। अ.ज़ा. एवं गरीब किसानों की मात्र 2 प्रतिशत जमीन सिंचित थी। वर्तमान सर्वेक्षण के समय सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ कर 69.54 हो गया है। सभी सामाजिक श्रेणियों के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह उल्लेखनीय है कि रैगर (40 प्रतिशत), नायक (51 प्रतिशत), मीणा (60 प्रतिशत), नाई 48 प्रतिशत, मुसलमान (82.17 प्रतिशत) आदि जातियों की जमीन भी सिंचित है। इसका प्रभाव उत्पादन एवं फसल चक्र पर पड़ना स्वाभाविक दिखता है। पूर्व अध्ययन के समय मात्र जौ, बाजरा, गेहूँ एवं गुआर एवं मोठ का उत्पादन था। अब चना, मूँग एवं मूँगफली की फसलें भी ली जाने लगी है। उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पूर्व अध्ययन के समय पूरे गाँव में मात्र 790 क्विंटल जौ, एवं 504 क्विंटल बाजरा का उत्पादन था जबकि वर्तमान में 156 सर्वेक्षित परिवारों ने ही जौ 315 एवं बाजरा 1310 क्विंटल उत्पादन किया। पहले पूरे गाँव ने 243 क्विंटल गेहूँ पैदा किया था जबकि अभी 156 परिवारों ने 2197 क्विंटल गेहूँ उत्पादन किया है। यही स्थिति अन्य फसलों की भी है। यह सब सिंचाई का विकास, कृषि क्षेत्र का विस्तार, उन्नत कृषि पद्धति के कारण हुआ है, ऐसा कह सकते हैं।

सर्वेक्षित परिवारों में रोजगार विश्लेषण की तुलनात्मक स्थिति देखी जा सकती

है। वर्तमान अध्ययन के समय सर्वेक्षित 156 परिवारों में से 36 प्रतिशत का मुख्य धन्धा कृषि था जबकि 9 प्रतिशत कृषि श्रमिक थे। 26 प्रतिशत श्रमिक रूप में जीविका चलाते थे। जबकि 7 प्रतिशत नौकरी एवं 8 प्रतिशत उद्योग-दस्तकार से तथा 15 प्रतिशत व्यापार एवं अन्य कार्यों से सम्बद्ध थे। पूर्व अध्ययन (1961-62) के समय 20 प्रतिशत व्यापार एवं अन्य कार्यों सम्बद्ध थे। उस समय 5.9 प्रतिशत कृषि श्रमिक तथा 9.3 प्रतिशत अन्य श्रमिक थे। स्पष्ट है इस बीच कृषि एवं अन्य दोनों प्रकार के श्रमिकों का प्रतिशत बढ़ा है। मजदूरी करने वालों का प्रतिशत 15.2 से बढ़कर 35 प्रतिशत कृषि एवं गैर कृषि दोनों को जोड़कर हो गयी। नौकरी करने वालों का प्रतिशत प्रायः स्थिर है - पहले 8.4 था जबकि इस समय करीब 8 प्रतिशत है। पूर्वाध्ययन के समय करीब 17 प्रतिशत परिवार किसी न किसी दस्ताकारी से जुड़े थे जबकि इस समय इनकी संख्या 8 प्रतिशत रह गयी। दुकान एवं अन्य व्यापार धन्धे में भी रोजगार बढ़ा है, वह 11.3 से बढ़कर 14 प्रतिशत हुआ है।

हस्तेड़ा गाँव में साक्षरता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पूर्व अध्ययन के समय साक्षरता मात्र 23 प्रतिशत थी। अ.ज़ा., पिछड़ी जातियों में साक्षरता प्रायः नहीं थी। इस समय गाँव में साक्षरता का प्रतिशत 40.54 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता 38.18 प्रतिशत है। हस्तेड़ा में अ.ज़ा. एवं अ.ज. जाति में भी पर्याप्त साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता हरिजन में 8 प्रतिशत है। मीणा 21, रैगर 25, नाई 66, धोबी 68, तथा मुसलमान 32 प्रतिशत साक्षरता पायी गयी।

गाँव में कृषि एवं अन्य साधनों में भी पर्याप्त वृद्धि होती पायी गयी है। पूर्व अध्ययन के समय ट्रैक्टर, जीप आदि का अभाव था। उस समय पूरे गाँव में 38 बैल ऊंट गाड़ी थे जबकि इस समय सर्वेक्षित परिवारों में 21 ऊंट बैल गाड़ी, 6 ट्रैक्टर हैं। पहले गाँव में गिने चुने कुँए थे जबकि इस समय सर्वेक्षित परिवारों में 71 सिंचाई के कुँए हैं। इस प्रकार सिंचाई एवं अन्य साधनों में पर्याप्त वृद्धि देख सकते हैं।

8- आर्थिक स्थिति

नमूने के सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण से प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति आय, पारिवारिक व्यय, कर्ज की स्थिति आदि की जानकारी की गयी है। आर्थिक स्थिति को कई दृष्टियों में देख सकते हैं। जैसे रोजगार के संदर्भ में, जातीय संदर्भ में, आय समूह आदि। हस्तेड़ा में सर्वेक्षित 156 परिवारों को रोजगार के प्रकार के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। उनकी पारिवारिक आय को देखने पर पाते हैं कि सबसे अधिक प्रति परिवार वार्षिक आय नौकरी करने वाले परिवारों की 36,770 रु. पायी गयी। दूसरा

स्थान किसानों का है। इन परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय 27,588 रुपये रही जबकि उद्योग-व्यवसाय से जुड़े परिवारें की 22,115 तथा व्यापार-दुकान करने वाले की 10,299 रुपये है। यह उल्लेखनीय है कि कृषि श्रमिकों की आय कुछ अधिक, प्रति परिवार वार्षिक 14,321 रुपये पायी गयी। सबसे कम आय गैर कृषि कार्य से सम्बद्ध श्रमिकों की 6,911 रु. ऑकी गयी। रोजगार के प्रकार के सन्दर्भ में प्रति व्यक्ति आय को देखने पर पाते हैं कि नौकरी से जुड़े परिवारों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को देखने पर पाते हैं कि नौकरी से जुड़े परिवारों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 4,444 रु. कृपकों की 2,651 रुपये, उद्योग-व्यापार से जुड़े परिवारों की 1842 तथा गैर कृषि श्रमिकों की 881 रुपये, आंकी गयी।

जातीय संदर्भ से देखने पर, सामाजिक संरचना एवं आर्थिक स्थिति की तुलनात्मक जानकारी मिलती है। जातीय संदर्भ में यह कहने की स्थिति बनती है कि अ.ज़ा. एवं पिछड़ी जातियों की प्रति परिवार प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम है। हरिजन (भंगी) की सबसे कम प्रति परिवार वार्षिक आय 7,200 रुपये है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय मात्र 600 रुपये है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ी जातियों की प्रति व्यक्ति आय भी अत्यन्त कम दर्जी 504, नाई 793 रुपये, रैगर 976 रुपये, धोबी 937 रुपये है। कुछ अधिक छीपा की 1400 रुपये, कुमावत 1,147 रुपये, जोगी 1,248, बुनकर 1,556 रुपये, मुसलमान 1,366 रुपये तथा नायक की प्रति व्यक्ति आय 1247 रु. है। स्पष्ट है कृपक एवं अन्य उच्च जातियों की प्रति परिवार प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ब्राह्मण जाति के परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय 28,587 रुपये और प्रति व्यक्ति आय 3,218 रुपये में पाया गया। जाट एवं यादव की प्रति परिवार क्रमशः 31,876 रुपये एवं 28,516 रुपये है। जाटों की प्रति व्यक्ति आय 3,159 रुपये एवं यादवों की 2,580 रुपये आंकी गयी। मीणा जाति की प्रति परिवार 26,450 एवं प्रति व्यक्ति 1,974 रुपये है। समग्र दृष्टि से आंकने पर हस्तेड़ा के प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 18,857 रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय 2,031 रुपये आंकी गयी। हस्तेड़ा में प्रति व्यक्ति आय का राजस्थान के संदर्भ में देखने पर पाते है कि राजस्थान के औसत से स्थिति कुछ अच्छी है। वर्ष 1990 आधार वर्ष में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,742 रुपये आंकी गयी है। इसकी तुलना में वर्ष 1990-91 में हस्तेड़ा में प्रति व्यक्ति आय 2,031 रुपये रही। स्पष्ट है कि हस्तेड़ा में कृपक, नौकरी पेशे परिवार, कृषि विकास आदि के कारणों से यहाँ का औसत राजस्थान के औसत से अधिक है। लेकिन हस्तेड़ा के कमजोर वर्ग अ.ज़ा. के परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय पायी गयी है।

आय के संदर्भ में व्यय का अनुमान भी लगाने का प्रयास किया गया है। अ.ज़ा.

एवं पिछड़ी जाति के परिवारों में प्रति परिवार व्यय अधिक पाया गया। जातीय संदर्भ में धोबी की प्रति परिवार व्यय 9,500 रुपये हरिजन (भंगी) की 8,400 (7,200) रुपये, आंकी गयी, इनकी आय कम है। रैगर परिवारों की प्रति परिवार व्यय 9,714 (7325) रुपये नायक की 10,990 (7,842) तथा मुसलमान की 11,214 रुपये (11,497) आंकी गयी। स्पष्ट है उपरोक्त जातियाँ भिन्न है, अच्छी है। ब्राह्मण परिवारों में प्रति परिवार व्यय 21,904 रुपये (28,587) रुपये पाया गया, महाजन में 14,527 रुपये (18,062) रुपये, जाट में 29,602 (3,186) तथा यादव परिवारों में व्यय 37,787 रुपये (28,516 आय) पाया गया। अनुसूचित जनजाति मीणा की प्रति परिवार व्यय 29,900 रुपये (26,450) पाया गया, इनमें व्यय अधिक है।*

समग्र दृष्टि से देखे तो पाते हैं कि हस्तेड़ा गाँव में प्रति परिवार वार्षिक व्यय औसत 19,917 रुपये है, जबकि औसत वार्षिक आय 18,857 रुपये आंकी गयी। इस प्रकार औसत की दृष्टि से प्रति परिवार वार्षिक 1,062 रु. अधिक व्यय होता पाया गया। इस कमी की पूर्ति कर्ज एवं अन्य स्रोतों से किया जाता है।

सर्वेक्षित परिवारों में कर्ज की स्थिति का अंदाज लगाने का प्रयास किया गया। हस्तेड़ा में कर्ज मुख्यतः कृषि एवं घर खर्च के लिए लिया जाता है। गाँव के 156 सर्वेक्षित परिवारों में से 87 ने कर्ज (55.77 प्रतिशत) लिया तथा शेष 69 परिवार (44.23) कर्ज मुक्त पाये गये। यहाँ उल्लेखनीय है कि हरिजन, छीपा, नाई जाति के सभी सर्वेक्षित परिवार कर्ज मुक्त पाये गये। कर्ज लेने वाले परिवारों को आधार मानने पर प्रति परिवार कर्ज 8,698 रुपये आंका गया है। सबसे अधिक कर्ज उद्योग-व्यवसाय में लगे परिवारों में (14,314 रुपये प्रति परिवार) पाया गया। दूसरा स्थान कृषकों का है जिनमें प्रति परिवार कर्ज 11,383 रुपये है। सबसे कम कृषि श्रमिकों पर कर्ज 2,941 रुपये है। कर्जदार परिवारों में प्रति व्यक्ति औसत 906 रुपये पड़ता है। जातीय संदर्भ में देखने पर सबसे अधिक प्रति परिवार कर्जदारी खाती (बढ़ई) जाति पर 2,850 रुपये है। जाट, यादव, जोगी पर प्रति परिवार क्रमशः 1,017 रुपये, 1,148 रुपये एवं 1,833 रुपये पाया गया। हरिजन, छीपा, नाई कर्ज मुक्त है। जातीय संदर्भ में देखने पर यह कहने की स्थिति बनती है कि कर्जदारी का जाति में साख सम्बन्ध नहीं पाया गया। यह जरूरी है कि अनुसूचित जातियों में भी कर्जदारी कम पायी गयी। ब्राह्मण, महाजन मीणा, कुमावत, बुनकर आदि जाति में प्रति परिवार हजार रुपये से कम कर्जदारी है। इस स्थिति में यहाँ कर्ज की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है।

---

* कोष्टक ( ) में आय दर्शाया गया है।

9- धम्मा का वास

सर्वेक्षित गाँव धम्मा का वास में कुल 48 परिवारों को नमूने के अध्ययन में शामिल किया गया है। इस गाँव में राजपूत, यादव, रैगर, बलाई एवं बुनकर जाति के परिवार हैं। इस प्रकार उच्च (राजपूत), मध्यम (यादव) एवं अनुसूचित जाति (रैगर, बलाई, बुनकर) के परिवार हैं। सर्वेक्षित परिवारों की जनसंख्या 334 है जिनमें पुरुष 201 एवं महिलायें 133 हैं। यहाँ प्रति परिवार सदस्य संख्या का औसत 7 है। गाँव में कुल जनसंख्या का 42.51 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। जातीय संदर्भ में राजपूत में साक्षरता का प्रतिशत 64.42, यादव में 83.33 तथा रैगर जाति में साक्षरता 28.31 प्रतिशत है। बलाई जाति में सबसे कम 20 प्रतिशत साक्षरता है जबकि बुनकरों में यह प्रतिशत 43.57 पाया गया। गाँव में बारवीं कक्षा उतीर्ण की संख्या 9 तथा एक व्यक्ति ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। गाँव मे कृषि साधनों का अच्छा विकास हुआ है। सर्वेक्षित 21 परिवारों के पास 10 ट्रैक्टर है। सभी सर्वेक्षित परिवारों के पास सिंचाई साधन के रूप में 31 कुँए हैं। गाँव में अन्य प्रकार के साधनों का अभाव ही पाया गया। धम्मा का वास में प्रति परिवार औसत 12 बीघा कृषि भूमि है। राजपूत जाति के पास प्रति परिवार 10 बीघा, यादव के पास 14 बीघा, अ.ज़ा. रैगर के पास 13 बीघा प्रति परिवार कृषि भूमि पायी गयी। अ.ज़ा. बलाई के पास 9, बुनकर के पास 5 बीघा जमीन पायी गयी। यहाँ कृषि भूमि में पर्याप्त सिंचाई साधन पाया गया। कुल 77.95 प्रतिशत भूमि सिंचित है। बलाई एवं बुनकर की पूरी जमीन असिंचित है। उनके पास सिंचाई के साधन नहीं है। रैगर, यादव की 88 प्रतिशत भूमि सिंचित है जबकि राजपूत जाति के 78 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई के साधन हैं।

धम्मा का वास के सर्वेक्षित परिवारों में उत्पादन में मुख्य गेहूँ, बाजरा है। इसके अतिरिक्त जौ, चना, सरसों एवं मूँगमोठ की पैदावार भी होती है। सर्वेक्षित परिवारों में कुल 591 क्विंटल गेहूँ, 435 क्विंटल बाजरा, 60 क्विंटल जौ, 91 क्विंटल चना, 34 क्विंटल सरसों एवं 43 क्विंटल मूँगमोठ का उत्पादन हुआ। रैगर एवं राजपूत जाति में प्रति परिवार गेहूँ 13 क्विंटल का उत्पादन हुआ। यादव जाति में प्रति परिवार 20 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन हुआ। बलाई एवं बुनकर के यहाँ गेहूँ नहीं हुआ। इन दोनों जातियों के यहाँ नाम मात्र का बाजरा उत्पादन हुआ है। बाजरा सभी परिवारों ने पैदा किया। कहा जा सकता है कि यहां यादव, राजपूत तथा रैगर कृषि जातियाँ हैं। रैगर अनुसूचित जाति के होने के बावजूद खेती की दृष्टि से अच्छी प्रगति की है।

दोनों सर्वेक्षित गाँव के सर्वेक्षित परिवार के दुग्ध उत्पादन की संतोषजनक स्थिति कही जा सकती है। हस्तेड़ा गाँव में सर्वेक्षित परिवारों ने कुल 1870 क्विंटल दुध का

उत्पादन किया जवकि धम्मा का वास में यह उत्पादन 426 क्विंटल रहा। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकता है। हस्तेड़ा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उत्पादन 353 ग्राम है जबकि धम्मा का वास में यह 350 ग्राम है। जातीय संदर्भ में यादव जाति सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। हस्तेड़ा में यादव परिवार में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध 660 ग्राम है। जबकि धम्मा का वास का 570 ग्राम है। अन्य जातियाँ इनसे नीचे है। हरिजन के पास पशु नहीं है। रैगर, छीपा, बुनकर, आदि जाति के परिवारों में नाम मात्र का दूध उत्पादन है। यह दूध की उपलब्धता है- उपभोग नहीं। सामान्यत: चाय पीई जाती है, दूध बेचने की प्रवृत्ति है। इसकी आय कृषि के साथ जोड़ी गयी है।

धम्मा का वास के सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय को आँकने का प्रयास किया गया जो कि प्रति व्यक्ति 1,457 रु. आता है। यह हस्तेड़ा से कम है। जातीय संदर्भ में सबसे अधिक प्रति परिवार वार्षिक आय यादव जाति की 11,226 रु. है जो प्रति व्यक्ति 1,877 रुपये पड़ता है। प्रति परिवार की दृष्टि से रैगर जाति का तीसरा स्थान 11,104 रुपये है। राजपूत जाति प्रति परिवार 9,640 रु. की आय प्राप्त करता है जो प्रति व्यक्ति 1,668 रुपये आता है। सबसे कम बलाई जाति का प्रति परिवार 7090 प्रति व्यक्ति 945 रुपये है। बुनकर की प्रति व्यक्ति 1,125 रुपये आय होती पायी गयी। आय के संदर्भ में व्यय को देखने पर पाते हैं कि धम्मा का वास में प्रति परिवार वार्षिक व्यय 12,814 रुपये तथा प्रति व्यक्ति व्यय 1,751 रुपये होता पाया गया, जवकि प्रति परिवार आय 10,143 एवं प्रति व्यक्ति आय 1457 रुपये है। इस प्रकार आय से अधिक है- यह व्यय का आधिक्य प्रति परिवार वार्षिक 2,005 तथा प्रति व्यक्ति 194 रुपये है। इसकी पूर्ति कर्ज एवं अन्य स्रोतों से की जाती है। जहाँ तक धम्मा का वास में कर्ज की स्थिति का प्रश्न है यहाँ प्रति परिवार कर्ज की रकम 3,206 पायी गयी है जो प्रति व्यक्ति 1,603 रुपये पड़ता है। वलाई जाति को छोड़कर सभी जातियों के परिवारों ने कर्ज लिया है। विभिन्न जातियों पर प्रति व्यक्ति कर्ज 1500 से 2000 रुपये के वीच है। इस गाँव में सर्वेक्षित परिवारों में करीब 50 प्रतिशत परिवारों ने कर्ज लिया है, शेष परिवार कर्ज मुक्त हैं।

दोनों गाँव के आर्थिक विश्लेषण पर से कहा जा सकता है कि अनेक विकास कार्यक्रमों के वावजूद आय से अधिक व्यय है। अ.ज़ा. एवं पिछड़ी जाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर है। वे विकास में किसान एवं उच्च जाति के साथ नहीं चल पा रहे हैं।

काम की तलाश में गाँव से वाहर जाने की परम्परा प्राय: हमेशा रही है। राजस्थान में गाँव से वाहर जाकर लोग धन्धा, मजदूरी, करते हैं। कई वार तो प्राकृतिक प्रकोप,

आकस्मिक कारणों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हाल के वर्षों में गाँव से वाहर जाकर काम करने, काम की तलाश में स्थानांतरण की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। गाँव में रोजगार में कमी, जनसंख्या वृद्धि, परम्परागत उद्योग-धन्धों का समाप्त होना आदि कारणों से गाँव में रोजगार की सम्भावना घटी है। अतः हस्तेड़ा एवं धम्मा का वास, दोनों गाँवों में काफी संख्या में लोग काम की तलाश में दिल्ली, जयपुर एवं पास के कस्वों में जाते हैं। गाँव से वाहर जाकर विभिन्न अवधि तक काम करते पाये गये हैं, जैसे रोज जाना तथा शाम को वापस आना, गाँव में काम नहीं होने पर खाली समय में वाहर जाकर काम करना, वर्ष में 2-3 माह लगातार वाहर काम करना तथा स्थायी रूप से गाँव से वाहर काम करना और अवकाश में गाँव आना। धम्मा का वास में 72 व्यक्ति गाँव से वाहर जाकर काम करते पाये गये। सवसे अधिक 44 व्यक्ति दिल्ली जाकर मजदूरी करते हैं। कुछ लोग जयपुर एवं वम्वई जाकर भी काम करते हैं। अधिकांश लोग मजदूरी करते हैं।

10- ग्राम पंचायत के प्रति जागरूकता एवं लाभ

पंचायती राज संस्था की ग्राम विकास में अहम भूमिका मानी गयी है। ग्राम पंचायत को प्राथमिक ईकाई मानकर विकास कार्यक्रम को योजनावद्ध ढँग से लागू करने की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकता एवं संसाधनों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम निर्धारण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए समाज के सभी समुदायों, पुरुष एवं महिलाओं से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गयी है ताकि सभी को पूरा लाभ मिल सके। यह अपेक्षा रखना स्वाभाविक है कि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग को लाभ का अधिक अवसर मिले, अधिक लाभ मिले। ग्राम पंचायत के प्रति जागरुकता एवं भागीदारी के दो स्वरूप हो सकते हैं। एक, पंचायती राज की संस्था एवं संगठन, अर्थात् चुनाव, वैठकें, निर्णय प्रक्रिया आदि में सहयोग। दो, ग्राम पंचायत के कार्यों, योजनाओं, महत्त्व, उपयोगिता आदि के वारे में जानकारी एवं इसके प्रति जागरुकता। इसी से सम्वन्धित प्रश्न यह भी है कि ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभ की क्या स्थिति है। कितने लोगों को कितना लाभ मिल रहा है?

सर्वेक्षण के दौरान गाँव के सभी समुदायों से ग्राम पंचायत के कार्यों, योजनाओं, उद्देश्यों आदि के वारे में जानकारी की स्थिति का अंदाज लगाने का प्रयास किया गया। इस सम्वन्ध में आश्चर्यजनक उत्तर प्राप्त हुए। तीस वर्ष से अधिक समय से ग्राम पंचायत की व्यवस्था के वावजूद हस्तेड़ा में मात्र 16 प्रतिशत परिवार के मुखिया को ग्राम पंचायत के उद्देश्य, कार्यक्रम, योजना आदि की जानकारी थी, शेष ने अपनी अनभिज्ञता वतायी। जातीय संदर्भ में देखें तो पाते है कि छीपा, धोवी, नाई, हरिजन, तेली,

खाती, जोगी, बुनकर जातियों ने पूर्ण अनभिज्ञता जताई है। स्पष्ट है उच्च एवं मध्यम कृषक जातियों को अपेक्षाकृत अधिक जानकारी है। कहा जा सकता है अभी तक ग्राम पंचायतों के प्रति जागरुकता गाँव के उच्च सामाजिक स्तर के लोगों तक ही पहुँची है। हस्तेड़ा जैसे प्रमुख एवं पंचायत मुख्यालय की यह स्थिति है। यहाँ से 4 कि.मी. दूर स्थिति धम्मा का वास गाँव में ग्राम पंचायतों के उद्देश्य, कार्यक्रम आदि के प्रति जागरुकता नगण्य है। यहाँ मात्र 4 प्रतिशत ने जागरुकता वताई। धम्मा का वास आलीसर ग्राम पंचायत में है तथा संपर्क की दृष्टि से उपेक्षित है। अतः इस गाँव में इस वारे में नाम मात्र की जागरुकता पायी गयी। इस स्थिति में ग्राम पंचायत के अधिकार, कार्यक्रम, कार्य प्रक्रिया आदि के वारे में व्यापक स्तर पर जानकारी देने, शिक्षण की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्य काफी सीमित पाये गये। आज की स्थिति में ग्राम पंचायत मात्र कुछ सरकारी कार्यक्रमों की क्रियान्विति का माध्यम भर है। यह माध्यम भी सीमित रूप में है। कार्यक्रम निर्धारण, योजना निर्माण, आर्थिक संसाधन, प्रशासनिक अधिकार आदि की दृष्टि से ग्राम पंचायतों के अधिकार नगण्य है। जो भी कार्यक्रम हैं वे राज्य सरकार की ओर से आवंटित होते हैं। जवाहर रोजगार योजना, अन्त्योदय योजना में एक सीमा तक लाभान्वितों तथा कार्य के चयन में ग्राम पंचायत की भूमिका रहती है। इन सारे कार्यक्रमों में पंचायत समिति का तथा अन्य अधिकारियों की अहम् एवं प्रभावकारी भूमिका सहज में देखी जा सकती है। सरकार के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गाँव में जो कार्य किये जाते रहे हैं, उसके लाभ पर विचार करने पर पाते हैं कि सर्वेक्षित गाँव हस्तेड़ा में मात्र 26.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्राम पंचायत के माध्यम से लाभ मिलना स्वीकार किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छीपा, धोबी, नाई, हरिजन, तेली, वलाई, दर्जी, नायक जाति के एक भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला। अनुसूचित जातियों में मात्र रैगर एवं बुनकर को लाभ मिलता पाया गया। स्पष्ट है यहाँ मध्यम एवं उच्च सामाजिक मान्यता वाली जातियों को अधिक लाभ मिला। सर्वेक्षित गाँव धम्मा का वास की स्थिति अधिक खराव पायी गयी। यहाँ विकास का कार्य प्रायः नहीं हो पाया है। इस गाँव में मात्र 6.25 प्रतिशत परिवारों को पंचायत से लाभ मिला है। (1) आज भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। (2) ग्राम पंचायत मुख्यालय से सम्वद्ध छोटे गाँव तक कार्यक्रम नहीं पहुँच पाते हैं इस दिशा में प्रयास की आवश्यकता है। (3) ग्राम पंचायतों को अधिक धन मिले, उनका स्वयं का आय का साधन विकसित हो। गाँव के लोगों को ग्राम पंचायत के वारे में अधिकार, कार्यक्रम आदि की जानकारी एवं प्रशिक्षण

दिया जाय (4) हर स्तर पर जन भागीदारी रहे।

11- जनभागीदारी

पंचायती राज व्यवस्था में कार्यक्रम एवं योजना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, कार्य क्रियान्वित आदि सभी स्तरों पर जनभागीदारी की अपेक्षा रखी गयी है। यह अपेक्षा भी रखी गयी है कि समाज के कमजोर एवं पिछड़े समुदाय की भी सक्रिय भागीदारी रहे। हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। अध्ययन के समय इस अपेक्षा की स्थिति को समझने का प्रयास किया गया। कमजोर वर्ग एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति, जागरुकता, आदि को देखते हुए इनके आरक्षण का प्रावधान है। अतः ग्राम पंचायत में इनका प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया में गाँव का सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक की सज्जन व्यक्ति चुनाव में तटस्थ रहना चाहता है। एक ऐसा समूह विकसित हो गया है, हो रहा है जो चुनाव प्रेमी, जातीय, गुट एवं गाँव के अन्य समीकरणों से जुड़ा होता है। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी जाति, गुट में वंटा देखा जा सकता है। इस प्रकार चुनाव में रुचि रखने वालों का अलग समूह विकसित होता जा रहा है। इस परिस्थिति में सामान्यजन भागीदारी के लक्ष्य की ओर नहीं वढ़ पाता है और ग्राम पंचायत कुछ जनों की भागीदारी की संस्था वनकर रह जाती है।

हस्तेड़ा ग्राम पंचायत चयनित जन प्रतिनिधियों का विश्लेषण करने पर पाते हैं कि इसमें उच्च, अ.जा., अ.ज. जाति आदि समुदायों के सदस्य हैं। अधिकांश सदस्य कृषि कार्य से जुड़े हैं। एक महिला सदस्य सहवरित की गयी है जो कि उच्च जाति की है। सरपंच उच्च जाति का है। इस प्रतनिधित्व में जातीय एवं गुटों का समीकरण हर स्तर पर देखा गया। इसका प्रभाव निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम क्रियान्विति पर पड़ता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में सामान्य जन की भागीदारी नहीं हो पाती है। गाँव के जातीय एवं गुटवंदी के प्रभाव की गहराई वढ़ती जा रही है।

ग्राम पंचायत से संवद्ध छोटे गाँव उपेक्षित स्थिति में रहते हैं। आलीसर ग्राम पंचायत से संवद्ध धम्मा का वास गाँव की यही स्थिति है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ग्राम पंचायत से इनका नाम मात्र का सम्वन्ध है। गाँव का एक वार्ड मेम्वर है जिसका प्रभाव नाम मात्र का है। इस स्थिति में गाँव में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। पंचायत के कार्य, अधिकार आदि के वारे में गाँव के लोगों को नाम मात्र की जानकारी है। लोगों का मानना है कि जव पंचायत का कोई काम ही नहीं है तो जनभागीदारी कैसे होगी, केवल वार्ड मेंवर की कुछ भागीदारी है। अतः छोटे गाँवों में जनभागीदारी का पूर्ण अभाव है। इनका सम्वन्ध मात्र वार्ड मेम्वर या सरंपच के चुनाव तक सीमित है।

ग्राम पंचायत के बैठकों, निर्णय एवं कार्य निर्धारण में कुछ लोगों की ही भागीदारी रहती है। महिलाओं की भागीदारी तो नहीं माननी चाहिए। महिलायें आमतौर पर बैठकों में नहीं आती है। यदि आयी भी तो उनका योगदान नहीं के बराबर रहता है।

सुझाव एवं नीतिगत टिप्पणी

(क) गाँव की वर्तमान सामाजिक आर्थिक विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया के इस अध्ययन के दौरान सामाजिक सम्बन्धों तथा उनकी अन्तःक्रियाओं से सम्बन्धित अनेक बातें सामने आयी। विकास कार्यक्रम में जनभागीदारी, शिक्षा एवं ग्राम विकास, विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित होने की स्थिति, कार्यक्रमों की पहुँच आदि के बारे में तथ्यात्मक जानकारी से कई पक्षों पर स्थिति स्पष्ट होती है। जैसा कि विश्लेषण के दौरान कहा गया है कि समाज का कमजोर वर्ग, अ.ज़ा. आज भी ग्राम पंचायत कार्यक्रमों तथा विकास कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बन पाता है। ग्राम पंचायत के प्रति जागरुकता की स्थिति भी दयनीय है। महिला समाज प्रायः निष्क्रिय है, ग्राम पंचायत या विकास कार्यक्रमों से लेना-देना नहीं, उनकी राय का महत्त्व प्रायः नहीं है। इस समूची प्रक्रिया में शिक्षा का क्या स्थान है, यह विचारनीय है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साक्षरता की दृष्टि से स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले 3 दशकों में वह 23 से बढ़कर 40 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। इसे शुभ लक्षण माना जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षण की व्यवस्था भी बढ़ी है। विकास कार्य, ग्राम पंचायत, सामाजिक सुधार, संगठन, लोकतांत्रिक संस्थाओं आदि में शिक्षित लोगों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। यह अपेक्षा भी की जानी चाहिए की कार्य का स्तर तथा विभिन्न कार्यों को करने, लिखने-पढ़ने का स्तर ऊंचा हो तथा गाँव के लोग स्वयं इस कार्य को कर लें। उदाहरण के लिये योजना बनाना, जानकारी संग्रह, बैठक की कार्यवाही लिखना, हिसाब रखना–इन बातों की वास्तविक स्थिति इससे भिन्न पायी गयी। गाँव के लोग लिखने-पढ़ने के कार्य में अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि आज भी ग्राम पंचायत, सहकारी समिति आदि जन प्रतिनिधित्व की संस्थाओं में सचिव प्रभावी है। जन प्रतिनिधि सरकारी सचिव पर निर्भर है। अनेक गाँवों के जन प्रतिनिधि अशिक्षित, लिखने-पढ़ने में असक्षम है। यदि लिखना पढ़ना जानते भी हैं तो चाहते नहीं, रुचि नहीं है। बैठक की कार्यवाही लिखने में भी कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्राम पंचायत या अन्य संस्थाओं में, विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित होती है- भूमिका सीमित होती है।

शिक्षा के विकास एवं उपरोक्त स्थिति में विरोधाभास है। आजादी के इतने वर्षों

वाद भी शिक्षा का प्रभाव का अभाव क्यों हैं ? ऐसा नहीं कि गाँव में शिक्षित या सज्जन नहीं है। देखा यह गया कि शिक्षित समुदाय इस कार्य में रुचि नहीं लेता है। शिक्षक की भूमिका उत्साह वर्धक नहीं है। गाँव में जो गिने-चुने शिक्षित रहते हैं वे स्थानीय गुटवन्दी, दलगत दुराव के कारण विखरे हुए हैं। गाँव के सज्जन लोगों की सज्जन शक्ति निष्क्रिय है। लेकिन गाँव के लोगों को वास्तविक स्थिति का भान है। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसकी पहचान है। अक्षरज्ञान नहीं रखने वालों में समझदारी तथा कार्यक्षमता देखी जा सकती है। गाँव में शिक्षित व्यक्ति की भूमिका प्रभावी क्यों नहीं हैं ? विकास, जनभागीदारी या गाँव के कार्य में शिक्षित व्यक्ति क्यों नहीं जुड़ते ? गाँव में शिक्षित क्यों नहीं रहते आदि प्रश्न आज भी प्रश्न ही है - अनुत्तरित है। इन प्रश्नों का समाधान नहीं खोजा जा सका है। गाँव में चर्चा के दौरान वर्तमान शिक्षा की दिशा की सुन्दर व्याख्या सुनने में आयी। गाँव के तथाकथित अशिक्षित व्यक्ति ने आज की शिक्षा का परिणाम, निष्कर्ष या यों कहें उद्देश्य इस रूप में स्पष्ट किया, "कम पढ़ा तो काम छोड़ा, ज्यादा पढ़ा तो गाँव छोड़ा, वहुत अधिक पढ़ा तो देश छोड़ा" यह सटीक कथन सम्पूर्ण शिक्षा नीति एवं उसके परिणाम को परिभाषित करता है। यह कथन हस्तेड़ा गाँव के अशिक्षित लेकिन भुक्तभोगी, जागरुक किसान का है। इस कथन की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। गाँव का ऐसा हर परिवार इस कथन का भुक्त भोगी है जिसके परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं। जव तक शिक्षा की यह स्थिति है तव तक विभिन्न कार्यों में शिक्षा या शिक्षित व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है यह स्वयं स्पष्ट है।

(ख) उपरोक्त पृष्ठभूमि में कुछ सुझावों की ओर संकेत सामायिक एवं उपयोगी होगा। संक्षेप में इसे इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है :

1. वर्तमान शिक्षा को तीन वन्धनों—काम छोड़ा, गाँवा छोड़ा तथा देश छोड़ा - से मुक्त कर सकें तो शिक्षा का सही परिणाम देखा जा सकता है। शिक्षा यदि ऐसी हो जिसमें हाथ से काम करने, गाँव में काम करने की सुविधा, अनुकूलता एवं मानस वनता है तो गाँव में शिक्षा के कारण आने वाली वाधायें दूर हो सकेगी। आज तो प्राथमिक शिक्षा के वाद ही व्यक्ति हाथ का काम छोड़ना चाहता, गाँव छोड़ना चाहता है। यह स्थिति कैसे वदले यह सोचना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस सोच के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति या अध्ययन दल के गठन की आवश्यकता नहीं है। मुख्य वात तो करने की इच्छा शक्ति की है, मंशा की है। यदि राजनेता, अधिकारी, पढ़े-लिखें लोग वास्तव में इस स्थिति को वदलना चाहते हैं, जो समस्यायें हैं उनका वास्तव में समाधान चाहते हैं तो उस दिशा में वढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षा को आर्थिक नीति के साथ जोड़ना

उपयोगी हो सकेगा। इसके लिए गाँव के आर्थिक विकास की नीति तय करनी होगी।

2. ग्राम पंचायत को विकास का सबसे मजबूत माध्यम बनाया जाय। इस दृष्टि से आयोजन, संगठन एवं आर्थिक साधन की दृष्टि से गाँव स्तर की संस्था को अधिकार दिया जाना आवश्यक है। आज ग्राम पंचायत सरकारी कार्यक्रमों की क्रियान्विति का कमजोर माध्यम है। इस स्थिति को बदलना होगा।

3. ग्राम पंचायत पर दलीय नेता के महत्त्व, उनकी भूमिका को कम करनी होगी, हो सके तो समाप्त करनी होगी। आज प्रायः प्रत्येक कार्य में पंचायत समिति एवं ग्राम स्तर के कर्मचारियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार दल या गुट विशेष से जुड़े व्यक्तियों के प्रभाव को कम करने की दिशा में प्रयास आवश्यक है।

4. इसके लिए ग्राम पंचायत एवं अन्य संस्थाओं के साथ सामान्य जन का जुड़ाव जरूरी है। सर्वेक्षण के दौरान यह देखने में आया कि सामान्य व्यक्ति को ग्राम पंचायत के उद्देश्य, कार्यक्रम, योजनाओं आदि की जानकारी नहीं हैं। छोटे गाँव, ढाँणियों के लोग प्रायः अनभिज्ञ हैं। अतः पंचायती राज के उद्देश्य कार्यक्रम, अधिकार, कर्त्तव्य आदि की जानकारी देने, जागरुकता लाने की दृष्टि से शिक्षणात्मक कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाने चाहिए।

5. ग्राम पंचायतों का क्षेत्र एवं आबादी की दृष्टि से विस्तार के वर्तमान स्वरूप में टोले एवं ढाँणियों तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती है। आमतौर पर ग्राम पंचायत मुख्यालय या बड़े गाँव को अधिक लाभ मिलता है। अतः छोटे गाँव पंचायती राज से कैसे जुड़े यह सोचना चाहिए। ग्राम पंचायतों को छोटा करना, अधिक आर्थिक साधन उपलब्ध कराना एक मार्ग हो सकता है।

6. गाँव की सज्जन शक्ति की तटस्थथ्ता, उदासीनता समाप्त हो, यह प्रयास किया जाना चाहिए। आज पंचायती राज में गुटबन्दी (जाति, समुदाय, स्वार्थ, दल आदि) की स्थिति से मुक्ति के लिए इन लोगों को सक्रिय होना चाहिए। इसी के साथ महिलाओं को भी सामने लाना होगा। आर्थिक विकास के कार्य महिलाओं को केन्द्र मानकर चलाने का प्रयास किया जा सकता है। गाँव के अनेक कार्य महिलाओं को सौंपे जा सकते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास, सक्रियता आयेगी। महिलाओं से सम्बद्ध आर्थिक कार्यक्रम महिलाओं को ही सौंपने, उन्हीं के माध्यम से क्रियान्विति की योजना बनायी जाय।उन्हें आर्थिक जिम्मेदारी भी देने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।

7. सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गाँव का आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार, अ.जा., अ.ज.जा. एवं पिछड़ी जाति के लोगों की पंचायती राज में रुचि कम है। पंचायत उनके प्रति उदासीन है। इस स्थिति में उन्हें कार्यक्रमों की पूरा लाभ नहीं मिल

पाता है। इन समुदायों में कुछ परिवार अवश्य आगे आये हैं जिन्हें कार्यक्रमों का लाभ मिलता है। कह सकते हैं अ.ज़ा., अ.ज.ज़ा. तथा पिछड़ी जाति एवं गरीबों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है। सबकी भागीदारी बने इस दिशा में प्रयास आवश्यक है।

संदर्भ साहित्य

1.	देसाई एम. डी.	:	हस्तेड़ा, इकॉनोमिक लाईफ इन ए राजस्थान विलेज, एग्रो इकनामिक रिसर्च सेंटर, वल्लभ विद्यानगर, 1964
2.	श्री निवास एम. एन.	:	आधुनिक भारत में जातियाँ मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ एकादमी, भोपाल : 1971
3.	श्री निवास एम. एन.	:	द रिमेम्वर्ड विलेज, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1976
4.	जोशी, पूरन चन्द	:	भारतीय ग्राम : सांस्थानिक परिवर्तन और आर्थिक विकास : राजकमल, दिल्ली - 1986
5.	कुमार, प्रद्युमन	:	ग्रामीण विकास : ह.मा. लो. प्र. संस्थान, उदयपुर : 1986
6.	इकवाल नारायण	:	पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान; लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा- 1973

7. खन्ना, आर. एल. : पंचायती राज इन इण्डिया
द इंगलिश बुक डिपो : अंबाला - 1972

8. त्रिवेदी, के.डी. : ग्रामीण विकास प्रशासन;
विकास साहित्य प्रकाशन, जयपुर - 1988

9. मालवीय, एच. डी. : विलेज पंचायत इन इण्डिया :
अ. भा. कां. कमेटी, नई दिल्ली - 1956

10. पटेल झवरे भाई : ग्राम संस्कृति का अगला चरण :
नवजीवन, अहमादाबाद : 1962

11. अवध प्रसाद : भारत में ग्राम पंचायतों के पच्चीस वर्ष :
अ.भा. प. परिषद्, नई दिल्ली - 1978

12. अवध प्रसाद : सहकारिता : परम्परागत एवं कानूनी :
प्रिंटवेल, जयपुर - 1986

13. अवध प्रसाद : ग्रामीण विकास का एक आयाम :
प्रिंटवेल, जयपुर - 1992

14. मेहता वी.सी. एवं अवध प्रसाद : एग्रेरियन रिलेशंस एण्ड रुरल एक्स्प्लायेटेशन
आशीष पब्लिशिंग, नई दिल्ली - 1988

15. अवध प्रसाद : ग्रामीण हिंसा एक अध्ययन :
सर्व सेवा संघ, वाराणसी - 1974

16. अवध प्रसाद : लोक अदालत : स्टर्लिंग पब्लिशर्स,
नई दिल्ली - 1978

17. मैन्डेलबाम, डी.जी. : सोसाइटी इन इण्डिया :
पापुलर प्रकाशन, बम्वई - 1974

18. मजूमदार, धीरेन्द्र : समग्र ग्राम सेवा की ओर :
सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी

19. घुर्ये, जी.एस. : कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया :
पापुलर प्रकाशन, वम्वई - 1979

20. रिपोर्ट ऑफ द कमेटी आन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन — भारत सरकार। ग्राम विकास विभाग, नई दिल्ली - 1978

21. दुवे, श्यामाचरण : परम्परा, इतिहास - वोध और संस्कृति; राधाकृष्ण प्रकाशन, 1991

22. सुमित सरकार : आधुनिक भारत : राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली - 1991

□□